वार्षिक प्रतिवेदन
एवं
परीक्षित लेखा
2014-15

NYKS
नेहरु युवा केन्द्र संगठन
विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

साथ साथ
कल की ओर...

नेहरु युवा केन्द्र संगठन
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

fo"k; lwph

Ø- la-	fooj.k	i"B la-
1.	usg: ;qok dsUnz laxBu ,d ifjp;	5
2.	dkj dk;ZØe	13
3.	jkT;@eMy Lrjh; fu;fer dk;ZØe	19
4.	jk"Vªh; vkSj vrajk"Vªh; egRo ds fnolksa dk vk;kstu	21
5.	vU; fodklkRed foHkkxksa vkSj ,tsfl;ksa ds lkFk leUo; dk;ZØe	25
6.	fo'ks"k dk;ZØe ,oa ifj;kstuk,a	31
7.	;qok vkSj fd'kksj fodkl ¼,uihokbZ,Mh½ ;kstuk ds fy, jk"Vªh; dk;ZØe	41
8.	19oka jk"Vªh; ;qok mRlo	45
9.	jk"Vªh; ;qok dksj	49
10.	jktHkk"kk fjiksVZ	51
11.	fd'kksjkoLFkk LokLF; ,oa fodkl ifj;kstuk	53
12.	vuqyXud	57
13.	ijhf{kr ys[kk	75

NYKS
नेहरु युवा केन्द्र संगठन
विश्व का सबसे बड़ा युवा नेटवर्क

साथ साथ
कल की ओर...

ug: ;ok dUn lxBu
,d ifjp;

विकास के लिए युवा सबसे बडा मानव संसाधन है, इसलिए वे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा तकनीकी नवप्रवर्तन के मुख्य आधार भी माने जाते हैं। देश के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वातावरण के विकास में युवाओं की विशिष्ट जरूरतों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर आधारित गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता की आवश्यकता है। इसलिए देश में, इसके कार्यक्रमों में और इसके साथ–साथ युवाओं पर आधारित गतिविधि के विशेषकर उनकी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं से संबंधित गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता की आवश्यकता है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन इसके लिए 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को एकजुट करने की सुविधा प्रदान करता है। विश्व में अपनी तरह के सबसे बडे जमीनी स्तर के स्वयंसेवी संगठन नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना स्वयंसेवा, स्वयंसहायता एवं सहभागिता के सिद्धांतों पर युवाओं को दिशा देने और युवा ऊर्जा को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की गई थी।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जिला स्तर पर युवा कार्यक्रम एवं गतिविधियों को आयोजित करने हेतु देश भर में 623 जिला कार्यालय तथा राज्य स्तर की गतिविधियों एवं प्रबोधन हेतु 29 मंडल कार्यालयों और गांवों

पर आधारित संबद्ध युवा मंडल हैं।

जमीनी स्तर पर इन युवा मंडलों के गठन का उद्देश्य है गांव स्तर पर स्वैच्छिक कार्य समूहों को तैयार करना जो समुदाय के सर्वांगीण विकास की अवधारणा के साथ आगे आयें।

युवा एक अनिवार्य और जीवंत तथा परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, जिनको भारत राष्ट्र की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के भविष्य की जिम्मेवारी सौंपी जानी है। इसलिए देश में, इसके विकासात्मक और इसके साथ–साथ युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं पर आधारित सहभागिता आवश्यक है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ताकत इसके 9710 राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों में जमीनी स्तर पर इनके युवा मंडल और महिला मंडल के सदस्यों में निहित है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से ये गांव स्तरीय संगठन सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं वातावरणीय परिवर्तन के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब यह समूह गांवों की मजबूती और स्वावलम्बन की पहचान के साथ कार्यात्मक कार्य समूह बन गए हैं।

इन सब बातों के आलोक में देखें तो नेहरू युवा केन्द्र संगठन केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक जन आंदोलन बन चुका है।

mRifÙk

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना 1972 में गैर छात्र ग्रामीण युवाओं को आगे बढने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित स्वयं सेवी कार्यों पर जोर देते हुए गांवों में विकास कार्यों के लिए युवाओं को एकत्रित करना, जागृति पैदा करना, संगठन की रणनीति है।

नेहरू युवा केन्द्र के लक्ष्य निम्नवत हैः–

- नैतिक मूल्यों और क्षमता का विकास करना जिससे वे आधुनिक भारत के एक उत्पादक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
- युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना।
- जाति, रंग, लिंग और धर्म में भेदभाव के बिना राष्ट्र की सेवा में समान अवसर प्रदान करने हेतु उचित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना।

- संसाधनों में आत्मनिर्भरता का अनुसरण करना।
- रोजगार सृजन, साक्षरता और परिवार कल्याण, पर्यावरण संतुलन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यक्रमों के प्रोत्साहन और विकास के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नेटवर्क का उपयोग करना।
- शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और विविध आमदनी सृजन गतिविधियों को शामिल कर और उसका दायरा विस्तृत करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाना।

एक अग्रणी युवा संगठन के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन गैर छात्र ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखते हुए विकास गतिविधियों एवं लोगों को एकजुट करने के

लिए गैर–सरकारी क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करता है।

,d lLFkk ls tu vkUnksyu rd

Uk;dl& dk;l {k= dk <kpk

हमारे देश की जनसंख्या का तीन चौथाई भाग गांवों में रहता है, और राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास का आधार उनकी प्रगति और विकास पर निर्भर करता है। ग्रामीण लोगों, विशेषकर युवाओं की जरूरतें उनके शहरी प्रतिरूप के मुकाबले अलग तरह की होती है। इस संदर्भ में नेहरू युवा केन्द्र संगठन का गठन उनकी शक्ति को गति देने और युवाओं को समुदाय की सेवा तथा स्वावलम्बन के लिए सशक्त करने के लिए किया गया।

युवा समूह उन विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए आगे आते हैं, जोकि स्वतः ग्रामों से निरंतर जुड़ाव आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्र विकास को प्रभावित करती है।

;okvk rd igp

नेहरू युवा केन्द्र संगठन नेतृत्व, चरित्र विकास, सामुदायिक सेवा, आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व

देशभक्ति को राष्ट्र के विकास के मूलभूत लक्षण के रूप में प्रोत्साहित करता है। संगठन युवाओं को इस दिशा की ओर उन्मुख करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है जिससे कि उनमें राष्ट्रीय पहचान एवं एकीकरण की भावना का निर्माण हो, जो भय और हिंसा से परे हों।

ftyk Lrj ij <kpk

विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन के पास देशभर में जिला युवा समन्वयकों, राष्ट्रीय युवा कोर, युवा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित कैडर का नेटवर्क है। यह युवा मंडल विभिन्न स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए आगे आते हैं जोकि स्वतः राष्ट्र विकास को प्रभावित करती है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन की मजबूती जमीनी स्तर पर इसके युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के विशाल नेटवर्क में निहित है और यह कार्यात्मक कार्य समूह के रुप में कार्य करती है।

y{; leg dh t:jr d ifr nkf;Ro

गैर छात्र ग्रामीण युवाओं (लक्ष्य समूह) की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कॉडर के युवा समन्वयकों, एनवाईसी, युवा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से देशभर में विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विकासात्मक संस्थाएं एवं विभाग इसमें शामिल होते हैं, जिससे कि विकासात्मक योजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद एवं वंचित लोगों तक पहुॅच सके।

ljpuk

नेहरू युवा केन्द्र संगठन का चार स्तरीय ढांचा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शीर्ष पर शासी बोर्ड (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) है। भारत सरकार के केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते है। महानिदेशक इसके कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वे

संगठन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबंध और संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देश में 29 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। मंडल निदेशक प्रत्येक मंडल का प्रमुख होता है और संगठन के कार्यक्रमों को सही प्रकार से कार्यान्वित कराते हैं।

जिलों में स्थापित नेहरू युवा केन्द्रों का कार्यालय प्रमुख जिला युवा समन्वयक होता है। क्षेत्र में युवा आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करना इसकी जिम्मेवारी है। इसकी सहायता के लिए एक लेखालिपिक–सह–टंकक, एक परिचारक, राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक जिनकी नियुक्ति युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजना के अनुसार की जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, जहॉं पर विचारों को वास्तविकता में बदला जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक समिति होती है जिसे 'युवा कार्यक्रमों के लिए जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति' (डीएसीवाईपी) कहते हैं। यह (डीएसीवाईपी) समिति जिला नेहरू युवा केन्द्र की गतिविधियों का मार्गदर्शन, सहयोग प्रदान करती है और उसकी मॉनीटरिंग भी करती है। यह वार्षिक कार्य योजना पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है। इस समिति का गठन इस प्रकार से किया जाता है कि जिले में विकास से जुडे मुख्य संस्थानों और विभागों का इसमें प्रतिनिधित्व हो; इससे कार्यात्मक सम्पर्क बनाने और कार्यक्रमों के लिए प्रभावी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। समिति नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग भी करती है।

u-;q-d-l- dh e[; 'kfä

ने.यु.के.सं. की मुख्य शक्ति लगभग 8 लाख ग्रामीण युवा स्वयंसेवकों के नामांकन के साथ पूरे भारत में 2.81 लाख ग्राम स्तर युवा मंडलों का इसका नेटवर्क है। यह दुनिया में सबसे बड़ा युवा संगठनों में से एक बन गया है। ये युवा मंडल और महिला मंडल सामाजिक मुद्दों के समाधान, सामुदायिक विकास और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता उत्पन्न करने, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

भारत सरकार अपने ग्रामीण युवाओं पर आधारित प्रमुख संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से, पूरे देश के जिला केंद्रों के बीच समान रूप से वितरित अपने मूल कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है; युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं को लागू करती है और अन्य विकास एजेंसियों के समन्वय और समर्थन के साथ युवा विकास और सशक्तिकरण के लिए निर्मित मंत्रालयों और केंद्र के विभागों तथा राज्य सरकारों एवं यूएनओ के विशेष कार्यक्रमों और परियोजनाओं को आरंभ करती है।

ने.यु.के.सं. और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के विशाल नेटवर्क के उपयोग में एक आदर्श बदलाव शुरू हो गया है। ने.यु.के.सं. ने हाल ही में एक प्रमुख पहल के रूप में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के साथ तालमेल और प्रयासों के अभिसरण के रूप में एक ऐसी ही भूमिका स्वीकार की है। युवा मंडलों और ने.यु.के. के स्वयंसेवक अब भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंच के लिए पर्याप्त अवसर और एक उपयुक्त मंच प्रदान करते हैं।

नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक तथा प्रेरित हैं बल्कि ये स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक विकास के कार्यों की ओर भी झुक रहे हैं। विगत वर्षों में, ने.यु.के.सं. की गतिविधियां आर्थिक और गैर–आर्थिक विकास के साथ–साथ युवा मंडल, महिला मंडल तथा ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी सहित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित रही हैं। हालांकि, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

u-;q-d-l- d dk;Øek vkj xfrfof/k;k dk mí';

2014–15 के दौरान ने.यु.के.सं. द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं का विकास और सशक्तिकरण है। इसका उद्देश्य, देश के ग्रामीण युवाओं को गतिशील होने के लिए प्रेरित और संगठित करना; समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देकर ग्राम आधारित युवा मंडलों और महिला मंडलों जैसे लोकतांत्रिक संस्थागत तंत्रों को विकसित कर उनकी क्षमता को बढ़ाना और लक्षित समुदाय को एक सार्थक, उत्पादक और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम करना है।

कार्यक्रमों और गतिविधियों का एक अन्य उद्देश्य समानता, धर्मनिरपेक्षता और स्वैच्छिक सेवा की मूल भावना के साथ स्थानीय नेतृत्व को सामुदायिक विकास और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारों के रूप में कार्य करने, जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने और शांति स्थापना तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में योगदान देने के साथ–साथ अपनी जरूरतों, मुद्दों और कमजोरियों के साथ ही संरचनात्मक और अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने में सक्षम करना है।

/;ku dfær vkj lcf/kr fd; tk jg {k=

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ने.यु.के.सं. ने ग्रामीण युवाओं और सामान्य रूप में ग्रामीण समुदायों के लाभ हेतु और अधिक कार्यक्रम एवं गतिविधियां प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाने पर बल देते हुए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने 09 कोर कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया है। मूल कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा मंडल नेटवर्क को मजबूत बनाना और युवा मंडल के सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना है। ये कार्यक्रम सभी जिलों के ने.यु.के.सं. के लिए एक समान हैं।

ने.यु.के.सं. ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह के गठन, नागरिक शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, वृक्षारोपण सहित पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छ भारत मिशन–स्वच्छता एवं साफ–सफाई अभियान; एचआईवी/एड्स सहित स्वास्थ्य जागरूकता, नशीली दवाओं और शराब के सेवन की रोकथाम, शिक्षा, रक्तदान, योग, स्वैच्छिक सेवा और आपदा न्यूनीकरण सहित युवाओं में लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित करने की दिशा में योगदान करने वाली समन्वय गतिविधियां भी आरंभ की हैं।

mí';k dk çkIr dju d fy, viukbl xbl j.kuhfr;k

- ने.यु.के.सं. द्वारा देश भर में लगभग 12,000 ने.यु.के. स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। जिनमें से लगभग 1000 कंप्यूटर साक्षर थे ताकि ये ई–शासन को बढ़ावा देने और युवा मंडल एवं महिला मंडल प्रोफाइल को अद्यतित करने में जिला ने.यु.के.सं. की सहायता कर सकें।
- तैनात किए गए ने.यु.के. स्वयंसेवक बल की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया गया। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें वर्तमान ने.यु.के.सं. की वार्षिक कार्य योजना, एमवाईएएस की एनपीवाईडी योजना और समन्वय गतिविधियों जैसे ऊपर उल्लिखित ध्यान केंद्रित करने के चिह्नित क्षेत्रों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षित किया गया।
- एक जिले में स्थित ब्लॉकों और गांवों की संख्या के आधार पर, ने.यु.के. के स्वयंसेवकों को ने.यु.के.सं. के मूल कार्यक्रमों, एनपीवाईएडी की योजना के कार्यान्वयन, लक्षित समन्वय गतिविधियों और उनके संबंधित आवंटित क्षेत्रों में आगे की कार्यवाही की गतिविधियों के लिए युवा मंडल और महिला मंडल वाले गांवों के समूहों में तैनात किया गया।
- ने.यु.के. के मूल कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए युवा प्रेरित थे और उन्होंने अपने–अपने गांवों में जागरूकता और शिक्षा के वैसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहयोग किया था। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें चिन्हित मुद्दों पर नामित ने.यु.के. स्वयंसेवकों और संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमें वे ने.यु.के.सं. मूल कार्यक्रम के तहत अनुभव प्राप्त कर चुके थे।
- परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए, प्रत्येक ने.यु.के. स्वयंसेवी को लक्ष्य सौंपा गया था।

leUo;] vfHklj.k vkj rkyey

ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु अधिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए; जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य विकास विभागों, एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों से समन्वय और संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया था। इस दिशा में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- कार्यक्रम की उचित योजना बनाना, समन्वय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपेक्षित परिणाम के साथ जिला ने.यु.के.सं. के प्रभावी कार्यकरण की निगरानी के लिए जिला ने.यु.के. संगठनों में उपायुक्त/जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) की बैठकों का आयोजन किया गया।
- इसी प्रकार, संबंधित मंडल निदेशकों द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री तथा विकास एजेंसियों के प्रमुखों तथा अन्य गैर–सरकारी सदस्यों की अध्यक्षता में युवा कार्यक्रम पर राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) की बैठकें आयोजित की गईं।
- जिला एवं मंडल ने.यु.के. संगठनों से विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यकरण और अन्य परिचालन क्षेत्रों में एनएसएस और एनसीसी के साथ प्रभावी अभिसरण/तालमेल स्थापित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में क्रमशः ने.यु.के.सं. एवं एनएसएस के साथ–साथ एनसीसी युवा/स्वयंसेवा/कैडेटों के बीच एक–दूसरे के कार्यक्रमों में अभिसरण/तालमेल की हद पर प्रकाश डालते हुए कार्य योजना विकसित की गई है।
- पहचाने गए ध्यान केंद्रित क्षेत्रों और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए युवाओं के विकास और सशक्तिकरण की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के बीच सम्पर्क स्थापित किए गए थे।

tu çfrfuf/k;k dh Hkkxhnkjh

पूरे भारत में विभिन्न स्तरों पर ने.यु.के.सं. के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में जन प्रतिनिधियों अर्थात् माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ–साथ विकास विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और भागीदारी रही।

ug: ;ok dn lxBu ¼u-;-d-l-½ dh miyfC/k;k

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ने.यु.के.सं. ने अपने 09 मूल कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा मंडल नेटवर्क को मजबूत बनाना और युवा मंडल सदस्यों का क्षमता निर्माण था। ये कार्यक्रम सभी जिलों के ने.यु.के.सं. के लिए एक जैसे हैं। इसके अलावा, ने.यु.के.सं. ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों को समन्वित किया ताकि ग्रामीण युवाओं और सामान्य रूप से, ग्रामीण समुदायों के लाभ के लिए और अधिक कार्यक्रम और गतिविधियां प्रदान की जा सकें।

lxBukRed ljpuk
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार
शासी बोर्ड
मुख्यालय
मंडल कार्यालय (29)
नेहरू युवा केन्द्र (623)
राष्ट्रीय युवा कोर (9710)
युवा मंडल/महिला मंडल

Ok"kZ 2014&15 esa ug# ;qok dsUnz laxBu ds 'kklh cksMZ ds lnL;ksa dh lwph

Ø-l-	uke	in	'kklh cksMZ lnL;k dh fLFkfr	
1	श्री जितेन्द्र सिंह (25 मई, 2014 तक)	माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष	
	श्री सर्बानन्द सोनोवाल (26 मई, 2014)			
2	श्री राजीव गुप्ता	सचिव (युवा मामले)	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
3	श्री अमरदीप सिंह चीमा	प्रतिष्ठित व्यक्ति	उपाध्यक्ष	फरवरी, 2015 तक
4	कुमारी एल तिलोत्मा	प्रतिष्ठित व्यक्ति	उपाध्यक्ष	
5	श्री बी.पी. सिंह	प्रतिष्ठित व्यक्ति	उपाध्यक्ष	
6	श्री प्रवेश साहिब सिंह	संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	
7	श्री नलिन कुमार कटील	संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य	
8	श्री अनिल माधव दवे	संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य	
9	श्री अजित एम. सरन	सचिव (खेल)	सदस्य	
10	श्री ललित कुमार गुप्ता	संयुक्त सचिव (युवा मामले) एवं कार्यक्रम सलाहकार	सदस्य	
11	श्रीमती लता पिल्लई	निदेशक – आरईजीएनआईवाईडी	सदस्य	
12	सुश्री सुजाता प्रसाद	वित्त सलाहकार	सदस्य	
13	ले.जनरल अनिरुद्ध चक्रवर्ती	महानिदेशक – एन.सी.सी.	सदस्य	
14	श्री पदमवीर सिंह	निदेशक –एलबीएसएनएए	सदस्य	
15	श्री पंकज वत्स	अध्यक्ष द्वारा नामित	सदस्य	
16	श्री टीकाराम जौली	प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य	
17	श्री संजीव जोसफ	प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य	
18	डॉ. प्रभाकांत	महानिदेशक – नेयुकेसं	सदस्य सचिव	

fnukd 31-3-2015 dk ug# ;ok dUn lxBu e Lohd r dkfed l[;k

Ø-l-	Ikn dk inuke	dy Lohdr	0;fDr;k dh fLFkfr	fjfDr;k
	Xkqi ,			
1	महानिदेशक	1	0	1
2	निदेशक	4	2	2
3	संयुक्त निदेशक	1	1	0
4	मंडल निदेशक	18	16	2
5	उप निदेशक	56	35	21
6	सहायक निदेशक	9	9	0
7	जिला युवा समन्वयक	623	281	342
	dy	712	344	368
	Xkqi ch			
8	लेखा अधिकारी	4	0	4
9	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	1	0
10	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18
11	अनुभाग अधिकारी	5	0	5
12	विधि अधिकारी	1	1	0
13	निजी सचिव – महानिदेशक	1	0	1
14	सहायक लेखा अधिकारी	19	2	17
15	जुनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर	19	0	19
16	निजी सचिव – अध्यक्ष	1	0	1
17	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	0	1
18	जुनियर लेखा अधिकारी/एकाउटेंट	23	3	20
	dy	93	7	86
	Xkqi lh			
19	आशुलिपिक–I	12	9	3
20	आशुलिपिक–II	27	5	22
21	सहायक प्रशिक्षण एवं खोज सहायक	45	4	41
22	ईडीपी सहायक	1	1	0
23	लाईब्रेरियन	1	0	1
24	ऑडिटर	2	0	2
25	जुनियर एकाउटेंट	4	0	4
26	कम्प्यूटर ऑपरेटर	4	0	4
27	लेखालिपिक–सह–टंकक	688	478	210
28	यू.डी.सी.	6	5	1
29	कनिष्ठ लिपिक	30	14	16
30	वाहन चालक	70	43	27
31	एमटीएस	578	563	15
	dy	1468	1122	346
	dy ;kx ¼,chlh½	2273	1473	800

dkj dk;Øe

ug: ;ok dUæ lxBu dh miyfC/k;k

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान नेयुकेसं के मुख्य 09 कोर कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा मंडल नेटवर्क का सशक्तिकरण, युवा मंडल सदस्यों का क्षमता निर्माण था। यह कार्यक्रम सभी जिलों में एक समान थे। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ–साथ कोर कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

1- ;ok eMy fodkl dk;Øe

यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ युवा मंडलों के विद्यमान नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और विभिन्न सरकारी स्कीमों/पहलों का प्रचार करने का उद्देश्य रखता है। जैसे प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण। यह कार्यक्रम दैनिक कार्यों की बजाय अभियान के रुप में कार्यान्वित किया गया था। अभियान के दौरान युवाओं को ग्राम आधारित युवा मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में एकत्रित एवं जागरुक किया गया था। उन्हें इन योजनाओं को अपनाकर लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया था और अन्य लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए भी प्रेरित किया गया था। टीम के सदस्यों ने युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों और अन्य विचारक नेताओं के साथ मिलकर चर्चा की। उन्होंने नेहरु युवा केन्द्र और इसके वार्षिक कार्य योजना 2014–15 के बारे में सूचनाओं का प्रचार किया और युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया और उनके युवा मंडल की प्रोफाईल, सदस्यों के विवरण को निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन किया। संबंधित जिला नेहरु युवा केन्द्र द्वारा युवा मंडल प्रोफाईल को नेयुकेसं की वेबसाईट पर ऑनलाईन दर्शाया गया है। प्रत्येक युवा मंडल विकास

कार्यक्रम के आयोजन के लिए रुपये 15,000/– की राशि निर्धारित थी। इस कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		iq#"k	efgyk	dqy
2515	2249	134029	48256	182285

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuqyXud&1 पर दिया गया है।

2- ;qok urRo vkSj lkeqnkf;d fodkl ij çf'k{k.k dk mís';

3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व के गुण, व्यक्तित्व के विकास और उनमें सामुदायिक विकास पहल के लिए उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाना है, जिससे कि वे सामान्य रुप से जनमानस और विशेषकर युवाओं के बीच सरकार एवं अन्य विकासात्मक विभागों और युवाओं के लिए विकासात्मक एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर सकें और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकें। युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक आयोजन के लिए रुपये 27,500/– निर्धारित किए

गए थे। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं –

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		iq#"k	efgyk	dqy
2515	2469	70829	39489	110318

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuqyXud&2 पर दिया गया है।

3- fo"k; vk/kkfjr tkx:drk vkSj f'k{kk dk;Øe dk mís';

युवाओं के बीच कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना है जिससे कि उनमें रोजगार सृजन, स्वरोजगार, स्वसहायता समूहों का गठन, स्थानीय जिला/गांव आधारित सुअवसरों की जांच कर उपलब्ध अवसरों को जोड़ने, नागरिक शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण, स्वच्छ भारत मिशन–स्वच्छता, साफ–सफाई और स्वच्छता अभियान : स्वास्थ्य जागरुकता जिसमें एच.आई.वी. एड्स, नशीली दवाओं के सेवन और शराब की रोकथाम के लिए शिक्षा, स्वैच्छिक और आपदा न्यूनीकरण

के साथ–साथ युवाओं के बीच लोकतांत्रिक नेतृत्व और अन्य सामाजिक सरोकार के अन्य मुद्दों पर जागरुकता उत्पन्न की जा सके। प्रत्येक विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए रुपये 8000/– निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि एक दिन की थी। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		iq#"k	efgyk	dqy
6369	6178	345587	185236	530823

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuqyXud&3 पर दिया गया है।

4- [kydn dk çkRlkgu

i½ ¼;ok eMyk grq [kydn lkexh½

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति को विकसित करना है। खेलकूद गतिविधियों के लिए मूलभूत खेलकूद सामग्रियों की खरीद हेतु युवा मंडलों को सहायता प्रदान की गई है। गांवों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक युवा मंडल को खेलकूद किट प्रदान करने के लिए 2,000/– रूपये आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

fu/kkfjr y{;	ikIr y{;
38646	37619

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuyXud&4 पर दिया गया है।

ii) leg ,o ftyk Lrj ij vrj ;ok eMy [ky dk;Øek dk mís';

ने.यु.के.सं. द्वारा स्थापित युवा मंडलों के बीच ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित एवं लोकप्रिय करना है। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य खेल गतिविधियों को प्राकृतिक प्रक्रिया और ग्रामीण भारत की जीवन शैली के अनुसार बनाना है और युवाओं को उनकी प्रतिभा उजागर करने के अवसर उपलब्ध कराना है। खेलों का चयन जिला नेहरु युवा केन्द्र द्वारा संबंधित ब्लॉक में, उपलब्ध खेल के ढ़ांचों और खेल के मैदानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक समूह एवं जिला स्तरीय अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए क्रमशः रुपये 15,000/– और रुपये 25,000/– उपलब्ध कराये गये थे। प्रत्येक खेल प्रतियोगिता की अवधि 3 दिन की थी या कार्यक्रम की आवश्यकता के आधार पर थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

Lrj	fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
			i#"k	efgyk	dy
समूह	2058	1994	239052	64841	303893
जिला	623	580	83703	24044	107747

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuyXud&5 vkj 5, पर दिया गया है।

5- efgykvk d fy, dk'ky mUu;u if'k{k.k dk;Øe ¼,l;Vhih½

सभी 623 जिलों में लागू किया गया था। यह प्रयास उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित, प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त कौशल विकास एजेंसियों के सहयोग से रोजगार कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चलाकर किया गया। प्रत्येक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 3 माह हेतु रुपये 11,400/– और दो माह के लिए रुपये 7,600/– प्रति पाठ्यक्रम किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं—

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		i#"k	efgyk	dy
7522	7283	10967	133622	144589

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuyXud&6 पर दिया गया है।

6- ykd] dyk vkj lL—fr dk iksRlkgu

ग्रामीण युवाओं को उनकी लोककला और संस्कृति को समझने और बढ़ावा देने के साथ—साथ उन्हें उनकी लोक कला संस्कृति का प्रदर्शन करने और इसका संरक्षण करने और उसे प्रोत्साहित करने सुविधा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम लोक गीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य के विशेष संदर्भ में आयोजित किए गए थे। प्रत्येक लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रति जिला रुपये 20,000/— का प्रावधान रखा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		i#"k	efgyk	dy
623	598	73609	47631	121240

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuyXud&7 पर दिया गया है।

7- jk"Vh; vkj vrjk"Vh; egRo d fnolk dk vk;ktu

इस कार्यक्रम को करने के पीछे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों विषेशकर दिवस/सप्ताह जिसमें राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह शामिल है, के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 18 दिवसों के आयोजन के लिए रुपये 50,000/— के बजट का प्रावधान

किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं—

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		i#"k	efgyk	dy
11214	10419	710445	628383	1338828

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuyXud&8 पर दिया गया है।

8- ftyk ;ok lEeyu vkj ;ok —fr

इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिला नेयुकेसं द्वारा ग्रामीण युवा नेताओं को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर और मंच प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम युवा मंडल नेताओं को उनकी रुचि के विभिन्न मुद्दों के प्रति संवेदनशील करता है जैसे राष्ट्र निर्माण में युवा मंडलों की भूमिका, उनके रोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों से

संबंधित विषयों पर जागरुकता सृजन और किस प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ लिया जा सकता है आदि। जिला युवा सम्मेलन और युवा कृति के आयोजन के लिए प्रति जिला रुपये 30,000/– का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

fu/kkZfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkhZ		
		iq#"k	efgyk	dqy
623	599	85224	40459	125683

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuqyXud&9 पर दिया गया है।

9- mRd"V ;qok eMyksa dks fy, iqjLdkj

इस पुरस्कार का उद्देश्य प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवाओं की पहचान करना और युवा मंडलों को सामुदायिक विकास और कल्याण के लिए प्रोत्साहित करना है। जिन युवा मंडलों की पहचान सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है वे इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसे – कौशल प्रशिक्षण, गांवों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन, राष्ट्रीय एकता, खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण

संवर्धन। स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन, सामुदायिक विकास आदि। यह पुरस्कार जिला स्तर पर दिए गए हैं और विजेता को रुपये 25,000/– की पुरस्कार राशि दी गई, राज्य स्तर पर रुपये 1,00,000/– की पुरस्कार राशि दी गई और राष्ट्रीय स्तर पर रुपये 5,00,000/–, रुपये 3,00,000/– और रुपये 2,00,000/– की राशि से सम्मानित किया गया। युवा मंडलों द्वारा इस पुरस्कार राशि का उपयोग

सामुदायिक विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

Lrj	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;
जिला	623	457
राज्य	33	21

*मंडलवार कार्यक्रम का विवरण vuqyXud&10 vkj 10, पर दिया गया है।

10- ;qok dk;ZØeksa dks fy, ftyk lykgdkj lfefr ¼Mh,lhokbZih½ dh cSBd

यह गतिविधि अपने आप में कोई युवा कार्यक्रम नहीं है बल्कि क्षेत्रगत कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम की उचित योजना, समन्वय कार्यान्वयन, पारदर्शिता और प्रबंधन हेतु प्रत्येक जिला नेहरु युवा केन्द्र के प्रभावी रुप से कार्य करने तथा अपेक्षित परिणाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उदेश्य युवाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए संसाधन एकत्रिकरण और समंन्वय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन और नेहरू युवा केन्द्र के बीच यदि कोई कड़ी छूटी हुई हो तो सम्पर्क स्थापित करना है। युवाओं को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला स्तर का ने.यु.के. जिला प्रशासन, जिला प्राधिकारी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं से मार्गदर्शन और सुविधा हेतु संपर्क विकसित करता है।

उपर्युक्त स्वरूप का वांछित समन्वय एवं तालमेल प्राप्त करने के लिए ने.यु.के. द्वारा प्रत्येक जिले में युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) बनाई जाती है। डीएसीवाईपी की वर्ष में दो बार (दूसरी और चौथी तिमाही में) बैठकें की जानी अनिवार्य है जिसके

लिए इसके सदस्य सचिव अर्थात् ने.यु.के. के जिला युवा समन्वयक द्वारा पहल की जानी होती हैं। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट इस बैठक की अध्यक्षता करता है और जिले के अन्य विकास अधिकारी अध्यक्ष के आदेशानुसार बैठक में भाग लेते हैं।

इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य में युवा कार्यक्रमों संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) गठित की गई है। एसएसीवाईपी की अध्यक्षता राज्य के माननीय युवा मंत्री करते हैं और वर्ष में दो बार इसकी बैठक होती है। न्यूनतम बैठकें आयोजित करने के लिए 623 जिला ने.यु. केन्द्रो और 29 मंडल कार्यालयों में से प्रत्येक को क्रमशः 2000/– रू. तथा 1000/– रू. और 3,000/– रू., 1,500/– दिए गए। यह राशि चाय एवं अन्य आयोजन खर्चों, जिसमें फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, कलम, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ, इत्यादि भी शामिल हैं, पर उपयोग की गई।

आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है–

cBd dk Lrj	fu/kkZfjr y{;	çkIr y{;
युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी)	1246	815
युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी)	60	22

*डीएसीवाईपी और एसएसीवाईपी की बैठकों के मंडलवार ब्यौरे vuqyXud&11 vkSj 12 में दिए गए हैं।

jkT;@eMy Lrjh; fu;fer dk;Øe 2014&15

1- jkT; ;qok lEeyu vkSj ;qok d`fr

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ने.यु.के. की छवि बनाना, इसके कार्यक्रमों को दर्शाना, स्थानीय प्रतिभा का प्रदर्शन करना और भारत की कलाओं, शिल्पों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण/संवर्द्धन करना है। कार्यक्रम के दौरान एसयूटीपी केन्द्रों के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रर्दान किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा युवा मंडलों/महिला मंडलों को अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान किया गया।

प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 दिन थी। कार्यक्रम के दौरान, राज्य सरकार के अभिकरणों/ गैर–सरकारी संगठनों/एसयूटीपी केन्द्रों/कॉरपोरेट घरानों/प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि की सहायता से युवा सम्मेलन और पैनल चर्चाएं, युवा कृति इत्यादि जैसी गतिविधियां तथा विभिन्न जिलों/विभागों की टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्य युवा मंडल पुरस्कार के वितरण का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम मुख्यतः राज्य की राजधानी या अन्य प्रमुख जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया, जहां अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध थी। मंडल कार्यालयों को दिसंबर के माह में यह कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई ताकि राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में से राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एनवाईएफ) हेतु युवा कृति टीमों का चयन किया जा सके।

उद्घाटन और समापन समारोहों के दौरान, माननीय संसद सदस्यगण, मंत्रीगण, विधायकगण तथा अन्य जन प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी/प्रशासन, मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया। विभिन्न क्षमताओं में और अब समाज/सरकार में विशेष स्थान रखने वाले ने.यु.के. के सहयोगियों (ने.यु.के. के सेवानिवृत्त अधिकारियों इत्यादि) को महोत्सव के दौरान सम्मानित किया गया। जिला युवा पुरस्कार–विजेताओं, जिला युवा मंडल पुरस्कार–विजेताओं, पूर्व–राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों (एनएसवी), पूर्व– राष्ट्रीय युवा निकायों (एनवाईसी), युवा मंडलों/महिला मंडलों के स्वयंसेवकों (जो विचार–विमर्श तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए

जाने में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम थे) को भी राज्य सम्मेलन में आमंत्रित किया गया।

आयोजन को आम जनता के लिए और अधिक रोचक बनाने हेतु, कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों से टीमें आमंत्रित की गई। आयोजन को उत्सव का रूप देने के लिए साहसिक खेलकूद, मैजिक शो, झूलों इत्यादि जैसी अन्य मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की गई।

राज्य युवा सम्मेलन और युवा कृति के आयोजन के लिए, मंडल में कार्यरत जिला ने.यु.के. की संख्या के आधार पर, 29 मंडलों में से प्रत्येक को 2.50 लाख रूपये से 6.00 लाख रूपये दिए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkhZ		
		iq#"k	efgyk	dqy
29	26	3965	2457	6422

*कार्यक्रमों के मंडलवार ब्यौरे vuqyXud&13 में दिए गए हैं।

2- leh{kk lg ;kstuk cSBd

समीक्षा सह योजना बैठक आयोजित करने का उद्देश्य ने.यु.के. के चल रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना और सभी संगत मुद्दों पर सहमति बनाकर रचनात्मक हस्तक्षेपों से प्रगति को मानीटर करना, युवा विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अभिनव परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजना बनाना और युवा मंडलों/महिला मंडलों के विद्यमान नेटवर्कों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाना और युवा विकास के लिए सरकार (राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों) की चल रही स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में सूचनाओं को साझा करना और शीघ्रता से समन्वय करना था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जरूरत पड़ने पर आकस्मिकता योजना और क्रियान्वयन हेतु कार्यनीति तैयार की गई और निष्पादित की गई। युवा मंडलों द्वारा की जाने वाली वर्षभर की गतिविधियों की सूची तैयार की गई और गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित की गई।

मंडल निदेशकों ने जरूरत और अपेक्षानुसार न्यूनतम 04 बैठकें आयोजित की। प्रत्येक बैठक की अवधि एक दिन थी। जोन में कार्यरत सभी उपनिदेशकों और जिला युवा समन्वयकों को बैठकों में आमंत्रित किया गया। मंडल कार्यालयों को प्रति बैठक और प्रति उपनिदेशक एवं जिला युवा समन्वयक 200/–रूपये दिए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;
116	105

*कार्यक्रमों के मंडलवार ब्यौरे vuqyXud&14 में दिए गए हैं।

jk"Vh; vkj vrjk"Vh; egRo d fnolk dk vk;ktu

1- fo'o i;koj.k fnol ¼5 tu½

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला नेहरू युवा केन्द्रो से संबद्ध युवा मंडलो द्वारा एक ग्रीन शपथ हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया जिससे कि हमारे गांव/शहर में हरियाली और सफाई के लिए जागरूकता उत्पन्न की जा सकें। कई युवा मंडलों द्वारा भित्तिचित्र बोर्ड गांवों में लगाए गये जिस पर लोगों ने एक बेहतर पर्यावरण के लिए अपने सुझाव लिखें। ग्रामीणों को पाली बैग का प्रयोग न करने और जूट/कपड़े के थैले का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। बड़ी संख्या मे लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।

पर्यावरण को स्वच्छ, हरा और प्रदूशण मुक्त रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के खतरों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान का आयोजन किया गया। पेड़ों की रक्षा के लिए शपथ भी दिलाई गयी। ग्रामवासियों के बीच एक संदेश भी प्रसारित किया गया कि यह हम सब का कतर्व्य है कि न केवल बहुतायत में वृक्ष लगाएँ जाएं बल्कि उनकी देखभाल भी की जाए और उनका संरक्षण भी किया जाए।

इस अवसर पर, पेंटिंग, ड्राइंग, नारा लेखन, आदि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

2- u'khyh nokvk d lou d f[kykQ vrjk"Vh; fnol ¼26 tu½

जिला नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा इसके संबद्ध युवा मंडलो के माध्यम से नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ 26 जून, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया।

युवा मंडलो द्वारा मादक पदार्थों के सेवन की वजह से नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनके गंभीर परिणाम पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई। नशीली दवाओं और शराब का उपयोग न करने लिए प्रेरित करने हेतु सुप्रसिद्ध नागरिकों और युवाओं के रोल मॉडलों को आमंत्रित किया गया था। वक्ताओं की राय थी कि जागरूकता उत्पत्ति की जाए और मादक पदार्थों के सेवन और अवैध शराब की खपत के मुद्दों को संबोधित सार्थक नीतियों को लागू करने की जरूरत है। वक्ताओं की राय थी कि यह अत्यंत निराशाजनक है कि युवा अपने साथियों के दबाव में शराब का सेवन कर रहे है जोकि बड़ी चिंता की बात है।

इस अवसर पर युवा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताएं जैसेः– नारा लेखन,

पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन, कोलाज बनाने आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया।

3- fo’o tul[;k fnol ¼11 tqykbZ½

आज, जनसंख्या विस्फोट दुनिया की प्रमुख चिंताओं में से एक है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा दुनिया में अन्य प्रमुख समस्याओं को जन्म दे रहा है। वर्तमान समय में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण कुछ मुख्य परिणाम सामने आ रहे है जैसेः–गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, जंगलों को काटना आदि। जनसंख्या विस्फोट की जांच की गम्भीर रूप से आवश्यकता है। इस दिशा में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन सिर्फ एक कदम है।

11 जुलाई परिवार नियोजन के महत्व, लिंग समानता, गरीबी, मातृत्व स्वास्थ्य और मानव अधिकारो जैसें महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रोत्साहन के लिए दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के दौर में इस कार्यक्रम का आयोजन विकास के प्रति एक प्रकाश की किरण के समान है।

जिला नेहरु युवा केन्द्रों के ग्राम आधारित युवा मंड़लों एवं महिला मंड़लों की सहायता से विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। सेमिनार, विचार–विमर्श, शैक्षिक जानकारी सत्र, रैलियों, प्रतियोगिताओं पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, प्रश्नोत्तरी, आदि आयोजित की गई।

4- lnHkkouk fnol ¼20 vxLr½

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री राजीव गांधी के जन्म दिन को सद्‌भावना दिवस के रूप में मनाया। सद्‌भावना का विषय था राष्ट्रीय एकता और हर धर्म, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना। सद्‌भावना दिवस का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ाना और हिंसा को कम करना था।

इस संदर्भ में सभी जिलों के नेहरू युवा केन्द्रों और गांव आधारित युवा मंडल में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राजीव गांधी के जीवन व कार्यों पर प्रदर्शनी, सद्‌भावना रैली, प्रबुद्ध जनों के द्वारा आख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर किया गया।

5- LoSfPNd jDrnku fnol ¼1 vDVwcj½

भारत में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर 2014 को किया। जिला नेहरू युवा केन्द्र ने रक्तदान शिविरों के अतिरिक्त कई प्रकार के कार्यक्रम स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए किए।

जिला नेहरू युवा केन्द्रों ने अपनी मदद गांव आधारित युवा मंडल को स्वैच्छिक रक्तदान अभियानों को सफल बनाने के लिए प्रदान की। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियां जैसेः– भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पेटिंग, नारा लेखन आदि का आयोजन किया गया। विजेताओं को योग्यताओं के आधार पर प्रमाणपत्र व पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवधि के दौरान कुल 31]489 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।

6- xka/kh t;arh dk mRlo ¼2 vDVwcj ½

दिनॉक 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती का

आयोजन ‘‘,d nljs ds fy, ikjLifjd lfg".kqrk vkj vknj** विषय के साथ नेहरू युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध युवा मंडल और महिला मंडल के द्वारा किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन आपस में भाई चारे की भावना को फैलाने के लिए और भाई चारे को सही से समझने के लिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में खास तौर पर युवाओं में फैलाने के लिए किया गया।

युवा मंडल/महिला मंडल से हजारो युवाओं ने कई प्रकार के आयोजन कई स्तरों पर किए। यह कार्यक्रम युवा गायको द्वारा lo/kel ikFkuk के गायन के साथ आरम्भ हुआ। गांधी जी के मनपसंद गीत ‘‘o".ko tu rk ru dfg, t ihM ijkbl tku j** एवं कई और भजनों के साथ स्वंतत्रता संग्राम के आंदोलनों भारत छोड़ो और सत्याग्रहों को भी याद किया गया।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कई अन्य कार्यक्रम भी किए गए जैसे प्रभात फेरी, सर्वधर्म प्रार्थना, गांधी जी के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, दीवार लेखन, सफाई अभियान, कार्य शिविर (सामुदायिक विकास कार्यक्रम), सह भोज (समुदाय भोज) आदि का आयोजन भी किया गया।

7- ljnkj oYyHk Hkkbl iVy dh t;rh dk jk"Vh; ,drk fnol d :Ik e vk;ktu & 31 vDVcj] 2014

समस्त मंडल और जिला नेहरू युवा केन्द्रो द्वारा अपने संबंधित कार्यालयो में कार्यक्रम आयोजित किये गये और राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए सभी कर्मचारियों और एनवाईसी स्वयंसेवकों को शपथ दिलाई गयी। इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया गया और राष्ट्रीय मुख्यालय पर शपथ समारोह भी आयोजित किया गया।

नेयुकेसं के फील्ड कार्यालयों के कर्मचारियों ने अपने–अपने राज्यो/जिला मुख्यालय में एकता दौड़ कार्यक्रम में भाग लिया। युवा मंडलों के सदस्यों ने भी स्थानीय समुदायों के सहयोग से अपने गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया।

8- dkeh ,drk fnol dk vk;ktu ¼19 uocj] 2014½

दिनॉक 19 नवंबर, 2014 को कौमी एकता दिवस का आयोजन किया और यह आयोजन दिनॉक 25 नवंबर, 2014 तक जारी रहा। इस दिन को नेहरू युवा केन्द्र ने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जिसमें गांव आधारित युवा मंडल और एनवाइसी स्वयं सेवक सम्मिलित रहे।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रमदान शिविर, सफाई अभियान, खेल प्रतियोगिताएँ, सेमिनार, प्रख्यात विद्वानों के द्वारा ‘कौमी एकता को बढावा देने में युवाओं की भूमिका’ पर व्याख्यान आदि आयोजित किये

गये। युवाओं को समाज में एकता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

9- ug: ;ok dUn lxBu dk LFkkiuk fnol ,o ug: t;rh dk vk;ktu ¼14 uocj½

श्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती राष्ट्रीय युवा कोर (NYC) स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी के साथ 14 नवंबर 2014 को जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो सद्भावना, शांति, एकता और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते है का आयोजन किया गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। नेहरू के विजन : राष्ट्र के सामने युवाओं की भूमिका और चुनौतियों पर व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

युवा मंडलो को उनके संबंधित गांव में स्थानीय संसाधन जुटा कर कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित करने के प्रेरित किया गया। प्रेरणा के परिणाम स्वरूप बहुत से युवा मंडलो द्वारा गतिविधियां आयोजित की गयी जैसें : – पंडित नेहरू के दर्शन एवं शिक्षाओं पर चर्चा, पंडित नेहरू के जीवन एवं कार्यो पर प्रदर्शनी, सद्भावना रैलियों, पद् यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि स्वैच्छिक आधार पर अपने संबंधित गांवों मे आयोजित की गयी।

10- fo’o ,Ml fnol ¼1 fnlcj½

1 दिसंबर 2014 को गांव आधारित युवा मंडल के माध्यम से विश्व एड्स दिवस आयोजित किया। निबंध, पेटिंग, चित्रकला, वाग्मिता, वादविवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, कार्यशालाओं और सेमिनार, और रैली आदि का आयोजन एचआईवी/एड्स पर जागरूकता पैदा करने के लिए और इसके विस्तार को रोकने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त एचआईवी/एड्स के विभिन्न पहलुओं पर कई आख्यान व समूह चर्चा और स्वैच्छिक रक्तदान की महत्ता पर समूह चर्चा की गई। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमण के द्वारा होने वाली एड्स महामारी से बचाने के लिए किया जाता है।

11- jk"Vªh; ;qok fnol vkSj ;qok lIrkg ¼13 ls 19 tuojh] 2015½

12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में और 12 से 19 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष ने.यु.के. सं. ने जिला प्रशासन, युवा मंडलों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के समन्वय से स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई।

पूरे सप्ताह चले समारोहों के दौरान, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित आदर्शों पर प्रभात फेरी, सर्व धर्म प्रार्थना, श्रमदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद समेत विषय–आधारित गतिविधियां, चित्रकला, पोस्टर, वाद–विवाद, भाषण समेत कई प्रतियोगताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रमों में आम जनता ने और विशेषकर युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

vU; fodklkRed foHkkxksa vkSj ,tsafl;ksa ds lkFk leUo; dk;ZØe

कोर कार्यक्रमों के अलावा, नेयुकेसं द्वारा कई समन्वय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहली बार, समन्वय कार्यक्रम को वार्षिक कार्य योजना 2014–15 का अभिन्न अंग बनाया गया है जिसमें एनवाईसी स्वयंसेवकों ने जिला युवा समन्वयक के मार्गदर्शन एवं सहयोग से युवा मंडलों को शामिल करते हुए समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया।

समन्वय कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य नेयुकेसं को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस संदर्भ में अन्य विकासात्मक विभागों, एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न स्तरों पर संबंधों को स्थापित करने पर जोर दिया गया। समन्वय

की गतिविधियों और उपलब्धियों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

dk;Zde	dk;Øe bdkbZ	miyfC/k;k
;qok eMy lnL;ksa dks jkstxkj dkS'ky fodkl if'k{k.k ds lkFk tksMuk	युवाओं की संख्या	122788
,l,pth dk xBu	एसएचजी की संख्या	89486
ckyo{k IykV’ku	पौधों की संख्या	6330034
jä nku	रक्त इकाईयों की संख्या	101777
Lo;lsoh jä nkrkvksa vkSj muds jä leghdj.k dk ukekadu	युवाओं की संख्या	81028
çfjr yMfd;ksa vkSj muds ekrk firk ftUgksau 18 lky dh gksus rd mldh 'kknh dks LFkfxr dj fn;kA	लडकियों की संख्या	127802
xHkZorh ekrkvksa dk Vhdkdj.k	गर्भवती माताओं की संख्या	84028
lsfo/kk lLFkkxr iaio	महिलाओं की संख्या	79670
cPpksa dk Vhdkdj.k ¼0&5 lky½	बच्चों की संख्या	193774
ekfr;kfcan ¼us=½ dk vkijs'ku	रोगियों की संख्या	28114
uo;qofr;ksa dks vk;ju Qkfyd ,flM dh xksfy;ksa dh igqp inku djuk	किशोर लडकियों की संख्या	213429
LokLF; tkap f'kfoj ¼M,Vy] mPp jäpki] e/kqesg vkSj vU;½	शिविरों की संख्या	18332
i;kZoj.k dh j{kk ds çfr tkx:drk vkSj lqlk/; mRiUu djus ds fy, i,fyFkhu cSx dk lxzg.k	गांवों की संख्या	43227
Ldwyksa ds cPpksa dk ukekadu	बच्चों की संख्या	140141
çj.kk ifj.kkeLo:i 'kkSpky; dk fueZk.k	शौचालयों की संख्या	55943
okVj vkbMh dkMZ çkIr djus esa lqfo/kk çnku djuk	व्यक्तियों की संख्या	173422
Xkkoksa esa txyh ?kkl dk mUewyu	गांवों की संख्या	30279

LoPN Hkkjr fe’ku

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आव्हान पर और गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 2019 में 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों, 20 मंडल कार्यालयों और 12000 एपवाईसी स्वयंसेवकों और ग्राम आधारित युवा मंडल की सहभागिता के साथ स्वच्छ भारत मिशन का आयोजन किया गया, इस अभियान में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज के समस्त वर्गों की सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित किया जिससे कि जनमानस में जागरुकता लाई जा सके और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके।

इस संदर्भ में, नेयुकेसं द्वारा 25 सितम्बर, 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर यह अभियान आरंभ किया गया। उसके पश्चात मैदानी स्तर पर नेहरु युवा केन्द्रों के युवा मंडलों, एनवाईसी स्वयंसेवकों, ग्राम समुदाय की सहभागिता के साथ गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के दौरान, माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, नौकरशाह, समाज के सभी वर्गों से प्रख्यात व्यक्ति शामिल थे। नेयुकेसं के 623 जिलों और 29 मंडल कार्यालय परिसरों के शौचालय और कचरा स्थानों को साफ किया गया। 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धुलाई दिवस और 19 नवम्बर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया जिससे कि स्वच्छता के संदेश को प्रसारित किया जा सके।

युवा मंडल के सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। सफाई अभियान जिसमें जंगली घास का उन्मूलन, पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक सामग्री निपटान के लिए एकत्रित करना, सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव (आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आदि) सड़कों के किनारे शैड और बस स्टैंड, आम जगहों और गलियों

की सफाई, श्मशान मैदानों की मरम्मत, खेल के मैदानों,

स्कूल और सामुदायिक शौचालय का रखरखाव, खुदाई, कीटाणुशोधन, तालाबों, कुंओं की मरम्मत और गाद निकालना, प्राकृतिक पेय जल संसाधन, लघु सिंचाई चैनलों, पानी के टैंक, जल संचयन, आदि की मरम्मत एवं रखरखाव आदि। इन गतिविधियों को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया।

साफ–सफाई और स्वच्छता शिक्षा के मुद्दों को नेयुकेसं के कार्यक्रमों का अभिन्न भाग बनाया गया और स्वच्छ भारत पर युवा मंडल नेताओं/सदस्यों/एनवाई स्वयंसेवकों और नेयुकेसं के अधिकारियों के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेहरु युवा केन्द्रों के युवा मंडलों के सदस्यों और एनवाईसी स्वयंसेवकों के द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। जिसके परिणामस्वरुप 12,952 शौचालयों का निर्माण किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

Ø- l-	dk;Øe dk uke	vk;kftr dk;Zdeksa dh la[;k	vkef=r ;qok eMyks dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ ¼25 flrEcj] 2014½	663	4065	77799
2.	स्वच्छता पर शपथ ग्रहण (2 अक्टूबर, 2014) नेयुकेसं के मंडल कार्यालयों में शपथ ली गई	100	334	14164
3.	जिला नेहरु युवा केन्द्रों में शपथ ली गई	334	1299	18932
4.	एनवाईसी स्वयंसेवकों द्वारा शपथ ली गई	4176	586	6086
5.	युवा मंडलों द्वारा शपथ ली गई	14396	7664	229883
6.	2 अक्टूबर, 2014 को आयोजित गतिविधियां	3192	6943	107777
7.	विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को आयोजित गतिविधियों के प्रकार	1596	9253	55351
8.	विश्व शौचालय दिवस 19 अक्टूबर को आयोजित गतिविधियों के प्रकार	1308	4318	64589
9.	कार्यालय परिसरों की सफाई, जिला एवं मंडल कार्यालयों के शौचालयों और कचरा स्थानों की सफाई और गलियों और आम स्थानों पर स्वच्छता अभियान	7199	8221	96655
10.	पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक सामग्री एकत्रित करना जिससे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरुकता उत्पन्न की जा सके।	6132	6652	54961
11.	जंगली घास का उन्मूलन (जैसे गाजर घास, लांटाना, जल कुंभी आदि)	1834	3024	36928
12.	साफ–सफाई और स्वच्छता पर आईईसी सामग्री का वितरण	4725	22974	87493
13.	प्रेरणा के परिणामस्वरूप शौचालयों का निर्माण	42768	15735	39083
14.	अपने कार्यालयों के आसपास पार्कों का विकास और सड़क आदि का रखरखाव	398	601	10077
15.	श्मशान घाटों की मरम्मत, खेल के मैदानों, स्कूल रखरखाव,	474	1169	11328
16.	खुदाई, कीटाणुशोधन, तालाबों, कुओं की मरम्मत और गाद निकालना, प्राकृतिक पेय जल संसाधन, लघु सिंचाई चैनलों, पानी के टैंक, जल संचयन, आदि की मरम्मत एवं रखरखाव	525	767	15810
17.	रैलियां (साईकिल, मोटरसाईकिल आदि)	1164	4620	55169
18.	प्रभात फेरी	642	2455	37760
19.	सफाई एवं स्वच्छता के लिए दौड	548	3023	36611
20.	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	425	2123	14462
21.	चित्रकला, पोस्टर बनाना	317	1939	11011
22.	निबंध और नारा लेखन	400	2033	14262

Ø- l-	dk;Øe dk uke	vk;kftr dk;ZØeksa dh la[;k	vkeaf=r ;qok eaMyksa dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k
23.	दीवार लेखन	316	2288	13244
24.	नुक्कड नाटक	364	3019	15302
25.	वाद–विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता	174	383	4331
26.	स्वच्छता और सफाई पर सुप्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा संभाषण	587	1468	23414
27.	सम्मेलन एवं चर्चाएं	584	3655	31762
28.	कार्य शिविर	51	87	3849
29.	स्थानीय आवश्यकताओं एवं वरीयताओं के आधार पर आयोजित किए गए कार्यक्रम	552	16421	36139

jk"Vªh; ;qok usrk dk;ZØe ¼,uokbZ,yih½

युवा मामले विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा युवाओं में नेतृत्व, कौशल विकसित करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (,uokbZ,yih) नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम

के निम्नलिखित घटक हैं –

1. पड़ोस युवा संसद (एनवाईपी)
2. विकास कार्यक्रम के लिए युवा (वाईएफडीपी)
3. राष्ट्रीय युवा नेता पुरस्कार (एनवाईएलए)
4. राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद (एनवाईएसी)
5. राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ)

गांव के स्तर पर एक यथोचित संस्थागत मंच बनाने के लिए जहां युवा अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों/चिंताओं पर स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकें।

वर्ष 2014–15 के दौरान केवल पडोस युवा संसद ब्लॉक स्तर पर और युवाओं के लिए विकास कार्यक्रम (आई.ई.सी.: प्रचार एवं मीडिया गतिविधियां) 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों में एनवाईसी स्वयंसेवकों और नेयुके के युवा मंडलों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किए गए।

1- iM+ksl ;qok laln

जीवंत पड़ोस युवा संसद के आकार में युवा मंडल हेतु एक मंच विकसित करने के लिए है इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवा मंडल के सदस्यों को, सामान्य रूप में स्थानीय समुदायों के सम्मुख आने वाले समकालीन सामाजिक–आर्थिक विकास के मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और इस तरह के मुद्दों पर बहस/विचार विमर्श में उन्हें शामिल करने के लिए होगा।

इन कार्यक्रमों के दौरान प्रख्यात वक्ताओं द्वारा समकालीन मुद्दों पर सम्बोधन दिया जायेगा जैसे सुशासन, सरकारी योजनाओं में युवाओं की प्रतिभागिता, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालयों का निर्माण आदि।

विभिन्न युवा मंडलों के नेताओं को प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने क्षेत्र में लौटने के बाद अपने मंडल के सदस्यों को शामिल कर इसी प्रकार की चर्चा/बहस का आयोजन करेंगे। यह कार्यक्रम मोटे तौर पर ब्लॉक और युवा संसद की तर्ज पर आधारित था। ग्राम स्तरीय सरकारी पदाधिकारी और इसके साथ–साथ ग्रामपंचायत प्रधान/सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आदि को इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा। ग्राम स्तरीय पडोस युवा संसद ब्लॉक स्तर पर पडोस युवा संसद की अनुवर्ती कार्रवाई थी।

इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम के पश्चात सिफारिशों को तैयार किया गया और इसे संबंधित सरकारी पदाधिकारियों और इसके साथ–साथ ग्राम पंचायत को

विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक कार्यक्रम में उस ब्लॉक विशेष के 80 युवाओं ने ब्लॉक स्तरीय पडोस युवा संसद में भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां इस प्रकार से हैं–

fu/kkfjr y{;	çkIr y{;	ykHkkFkh		
		i#"k	efgyk	dy
5779	4640	259840	111360	371200

2- fodkl dk;Øe dk fy, ;ok ¼okbZ,QMhih½

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश के युवाओं को बड़ी संख्या में श्रमदान में शामिल करना है। यह युवाओं

के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने और श्रम की गरिमा की भावना को बढ़ावा देगा। स्वैच्छिक श्रमदान स्थानीय क्षेत्रों और समुदायों के लिए लाभकारी होगा। युवाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया। देशभर के युवाओं से कम से कम 100 घंटे प्रतिवर्ष (एक सप्ताह में 2 घंटे) श्रमदान करने की अपील की गई है।

एक बृहत आईईसी–552 जिला नेहरु युवा केन्द्रों में प्रचार एवं मीडिया अभियान चलाया गया।

fo'k"k xfrfof/k;k

1- jänku f'kfoj

शासन के लिए 100 दिनों के एजेंडा के एक भाग के रूप में, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए नेहरू युवा केन्द्रो द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के लिए कार्यवाही की गयी। जिला नेयुके द्वारा ग्राम आधारित युवा मंडलो और महिला मंडलो को स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए जागरूकता एवं प्रेरक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए सहयोग किया गया।

नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए गये जिसमें 1,01,777 युवाओं ने अनमोल मानव जीवन बचाने के लिए अपने रक्त का दान किया। इसी तरह 81028 युवाओं ने अपने आप को स्वैच्छिक रक्त दाता के रूप में नामांकित किया।

2- fo'kky o{kkjki.k vfHk;ku

100 दिनों के शासन के लिए एजेंडा के एक भाग के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।

इस अभियान का उद्देश्य जनमानस विशेष कर युवाओं को संवेदनशील करना है जिससे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा सके और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के खतरों से लड़ने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकें और धरती को बचाने के लिए कर्तव्य के रूप उनके जीवन की दिनचर्या में क्या सरल कदम उठा सकते है, उसके बारे में लोगों को प्रेरित करना भी था।

नेयुकेसं के साथ संबद्ध गांव आधारित युवा मंडलों के लिए यह विचार था कि वे अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, सड़क, नहरों, तालाबों के किनारे, पार्कों, धार्मिक स्थलों, आदि पर पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाएँ। युवा मंडलों को पौधों के पोषण के लिए और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

अभियान को सफल बनाने के लिए सचिव (वाईए) युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारो के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशो के प्रशासनो को पत्र लिखा कि जिला नेहरू युवा केन्द्रो के अधिकारिक प्रतिनिधियों को अपेक्षित संख्या में मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएँ जाएं। मंडल निदेषको द्वारा मुख्य सचिवो और जिला युवा समन्वयको द्वारा अपने–अपने जिलों में डीएम/डीसी और डीएफओ कार्यालयों में संपर्क स्थापित किया और निशुल्क पौधे जुटाए गयें।

इस अभियान के तहत, विभिन्न प्रजातियों के 63,30,034 पौधे युवा मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में लगाए गए।

fo’k"k dk;Øe ,o ifj;ktuk,

1- iqutkxj.k dk;Øe dk 'kHkkjHk

नेहरु युवा केन्द्र संगठन ने एक साल लंबे युवा जागरण 'पुनर्जागरण' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 2.10.2014 को भारत के चारों कोनों अर्थात उत्तर में लेह (जम्मू कश्मीर) पश्चिम में ओखा (गुजरात) में, दक्षिण में कन्या कुमारी (तमिलनाडु) और पूर्वोत्तर में रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एक युवा आंदोलन की उत्पत्ति करना था, जिसमें युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करते हुए शांति और विश्व बंधुत्व के संदेश का प्रचार–प्रसार करना, स्वयंसेवा की भावना को बढ़ावा देने, श्रमदान गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान का आयोजन, सरकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों जैसे जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना था।

रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) में इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मुकुट मिथी, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा दिनांक 02.10.2014 को किया गया था।

कार्यक्रम और गतिविधियों में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विकास के मुद्दों पर मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात स्वच्छ भारत पर शपथ ग्रहण समारोह शामिल थे। रोइंग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक से 3 किमी लंबी एक रैली का आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 1300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

लेह (जम्मू–कश्मीर) में पोलो ग्राउंड में श्री थुप्सतान छेवांग, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में पोलो ग्राउंड में विकासात्मक मुद्दों पर युवा सम्मेलन के पश्चात स्वच्छ

भारत शपथ ग्रहण समारोह शामिल था। पोलो ग्राउंड से पुराना बस स्टैंड से मोती बाजार के साथ मुख्य बाजार से होती हुई एक 3 किमी युवाओं की रैली निकाली गई जिसका समापन पोलोग्राउंड में हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर सफाई अभियान भी आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया।

ओखा (गुजरात) में कार्यक्रम का शुभारंभ श्री नितिन भाई वाघेला, सुश्री पुष्पाबेन, श्री गोपाल भाई चंदपब एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ओखा नगर पालिका परिसर कार्यक्रम का आयोजन स्थल था।

उद्घाटन समारोह प्रभात फेरी, प्रख्यात व्यक्तियों के भाषण, शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक और साफ–सफाई अभियान के साथ शुरू किया गया था। इसके बाद 3 किमी युवा रैली नगरपालिका रेलवे स्टेशन तक ओखा बन्दरगाह और नौसेना चौक से होती हुई गुजरी। प्रतिभागी के हाथों में तख्तियाँ, बैनरों, नारे और देशभक्ति गीतों को गाते हुए चल रहे थे। प्रतिभागियों ने राष्ट्र को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में साफ–सफाई और स्वच्छता की आदत पैदा करने के लिए शपथ ली। इस कार्यक्रम में कुल 600 युवाओं ने भाग लिया।

कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राधाकृष्णन पी, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (भारी उद्योग) द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ भारत पर माननीय प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए सफाई की आवश्यकता को महसूस करते हुए और स्वच्छता पर युवा मंडलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सरकार के कौशल को बढ़ावा देने के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे देा के लिए नई उपलब्धियों लाने की उम्मीद है। स्वच्छता पर शपथ दिलाई गई। स्वच्छ भारत और पुनर्जागरण पर युवा सम्मेलन सहित कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की गई। तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त स्वच्छता से संबंधित आईईसी सामग्री को युवा प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया।

इसके बाद गाँधी मंडल से विवेकानन्द केन्द्र तक 3 कि.मी. लंबी युवा रैली का आयोजन किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में 1000 युवाओं ने भाग लिया। इसके पश्चात विवेकानन्द केन्द्र सभागार में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

jkT; Lrjh; fooj.k iu tkxj.k dk;Øe 2014&15 dk 'kHkkjHk

jkT; dk uke	dk;Øe dk LFkku	dk;Øeks dh l[;k	ifrHkkfx;ks dh l[;k
तमिलनाडू	कन्याकुमारी	1	1000
अरुणाचल प्रदेश	रोईंग	1	1300
जम्मू एवं कश्मीर	लेह	1	1500
गुजरात	ओखा	1	600
dy		4	4400

iu tkxj.k dk vrxr jkT; Lrjh; doj ftyk dh l[;k

Ø-l-	jkT; dk uke	doj ftyk dh l[;k
1	vk/k inš'k	2
2	v#.kkpy inš'k	3
3	vklke	4
4	fcgkj	8
5	NÙkhlx<	1
6	fnYyh	1
7	Xkq tjkr	7
8	gfj;k.kk	5
9	fgekpy inš'k	3
10	tEew ,o d'ehj	9
11	dukVd	3
12	dsjy	2
13	e/; inš'k	7
14	Ekgkjk"V	6
15	iatkc	3
16	jktLFkku	8
17	rfeyukMq	8
18	rsyxkuk	1
19	mÙkj inš'k	17
20	Ikf'pe caxky	2
	dqy	100

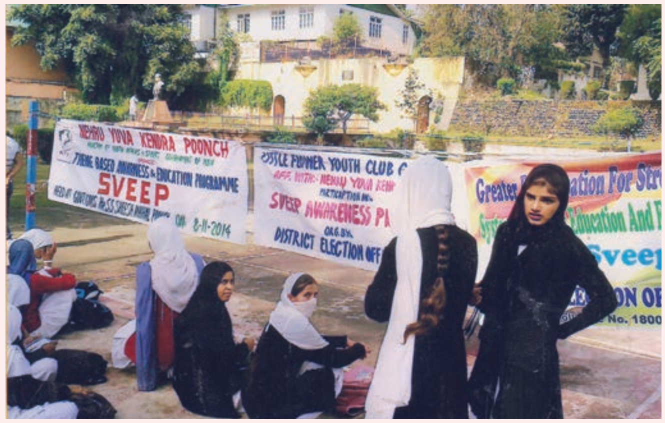

2- Hkkjr ds fuokZpu vk;ksx ds 0;ofLFkr ernkrk f'k{kk vkSj byDVksjy lgHkkfxrk ds dk;ZØe ¼Lohi½ ds fy, lg;ksx

स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली, मतदान के अधिकार के लिए जागरुकता कार्यक्रम, मतदाता पहचान कॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित करना, युवा नेताओं के साथ बैठक करना, समन्वय स्थापित करना, डोर–टू–डोर मतदाता जागरुकता अभियान, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रम वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोजित किए गए। मतदाताओं को ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, मतदाता जागरूकता पर आईईसी सामग्री के वितरण के माध्यम से शिक्षित किया गया। मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई

Hkkjr ds fuokZpu vk;ksx ¼bZlhvkbZ½ ds 0;ofLFkr ernkrk f'k{kk vkSj byDVksjy lgHkkfxrk ds dk;ZØe ¼Lohi½ ij tkx#drk dk fooj.k

Ø- l-	jkT; dk uke	ftyksa dh l[;k	doj xkoksa dh l[;k	ykHkkfFkZ;ksa dh l[;k		
				iq#"k	efgyk	dqy
1	आंध्र प्रदेश	24	13608	113917	75139	189056
2	आसाम	21	1863	137273	72642	209915
3	दिल्ली	9	177	1057	1066	2123
4	गुजरात	9	758	28853	12124	40977
5	हिमाचल प्रदेश	12	3199	16254	11988	28242
6	जम्मू एवं कश्मीर	8	1253	29885	24258	54143
7	हरियाणा	19	814	18791	12112	30903
8	कर्नाटक	13	1793	46660	29312	84972
9	केरल एवं लक्षद्वीप	9	213	17949	3772	21721
10	मध्य प्रदेश	48	8012	244412	122779	367191
11	मिजोरम	8	590	7119	5326	12445
12	पंजाब	21	3656	44738	25481	70219
13	सिक्किम	4	75	8628	7196	15824
14	तमिलनाडु	48	1984	97572	101920	199492
15	उत्तराखंड़	8	319	8589	4173	12762
16	उत्तर प्रदेश	13	3370	128115	58636	186751
	dqy	274	41684	949812	567924	1526736

गई। इस कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 274 जिलों में 41,684 गांवों को कवर किया गया जिसमें कुल 15,26,736 प्रतिभागियों को मतदान के प्रति जागरुक एवं प्रेरित किया गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेहरु युवा केन्द्रों की भूमिका की सराहना की गई।

3- 7ok tutkrh; ;ok vknku&çnku dk;Øe

यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय के साथ वित्तीय समन्वय द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित आदिवासी युवाओं को देश के अन्य भागों में ले जाया

जाता रहा है जिससे कि उन्हें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील किया जा सके और उन्हें अनेकता में एकता की संकल्पना के बारे में जागरूक किया जा सके, उन्हें देश के विभिन्न भागों में हो रही विकासात्मक गतिविधियों, तकनीकी/औद्योगिक उन्नति के बारे में जानकारी मिल सके, देश के अन्य भागों के लोगों के साथ भावात्मक संपर्क स्थापित किया जा सके और उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उनकी समझ को विकसित कर मुख्य जीवन कौशल, उनके कौशल विकास की आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें आवश्यक कैरियर परामर्श प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014–15 में गृह मंत्रालय द्वारा 7वाँ आदिवासी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत 10 स्थानों पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रुपये 1.96 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

यह कार्यक्रम चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, पुणे, बैंगलुरू, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए गए।

7वें आदिवासी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत दिल्ली में एस्कॉर्ट्स सहित 252 प्रतिभागियों को श्री प्रणब मुखर्जी भारत के माननीय राष्ट्रपति से भेंट करने का अवसर मिला और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ बातचीत की।

श्री ई.एस.एल नरसिम्हन माननीय राज्यपाल आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद में, श्री रामलिंगा रेड्डी, माननीय परिवहन मंत्री, कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर में, प्रो कप्तान सिंह सोलंकी, माननीय राज्यपाल, हरियाणा ने चंडीगढ़ में, श्री सधान पांडे माननीय उपभोक्ता मामले मंत्री, कोलकाता में,

श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, माननीय राज्यपाल आसाम ने गुवाहाटी में, श्री ओ.पी. कोहली, माननीय राज्यपाल, गुजरात ने अहमदाबाद में कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, नेयुकेसं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी और एनएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों के संभाषण के साथ शुरू किया गया था। आदिवासी युवाओं के सम्मुख आने वाली चुनौतियों पर प्रत्यक्ष रुप से चर्चा की गई और इसके बाद समूह चर्चा में भाग लेने वाले आदिवासी युवाओं के सम्मुख इन समस्याओं पर समाधान प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात संदर्भ व्यक्तियों ने समूह चर्चा और भूमिका प्रक्रिया में मदद की। वहाँ कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी सत्र थे। सीआरपीएफ द्वारा कैरियर मार्गदर्शन पर सत्र लिया और युवाओं को सीआरपीएफ और अन्य सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए देश की सेवा करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। बातचीत के कार्यक्रम के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के राज्यों के कलाकारों ने अपने पारंपरिक और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

स्थानीय शैक्षिक संस्थानों, जनजातीय मामले विभाग, राज्य सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति विकास, पंचायती राज संस्थाओं और प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिकों और शिक्षाविद आदि संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। गणमान्य व्यक्तियों और संदर्भ व्यक्तियों ने आदिवासी जनजाति आबादी के समग्र विकास और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 10 स्थानों पर आमंत्रित किया गया था।

7oa vkfnoklh ;qok vknku&çnku dk;Øe dk rgr dk;Øe LFky ij izfrHkkfx;ksa dk fooj.k

Ø-l-	dk;Øe dk uke LFkku	izfrHkkfx;ksa dh la[;k		
		iq#'k	efgyk	dqy
1	हैदराबाद	200	26	226
2	बैंगलोर	166	64	230
3	दिल्ली	165	73	238
4	जयपुर	166	71	237
5	चंडीगढ़	176	31	207
6	चैन्नई	168	79	247
7	कोलकाता	172	26	198
8	गुवाहाटी	187	73	260
9	पुणे	165	73	238
10	अहमदाबाद	212	52	264
	dqy	1777	568	2345

7o vkfnoklh ;qok vknku&inku d vrxr mifLFkr x.kekU; 0;fDr ,o vfr fof'k"V 0;fDr;k dk dk;Øe LFkyokj fooj.k

Ø-l-	dk;Øe dk uke ,o LFkku	vfr fof'k"V 0;fDr;k ,o x.kekU; 0;fDr;k dh mifLFkrh
1	हैदराबाद	श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन, माननीय उपराज्यपाल, आंध्र प्रदेश, श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, माननीय संसद सदस्य, श्री टी. प्रकाश गौड, माननीय विधायक
2	बैंगलोर	श्री रामालिंगा रेड्डी, माननीय परिवहन मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री अभयचन्द्रा जैन, माननीय युवा अधिकारिता एवं खेल तथा मत्स्य मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री एच.एस. वैंकेटेश, आईपीएस, निदेशक, युवा अधिकारिता विभाग एवं खेल, कर्नाटक सरकार, श्री बी.के. बिश्वास, अवर सचिव (एलडब्ल्यूई–II) गृह मंत्रालय भारत सरकार
3	दिल्ली	श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने प्रतिभागियों को आमंत्रित किया
4	जयपुर	श्री चेतराम मीना, माननीय गृह मंत्री, श्री हनुमान सिंह भाटी, उप कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, श्री लाल चन्द यादव, कमाण्डेंट सीआरपीएफ
5	चण्डीगढ़	प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, माननीय उपराज्यपाल, हरियाणा सरकार, पंजाब एवं प्रशासक संघ शासित, डॉ. प्रभाकांत, महानिदेशक, नेयुकेसं, श्री दीपक कुमार केडिया, निदेशक (एलडब्ल्यूईओ–II), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6	चैन्नई	श्री आनन्द जैन, निदेशक, गृह मंत्रालय, श्री एस. इलेंगो, पुलिस, डीआईजी, श्री शेखर राव परेला, उपाध्यक्ष, नेयुकेसं, श्री एम. धीना करन, कमांडेंट सीआरपीएफ
7	कोलकाता	श्री साधन पांडेय, माननीय आपूर्ति मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार
8	गुवाहाटी	श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, माननीय उपराज्यपाल, आसाम, श्री सर्बानन्द सोनोवाल, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं खेल, भारत सरकार, श्री दीपक केडिया, निदेशक, गृह मंत्रालय, श्री पी.के. सिंह, इंस्पेक्टर जनरल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीआरपीएफ, डॉ. मृदुल हजारिका, उप कुलपति, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, डॉ. किशोर झा, अतिरिक्त महानिदेशक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीआरपीएफ, श्री रविन्द्र कुमार धारीवाल, उप कमांडेंट, जीसी सेंटर, सीआरपीएफ, श्री संजीवा रॉय, कमांडेंट, जीसी सेंटर, सीआरपीएफ, गुवाहाटी
9	पुणे	श्री देवेन्द्र फडनवीस, माननीय, मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, श्री विनोद तावडे, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, श्री गिरीश बापट, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति, महाराष्ट्र सरकार,
10	अहमदाबाद	श्री ओ.पी. कोहली, माननीय उपराज्यपाल गुजरात, सुश्री आनन्दी बेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार, श्री रजनीभाई पटेल, माननीय गृह मंत्री, गुजरात सरकार, श्री दिलीप कुमार, संयुक्त निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

4- >kj[kM ljdkj vkj ;fulQ d lkFk leUo; LFkkfir dj ^ei g pfEi;u** dk;Øe

युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार, यूनिसेफ और नेहरू युवा केन्द्र संगठन, झारखंड द्वारा सितम्बर 2014 में एक कार्यक्रम 'मैं हूँ चैम्पियन' आरंभ किया गया।

श्रीमती गीता श्री उरांव, माननीय मंत्री, युवा मामले और खेल, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण झारखंड के युवाओं को उर्जा मिलेगी और विशेषकर नक्सल प्रभावी क्षेत्र के युवाओं के बीच सशक्तिकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं की क्षमताओं

को उजागर किया जायेगा उनके कौशल एवं प्रतिभा को विकसित किया जायेगा। इस अवसर पर समस्त जिले के प्रतिनिधियों को खेल सामग्री वितरित की गई।

यह कार्यक्रम झारखंड राज्य के 12 जिलों के 40 गांवों में आरंभ किया गया जैसे रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पाकुड़, गिरिडीह, सिमडेगा, चतरा, दुमका, धनबाद, गुमला और लातेहार।

युवाओं की छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने और उन्हें व्यवसायी के रुप में विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 2014 तक सामुदायिक खेल प्रशिक्षकों के 5 दिनों के आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5- dukVd jkT; e ;ok eMy d lnL;k d fy, 'kkpky; dk fuek.k

नेहरू युवा केन्द्र संगठन कर्नाटक द्वारा यूनिसेफ और कर्नाटक सरकार के सहयोग से कर्नाटक के युवा मंडल के सदस्यों के लिए संपूर्ण स्वच्छता पर एक परियोजना आरंभ की गई। इन गतिविधियों में अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यशाला, शौचालय की सुविधा के बिना युवा मंडल के सदस्यों की पहचान के लिए युवा मंडलों का सर्वेक्षण शामिल था। यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 195,000 युवा मंडल के सदस्यों के आवास में शौचालय नहीं था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय करने के बाद, शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और युवा मंडल के सदस्यों को लाभार्थियों के रुप में पंजीकृत किया गया और 44,316 युवा मंडल सदस्यों ने अपने आवास पर शौचालय का निर्माण किया।

6- LoPN Hkkjr fe'ku d fy, NRrhlx< e u;qdl rFkk ;fulQ d lkFk leUo; dk;de

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, छत्तीसगढ़ मंडल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ के साथ समन्वय स्थापित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2014 को किया गया। परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों को कवर किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता पर विशाल रैलियॉ, जिसमें स्वच्छ भारत कुशल भारत की तख्तियॉ लगाई गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए नुक्कड नाटक एवं श्रमदान शिविर आदि प्रत्येक जिले में आयोजित किए गए। जिले स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र वितरित किए जिसमें कुल 11161 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7- cht ;ok l'kfDrdj.k ;ktuk

मानव विकास के लक्ष्य बारीकी से विकास एवं युवाओं के सशक्तिकरण के साथ जुड़े हुए हैं जोकि वर्तमान जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत है। युवाओं को एक बहुमूल्य मानव संसाधन के रूप में माना जाता है और सामुदायिक विकास और अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए उनका सामाजिक, आर्थिक विकास जरूरी है। वर्तमान में राज्य में नेयुकेसं (ग्रामीण क्षेत्र) के 11,000 मजबूत युवा मंडलों का नेटवर्क

है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। इसलिए, नेयुकेसं के प्रयासों को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र युवा मंडलों को वित्तीय सहायता (अनुदान) देने के लिए 'बीजू युवा सशक्तिकरण योजना' आरंभ की है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने उडीसा में युवा मंडलों को रुपये 10,000/– प्रति युवा मंडल की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उडीसा सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया और उडीसा राज्य में 5652 युवा मंडलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। परियोजना के तहत क्षमता विकास, समारोह का शुभारंभ, वित्तीय सहायता का वितरण और युवा मंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन एकत्रित करने के लिए संवेदनशील करना शामिल था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 7.60 करोड़ की कुल राशि पात्र युवा मंडलों को वितरित की गई।

Ø- l-	dk;Øe dk uke	vof/k	frfFk --------ls --------rd	LFkku	Xkfrfof/k;k@miyfC/k;k
1	राज्य स्तरीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जिलों से जिले के पर्यवेक्षक/ संदर्भित व्यक्ति	3 दिवसीय	24.06.2013 से 26.06.2013	हॉटेल विट्स, भुवनेश्वर	राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य युवा नीति योजना और युवा सशक्तिकरण के बारे में संक्षेप में चर्चा
2	राज्य स्तरीय बीवाईएसवाई योजना के कार्यक्रम का शुभारंभ	1 दिवसीय	09.07.2013	सम्बलपुर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्राउंड	श्री एस.जे नवीन पटनाईक, माननीय मुख्यमंत्री ने उडीसा के सम्बलपुर जिले के 101 युवा मंडलों के लिए वित्तीय सहायता अनुदान उपलब्ध कराया

इस योजना का उद्देश्य एक बार अनुदान के रूप में पात्र युवा मंडलों को सहायता अनुदान राशि रुपये 10,000/— की, प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवा मंडलों को उपलब्ध कराना था।

bl ;kstuk ds mís';%

- युवा मंडल की गतिविधियों के माध्यम से समग्र रूप से युवाओं के संसाधनों को विकसित करना।
- गैर कार्यात्मक/निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करना और जहॉ यह अस्तित्व में नहीं हैं वहॉ नए युवा मंडलों का सृजन करना।
- युवा विकास और सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के लिए युवा मंडलों को सक्षम बनाना।
- अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को उपयुक्त मंच प्रदान उपलब्ध कराना।
- विकास कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं, में युवाओं की भागीदारी हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।
- युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना।
- उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ युवाओं के बीच कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।

ओडिशा सरकार की वित्तीय सहायता के अनुसार,

निम्नलिखित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

8- dksydkrk] if'pe caxky esa FkSylhfe;k ds cpko ij lEesyu ,oa dk;Z'kkyk

दिनांक 21—22 जून, 2014 से भारत स्काउट एवं गाईड परिसर में रोटरी क्लब के साथ समन्वय स्थापित कर नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा पश्चिम बंगाल में सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 14 नेहरु युवा केन्द्र, पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व राष्ट्रीय युवा कोर एन.वाईसी., राष्ट्रीय युवा कोर, पश्चिम बंगाल के 14 नेहरु युवा केन्द्रों के युवा मंडल के कार्यकर्ताओं में से 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

;|ok vk|j fd'kk|j fodkl ¼,uihokbl,Mh½ ;k|tuk d| fy, jk"Vh; dk;|Øe

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एनपीवाईएडी योजना के तहत निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

1. युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (युवा गतिविधियों और प्रशिक्षणों का संवर्धन),
2. साहसिकता शिविर (साहस का संवर्धन),
3. किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण (किशोरों का सशक्तिकरण),
4. राष्ट्रीय एकता शिविर (राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना)।

इन सभी चार घटकों को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के जिला प्रशासन के बहुमूल्य समर्थन के साथ ने.यु.के.सं. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1- ;|ok urRo vk|j 0;fäRo fodkl dk;|Øe ¼;|ok xfrfof/k;k| vk|j çf'k{k.k dk l|o/k|u½

y{; vk|j mís';%

- युवा नेताओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें गांव और युवा मंडल के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए आवश्यक गुणों से लैस करना तथा गांवों के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक–सांस्कृतिक विकास के लिए उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करना।
- ग्रामीण समुदायों में युवाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं और नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों के साथ लैस करने पर जागरूकता पैदा करना।

;ok urRo vkj 0;fäRo fodkl dk;Øe fuEu ij dsfær Fk%

- ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुण का विकास।
- जीवन कौशल शिक्षा और मूल जीवन कौशल में विसर्जन का आरोपण।
- कृषि आधारित और अन्य व्यावसायिक कौशल पर युवाओं की जागरूकता और क्षमता निर्माण।
- आत्म विकास और व्यक्तित्व प्रबंधन।
- उद्यमिता विकास और उद्यमों को शुरू करने पर सुझाव।
- कैरियर परामर्श और कैरियर मूल्यांकन।
- तनाव प्रबंधन तकनीकें।
- टीम प्रबंधन और बातचीत का कौशल।

2- jk"Vªh; ,drk f'kfoj ¼jk"Vªh; ,drk dk c<kok nuk½

राष्ट्रीय एकता शिविर का mís'; देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर, उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर देना, उन्हें विविधता में एकता के धागे को पहचानने में सक्षम करना है, जो हर भारतीय को एक सूत्र में बाँधता है। युवाओं में भाईचारे और अपनत्व की भावना को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्धारित y{;kas को कई गतिविधियों अर्थात् सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्य शिविरों, ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण परिवार के साथ निवास, सभी धर्मों के प्रवचनों और सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और भाईचारे के संदेश के साथ के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इन के

अलावा, राष्ट्रीय एकता शिविर के दौरान आपसी चर्चा, एवं विचार विमर्श, लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कर उन्हें कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया है।

1 vizSy] 2014 ls 31 ekpZ 2015 की अवधि के दौरान देश भर में 103 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों मे 18350 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

jk"Vªh; ,drk f'kfoj dh eq[; fo'ks"krk,a

jk"Vªh; ,drk f'kfoj में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- भारत, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विशिष्टताओं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन चुनौतियों को समझना।
- भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की विशिष्ट बातों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समझना।
- परंपरागत वेशभूषा में परेड (सांस्कृतिक रैली/पदयात्रा) कार्यक्रम।
- जनता में सद्भावना, शांति, विकास और एकजुटता के संदेश का प्रसार करना और सांस्कृतिक विविधता, विशिष्टता और देश की अखंडता को प्रदर्शित करना।
- प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, आपदा तैयारियां और प्रबंधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, भाषा सीखने, भारत को जानने और बुनने (नो इंडिया एंड निट इंडिया) के बारे में सूचित करने पर जोर दिया गया था।
- ऐतिहासिक स्थानों का क्षेत्रीय दौरा।

3- lkgfldrk f’kfoj ¼lkgl dk lo/ku½

mís’;%

- युवाओं में साहस और जोखिम लेने की भावना को प्रोत्साहित करना।
- प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातस्थिति के दौरान स्थिति से निपटने के लिए युवाओं की क्षमता का निर्माण।
- प्रकृति के प्रति सराहना का भाव एवं पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति भावना उत्पन्न करना।

जमीन/चट्टान, जल, वायु के क्षेत्रों में सुस्थापित रास्तों पर, रॉक क्लाइम्बिंग, रैपलिंग, सफारी, कृत्रिम चट्टान/दीवार पर चढ़ाई, साफ जल में वाटर राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग, लंबी तैराकी, जल के खेल, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे आदि गतिविधियों को आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2014.15 में 90 साहसिक शिविरों का आयोजन किया गया, इन शिविरों मे 2250 युवाओं ने भाग लिया।

4- fd’kkjk d fy, thou dk’ky çf’k{k.k ¼fd’kkjk dk l’kfädj.k½

mís’;%

- किशोरों में ऐसे व्यवहार विकसित करना जो उन्हें स्वस्थ विकल्प का चयन करने में सशक्त बनाए।
- जीवन में आने वाली जोखिम भरी स्थितियों का सामना करने के लिए उनके जीवन कौशल को मजबूत बनाना।
- एचआईवी से बचाने और किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य के मुद्दों और चिंताओं के प्रबंधन के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाना।

- उनके मुद्दों का हल करने के लिए उनकी सामूहिक क्षमता को लामबंद करना।

वर्ष 2014.15 में 263 कार्याक्रम आयोजित किये गए, इन कार्यक्रमों मे 10520 किशोर–किशोरियों ने भाग लिया।

19ok jk"Vªh; ;qok mRlo

mí';

राष्ट्रीय युवा समारोह एक मंच है, जो विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए देश के युवाओं को एक साथ मिलकर जीवन के लगभग सभी सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं को कवर करने के लिए, साथी कलाकारों के साथ और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों से अपने कला रूपों की बारीकियों को और जानने के लिए, शौकिया युवा कलाकारों को खुद को व्यक्त करने और बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है

fo"k;

प्रत्येक राष्ट्रीय युवा उत्सव एक प्रमुख विषय को अंगीकृत करता है, इस वर्ष 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय 'स्वच्छ, हरित और प्रगतिशील भारत के लिए युवा' था ।

çfrHkkxh

राष्ट्रीय युवा समारोह एक मेगा राष्ट्रीय एकता शिविर की तरह है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार 75 से 100 युवा प्रतिनिधियों का एक दल भेजती है। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) 500 छात्रों को इकट्ठा करती है और नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेस) अपने ग्राम आधारित युवा मंडलो के युवा नेटवर्क के अपने युवा प्रतिभागियों को युवा कृति , हस्तशिल्प और सामाजिक विकास मेला, खाद्य महोत्सव, युवा कलाकारों के शिविर, पूर्व राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता और इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। कुल मिलाकर लगभग 5000 प्रतिनिधि पूरे देश सें भाग लेते हैं और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

vk;kstu

उत्सव का उदघाटन 8 जनवरी, 2015 को किया गया, जिसमें सभी राज्यों के दलों ने मार्च पास्ट में अपने पारंपरिक/परंपरागत पोशाकों में भाग लिया, इसके बाद राज्य सरकार द्वारा तय किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया। समापन समारोह का आयोजन 12 जनवरी को हुआ था, जहां महोत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं/आयोजनों के विजेताओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के साथ पुरस्कार दिए गए थे।

ifjp;

19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन असम के मुख्य मंत्री श्री तरूण गोगोई और श्री सरबानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और श्री किरन रिजिजू, राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

असम के मुख्यमंत्री, श्री तरुण गोगोई ने अपने उदघाटन भाषण में कहा, 'हमारे देश के युवाऑ की जीवंतता और ऊर्जा एक मिसाल प्रस्तुत करती है यह और पूरी दुनिया को दिखाने में सक्षम है कि श्भारत सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ है।' उन्होंने आगे कहा कि इतनी विविधता के बावजूद भारत की समग्र संस्कृति अद्वितीय है।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय

युवा महोत्सव के विषय 'स्वच्छ, हरित और प्रगतिशील भारत के लिए युवा' का उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मिशन का रूप देना होगा , ताकि महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ 2019 तक भारत को स्वच्छ बना पाएं, जिनके लिए भगवान के बाद अगला स्थान स्वच्छता का था।

भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू ने 'ताकत और ऊर्जा' को युवाओं की बुनियादी विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया, जिसे सकारात्मक रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। स्वागत भाषण श्री जतिश खोसला, मुख्य सचिव, असम द्वारा दिया गया , जबकि धन्यवाद ज्ञापन श्री राजीव गुप्ता सचिव युवा मामले भारत सरकार द्वारा दिया गया था।

dk;Øe dk e[; vkd"k.k

नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा प्रतियोगितात्मक, गैर प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमों, भोजनोत्सव, युवा कलाकार शिविर, साहसिक शिविरों का आयोजन किया गया

çfr;kfxrkvksa dk ?kVukØe

शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, उपकरण, वक्तृत्व, लोक नृत्य, लोक गीत और एकांकी नाटक आदि 18 सांस्कृतिक विधाओ में प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया।

dk;Øe

- लोक नृत्य
- एकांकी नाटक
- लोकगीत
- भरत नाट्यम
- ओडिसी

- कुचिपुड़ी
- मणिपुरी
- कत्थक
- शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी
- शास्त्रीय संगीत कर्नाटक
- वक्तृत्व कला
- हारमोनियम
- मृदंगम
- बांसुरी
- वीना
- सितार
- तबला
- गिटार

xj&çfr ;kxh ?kVukØe

गैर–प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लोक नृत्य, मैजिक शो आदि विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हैं।

Hkk tu mRlo

भारत के व्यंजन मुख्याकर्षण थे, पूरे देश से लगभग 40 खाद्य स्टॉल के अलावा असमिया भोजन के 30 स्टाल लगाए गए।

;qok dykdkj f'kfoj &

लगभग 120 उभरते कलाकारों ने चित्रकारी, फोटोग्राफी और मूर्तिकला में भाग लिया। चित्रकारी का विषय 'स्वच्छ भारत, हरित भारत' और फोटोग्राफी के लिए 'विविधता में एकता' था।

lkgfld f'kfoj

कृत्रिम रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, हॉट एयर बेलूनिंग, जोरबिंग बॉलके द्वारा साहसिक पार्क में साहसिक

उत्साही लोगों के लिए पहला अनुभव दर्शकों के लिए प्रदान किया गया ।

ug: ;qok ln'k

दिन की घटनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था

lekiu lekjkg

12 जनवरी जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस है पर 19वे राष्ट्रीय

युवा महोत्सव अपने चरम पर था।, इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति जिसमें असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर , राज्य मंत्री (सूचना एवं प्रसारण), भारत सरकार, श्री सर्बानन्द सोनोवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार। इस समारोह के विशेष आकर्षण सुश्री ज्वाला गुट्टा, सुश्री मैरी कॉम और श्री सुशील कुमार थे। गणमान्य व्यक्तियों में संसद सदस्यों, भारत सरकार और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे जिन्होने इस समारोह में भाग लिया।

jk"Vªh; ;qok dkj

jk"Vªh; ;qok dkj

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर नामक योजना आरंभ की है। जिसका कार्यान्वयन नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा किया जा रहा है।

एनवाईसी योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं ...

- अनुशासित और समर्पित युवाओं के एक समूह की स्थापना, जिनमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न होने का झुकाव और भावना है।
- समावेशी विकास की प्राप्ति को सुविधान्वित करना (सामाजिक और आर्थिक दोनों)
- समुदाय में जानकारी, बुनियादी ज्ञान के प्रसार बिंदु के रूप में कार्य करना
- समूह मॉड्यूलेटर्स और सहकर्मी समूह शिक्षकों के रूप में कार्य करना
- सार्वजनिक नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम की गरिमा को बढ़ाने की दिशा में छोटे साथियों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करना।

इस योजना के प्रावधान के अनुसार, हर साल 623 जिलों में कुल 12,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया जा रहा है। 18–25 वर्ष के आयु वर्ग के स्वयंसेवकों को केवल 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए तैनात किया गया था। प्रत्येक स्वयंसेवक को मासिक मानदेय के रूप में 2500/– रुपये का भुगतान किया जा रहा है। स्वयं सेवक गांव/सामुदायिक स्तर पर युवा मंडलों और महिला मंडलों को प्रेरित करने पुनरुद्धार करने का कार्य कर रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित संख्या 12000 में से कुल 11131 राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों को देशभर में तैनात किया गया था। राज्यवार तैनाती विवरण संलग्न अनुबंध–1 में दिया गया है। प्रत्येक जिले में जहां नेहरु युवा केन्द्र है वहां प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। 123 नये जिलों में प्रत्येक जिले में 6 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। 61 नये जिलों में जहां नेहरु युवा केन्द्र नहीं है वहां भी वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्येक जिले में 3 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।

नवनियुक्त तैनात स्वयंसेवकों को 15 दिन का प्रेरण प्रषिक्षण प्रदान किया गया और दूसरे वर्ष के स्वयंसेवकों को 7 दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

यह स्वयंसेवक ग्रामीण युवा मंडलों/महिला मंडलों और जिला नेहरु युवा केन्द्रों/विकासात्मक विभागों के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

o"kZ 2014&15 ds nkSjku jkT; Lrjh; ,u-okbZ-lh- dh rSukrh

Ø-la-	jkT;	Lo;a lsodksa dh la[;k
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	36
2	आंध्र प्रदेश	470
3	अरुणाचल प्रदेश	136
4	आसाम	484
5	बिहार	1125
6	चंडीगढ	2
7	छत्तीसगढ	275
8	दादरा एवं नगर हवेली	3
9	दमन एवं दियू	10
10	दिल्ली	48
11	गोवा	17
12	गुजरात	342
13	हरियाणा	237
14	हिमाचल प्रदेश	177
15	जम्मू एवं कश्मीर	301
16	झारखंड	472
17	कर्नाटक	308
18	केरल	284
19	लक्षद्वीप	10
20	मध्य प्रदेश	625
21	महाराष्ट्र	684
22	मणिपुर	99
23	मेघालय	76
24	मिजोरम	58
25	नागालैंड	147
26	उडीसा	538
27	पांडिचेरी	36
28	पंजाब	284
29	राजस्थान	476
30	सिक्किम	58
31	तमिलनाडु	531
32	तेलंगाना	233
33	त्रिपुरा	78
34	उत्तर प्रदेश	1514
35	उत्तराखंड	175
36	पश्चिम बंगाल	782
	dqy	11131

jktHkk"kk fjiksVZ

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और युवा कार्य और खेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए गए।

1- jktHkk"kk dk;kZUo;u lfefr dh cSBd

वर्ष 2014–15 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकों (30.06.2014, 17.07.2014, 22.12.2014 एवं 17.03.2015) का आयोजन महानिदेशक, ने.यु.के.सं., की अध्यक्षता में किया गया था। इन बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्देश जारी किए गए थे बैठकों में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए निर्णय लिए गए।

2- jktHkk"kk fujh{k.k

वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 132 कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। जिसमें से नेहरु युवा केन्द्र संगठन, मुख्यालय, नेहरु युवा केन्द्र, ऊटी तथा, नेहरु युवा केन्द्र अजमेर, कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किया गया तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भी संगठन मुख्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।

3- laxBu }kjk fgUnh dk;Z'kkyk vkSj lEesyu dk vk;kstu

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालायें और सम्मेलनों का विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

dk;Z'kkyk

- तेलंगाना में 02 एवं 03 मार्च 2015 को आयोजित की गई।
- आसाम में 13.03.2015 को आयोजित की गई।
- नागालैंड, 17.02.15 को आयोजित किया गया।

lEesyu

- कोलकाता में 23.03.2015 को आयोजित किया गया।
- गुजरात में 29.03.2015 को आयोजित किया गया।

- बैंगलोर, 29.09.14 को आयोजित किया गया।
- केरल 29.11.2014 को आयोजित किया गया।

4- fgUnh fnol@i[kokMk

मुख्यालय स्तर पर दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी दिवस/पखवाडा का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितम्बर, 2014 को हिन्दी दिवस/पखवाडा का शुभारंभ किया गया।

पखवाडे के दौरान हिन्दी सुलेख, हिन्दी नारा लेखन, हिन्दी टिप्पण आलेखन, हिन्दी निबंध प्रतियोगितायें आयोजित की गई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण महानिदेशक द्वारा किया गया।

क्षेत्र के कार्यालयों में दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी दिवस/पखवाडा के दौरान गांव स्तर से राष्ट्र स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी दिवस, राजभाषा प्रदर्शनी, राजभाषा संगोष्ठी, हिन्दी सुलेख पत्र, कविता, हिन्दी निबंध, टिप्पण आलेखन, हिन्दी कवि सम्मेलन, वाद–विवाद, अंत्याक्षरी, हिन्दी गीत, राजभाषा रैलियॉ व सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम व युवा कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किये गये।

fd’kkjkoLFkk LokLF; ,o fodkl ifj;kstuk

किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना को यूएनएफपीए के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा यूएनएफपीए के पांच प्राथमिकता वाले राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा और राजस्थान के दस जिलों में लागू किया गया था।

परियोजना का –f"Vdks.k किशोरों के लिए एक ऐसा समर्थ वातावरण तैयार करना था जो प्रसन्न एवं सेहतमंद जीवन के लिए उनकी आवश्यकतों और अपेक्षाओं की पहचान करने एवं उन्हें पूरा करने की उनकी क्षमताओं में वृद्धि कर सके।

ifj;kstuk ds y{; Fks %

- प्रजनन एवं यौन मुद्दों पर लिंग संवेदनशील तरीके से अनुभवजन्य ज्ञान पर केंद्रित जीवन कुशलताओं के माध्यम से किशोर मंडल हस्तक्षेप की गुणवत्ता में वृद्धि करना और जहां भी संभव हो उन्हें युवा अनुकूल सेवाओं से जोड़ना।
- किशोरों को शिक्षा, कौशल निर्माण और बेहतर जीवन के लिए उनके सामने आने वाले मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें उचित समूहों एवं संगठनों से जोड़ना।

i|ujhf{kr j.kuhfr fuEu çdkj Fkh%

- स्व–आयोजित एवं गतिशील तर्क तैयार करना जो किशोरों को किशोर मंडल में आकर्षित करे।
- मजबूत निगरानी/कोचिंग प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान एवं गुणवत्ता पर ध्यान बढ़ाना।
- यथोचित प्रतिफल और मान्यता प्रक्रिया एवं पार विनिमय के लिए अवसर समेत एक ज्ञानोन्मुख प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली बनाना।
- सभी स्तरों पर अधिक स्वामित्व एवं साझा नेतृत्व के लिए एक तंत्र एवं प्रक्रियाः किशोर मंडल, जिला एवं राज्य स्तरीय।
- सभी अंशधारकों के बीच भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं की स्पष्टता।

ifj;kstuk dk;kZUo;u

परियोजना पांच राज्यों के 10 जिलों में 62 खंडों से आने वाले 1860 गांवों में लागू की गई थी। लक्षित गांवों में 1860 किशोर मंडलों का गठन क्षमता निर्माण, विकासशील परस्पर संवादात्मक संसाधन सामग्रियों और किशोर मंडलों में उनका लेनदेन करने युवा लोगों को आजीविका, व्यवसाय एवं शिक्षा के अवसरों से जोड़ने तथा पक्षसमर्थन एवं अभियानों के माध्यम से किशोर मंडल के

लक्ष्यों पर बड़े समुदाय को संवेदनशील करने के उद्देश्य से किया गया था।

- 2014 के जनवरी माह में, किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना के अंतर्गत 13 डीपीओ और 62 एवीपी तैनात किए गए और एम एंड ई अधिकारियों के कार्यकाल को 31 दिसंबर, 2014 तक के लिए विस्तार दिया गया था।
- यूएनएफपीए द्वारा समर्थित किशोर स्वास्थ्य एवं विकास क्षेत्र के अंतर्गत 12 , 14 फरवरी, 2014 को 'प्रयास सबका' कार्यशाला का आयोजन प्रवाह एनजीओ द्वारा यूएनएफपीए और ने.यु.कें.सं. के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य किशोर मंडल कार्यक्रम के पाठ्यक्रम पर दृष्टिकोण, भूमिकाओं, हस्तक्षेप रणनीति का निर्माण करना और प्रविष्टियां मांगना था।
- ग्राम एवं समान संवेदीकरण तथा समान शिक्षा के चयन जैसे क्षेत्र पर प्रारंभिक कार्य करने के लिए 5 राज्यों में मार्च 2014 को 2 जिला परियोजना अधिकारियों और 14 किशोर कुलीन स्वयंसेवकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- छह दिन– परियोजना के अंतर्गत 11 जिला परियोजना अधिकारियों, 52 किशोर कुलीन स्वयंसेवकों के लिए किशोर मंडल कर्मचारी सक्षमता कार्यशाला (7–12 अप्रैल 2014) का आयोजन 11 जिला तकनीकी सूत्रधारों एवं 52 खंड तकनीकी सूत्रधारों के साथ किया गया।
- दो दिन–ने.यु.के.सं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडीशा, बिहार एवं राजस्थान के 5 क्षेत्रीय निदेशकों के लिए किशोर सक्षमता कार्यशाला (22–23 अप्रैल 2014) सतारा, अमरावती, झाबुआ, मंडला, गंजम, कोरापुत, गया, पुर्णिया, उदयपुर और सतारा के 10 जिला समन्वयकों के साथ आयोजित की गई।
- 7440– कुलीन शिक्षा विशारदों को चयन 1860 गांवों से किया गया।
- 1860 – किशोर मंडल परियोजना के अंतर्गत ने.यु.के. सं. के दस जिलों में पुनर्जीवित किए गए।
- पहले चरण कुलीन शिक्षाविशारदों के प्रशिक्षण के पहले चरण की 186 पालियां पूर्ण हो गईं।
- 186 क्लस्टर में कुलीश शिक्षाविशारदों की क्लस्टर स्तरीय बैठकें 5 महीने के लिए आयोजित की गईं।
- प्रवाह (एनजीओ) द्वारा सभी 10 जिलों के साथ संयुक्त टेलीफोनिक सम्मेलन बुलाया गया जहां यूएनएफपीए के राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यालय, डि.यु.सं. (जिला युवा समन्वयक), डीपीओ, एनजीओ साझीदारों, संसाधन व्यक्तियों और प्रवाह दल ने एक मंच में साथ मिले। सम्मेलन बुलाने का व्यापक उद्देश्य निम्न प्रकार थाः
  - संपूर्ण कार्यक्रम अद्यतन को साझा करना
  - कार्यक्रम का समारोह – कोई दल जो जश्न मनाना चाहे
  - पिछले आह्वान के कार्यविवरण की समीक्षा
  - चुनौतियां एवं संभावित समाधान
  - किशोर कुलीन स्वयंसेवकों एवं खंड तकनीकी सूत्रधारों के लिए प्रज्ञता योजनाएं
- एएचडी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए हर महीने संयुक्त पाक्षिक त्रिपक्षीय बैठकें हुईं। इन बैठकों में यूएनएफपीए, ने.यु.कें.सं. एवं प्रवाह के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इसने एक मंच के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र में सामने आ रही चुनौतियों को हटाने और परियोजना कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

प्रयास अपना प्रथम चरण बैठक–1–6 को सभी दस जिलों में की गईः

- बैठक 1 का आयोजन 1854 किशोर मंडलों में 27,810 किशोर मंडल सदस्यों के लिए किया गया।
- बैठक 2 का आयोजन 1840 किशोर मंडलों में 27600 किशोर मंडल सदस्यों के लिए, बैठक 3–1729 किशोर मंडलों में 25935 किशोर मंडल सदस्यों के लिए, बैठक 4 –1684 किशोर मंडलों में 25260 किशोर मंडल सदस्यों के लिए, बैठक 5 – 1356 किशोर मंडलों में 20340 किशोर मंडल सदस्यों के लिए और बैठक 6 – 908 किशोर मंडलों में 13620 किशोर मंडल सदस्यों के लिए संचालित की गई।

- 6320 कुलीन शिक्षाविशारदों की 158 क्लस्टर स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं।
- प्रवाह (एनजीओ) द्वारा 23 दिसंबर 2014 को सभी 10 परियोजना पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त टेलीफोनिक सम्मेलन बुलाया गया।
- दूसरे चरण के कुलीन शिक्षाविशारद प्रशिक्षण की '34' पालियों का आयोजन दिसंबर 2014 के माह में 1360 कुलीन शिक्षाविशारदं के लिए आयोजित किया गया।

अनुलग्नक

o"k 2014&15 d nkjku eMyokj ftyk Lrjh; dkj dk;Øe

1 ;ok eMy fodkl dk;Øe

vuqyXud&1

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;	v- tk-			v tk-			vYila[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			dqy ;ksx		
				iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy
1	आन्ध्र प्रदेश	68	59	192	44	236	102	25	127	42	15	57	1144	85	1229	1845	63	1908	3325	232	3557
2	अरूणाचल प्रदेश	38	5	0	0	0	30	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20	50
3	असम	119	119	45	15	60	30	14	44	12	5	17	156	41	197	1053	714	1767	1296	789	2085
4	बिहार	168	168	54	12	66	46	8	54	55	18	73	288	76	364	825	303	1128	1268	417	1685
5	छत्तीसगढ	56	56	15	12	27	11	8	19	10	5	15	85	16	101	214	184	398	335	225	560
6	दिल्ली	21	21	545	242	787	0	0	0	322	114	436	655	421	1076	1800	728	2528	3322	1505	4827
7	गुजरात दमन एवं दियू	86	36	155	95	262	84	58	142	41	33	74	282	145	427	405	224	629	967	555	1522
8	हरियाणा	74	73	1942	324	2266	0	0	0	877	52	929	2514	288	2802	8174	1204	9378	13507	1868	15375
9	हिमाचल प्रदेश	55	55	98	54	152	35	10	45	10	8	18	222	54	276	531	288	819	896	414	1310
10	जम्मू एवं कश्मीर	51	51	21	18	39	25	10	35	55	27	82	124	85	209	692	456	1148	917	596	1513
11	झारखण्ड	89	61	1321	326	1647	1501	525	2026	1524	400	1924	2645	1120	3765	8811	2477	11288	15802	4848	20650
12	कर्नाटक	122	117	122	30	152	125	85	210	85	52	137	185	142	880	688	525	1213	1205	834	2039
13	केरला लक्षद्वीप	70	70	88	45	133	22	12	34	55	25	80	665	337	1002	1165	958	2123	1995	1377	3372
14	मध्यप्रदेश	205	181	2500	926	3426	2204	585	2789	1922	514	2436	7570	1902	9472	12054	3891	15945	26250	7818	34068
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	153	147	1512	542	2054	933	225	1158	855	420	1275	1885	954	2839	3512	1280	4792	8697	3421	12118
16	मणिपुर	40	40	52	12	64	55	18	73	45	22	67	455	201	656	749	297	1046	1356	550	1906
17	मेघालय	24	19	0	0	0	580	249	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	249	829
18	मिजोरम	21	21	0	0	0	92	118	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	118	210
19	नागालेण्ड	33	33	0	0	0	442	393	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	393	835
20	उडीसा	111	105	15	8	23	12	4	16	10	5	15	254	88	342	444	210	654	735	315	1050
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	80	80	920	440	1360	0	0	0	520	52	572	2525	826	3351	6652	1254	7906	10617	2572	13189
22	राजस्थान	141	82	252	325	577	125	221	346	85	35	120	663	1423	1971	1700	1872	3572	2825	3876	6701
23	सिक्किम	12	12	95	66	161	95	65	160	10	2	12	354	255	609	744	569	1313	1298	957	2255
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	156	148	560	78	25	110	22	132	251	78	329	1475	1016	2491	3954	1514	5468	6350	2708	9058
25	तेलांगना	50	45	42	12	54	25	15	40	30	12	42	1021	552	1573	1427	1222	2649	2545	1813	4358
26	त्रिपूरा	15	15	20	12	32	12	10	22	15	11	26	218	167	385	499	212	711	764	412	1176
27	उत्तर प्रदेश	296	289	2025	1120	3145	110	52	162	1085	644	1729	4450	1070	5520	13255	2794	16049	20925	5680	26605
28	उत्तराखण्ड	43	39	285	119	404	16	1	17	48	26	74	145	99	244	1445	1907	3352	1939	2152	4091
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	118	102	815	225	1040	115	55	170	154	95	249	857	313	1170	1808	854	2662	3749	1542	5291
	dqy	2515	2249	13691	5102	18793	6937	2808	9745	8118	2670	10788	30837	11676	42951	74446	26000	100446	134029	48256	182285

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;	v- tk-			v t tk-			vYila[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			d|y ;kx		
				i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y
1	आन्ध्र प्रदेश	68	68	334	212	546	385	124	509	112	56	168	174	152	326	953	692	1645	1958	1236	3194
2	अरूणाचल प्रदेश	38	29	0	0	0	600	560	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	560	1160
3	असम	119	116	335	210	345	122	478	300	175	124	299	575	186	761	846	312	1158	2053	1310	3363
4	बिहार	168	168	558	200	758	80	23	103	215	45	260	2140	154	2294	2755	550	3305	5748	972	6720
5	छत्तीसगढ	56	56	64	25	89	54	22	76	15	8	23	283	158	441	833	778	1611	1249	991	2240
6	दिल्ली	21	21	111	85	196	0	0	0	50	60	110	85	185	270	131	275	406	377	605	982
7	गुजरात दमन एवं दियू	86	78	450	240	690	452	412	864	85	65	150	542	505	1047	888	784	1672	2417	2006	4423
8	हरियाणा	74	74	514	355	869	0	0	0	85	66	151	308	274	582	897	824	1721	1804	1519	3323
9	हिमाचल प्रदेश	55	55	125	98	223	86	54	140	85	55	140	444	388	832	563	537	1100	1303	1132	2435
10	जम्मू एवं कश्मीर	51	51	55	42	97	545	354	899	65	48	113	212	110	322	468	229	697	1345	783	2128
11	झारखण्ड	89	88	275	252	527	1341	1304	2645	97	92	189	565	544	1109	652	642	1294	2930	2834	5764
12	कर्नाटक	122	122	555	244	799	244	214	458	320	254	574	766	785	1551	930	622	1552	2815	2119	4934
13	केरला लक्षद्वीप	70	70	232	122	354	55	23	78	412	155	567	1310	523	1833	1802	815	2617	3811	1638	5449
14	मध्यप्रदेश	205	202	655	254	909	1021	141	1162	645	155	800	1675	445	2120	2208	740	2948	6204	1735	7939
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	153	153	602	300	902	460	240	700	185	98	283	1554	898	2452	1550	990	2540	4351	2526	6877
16	मणिपुर	40	40	22	10	32	410	255	665	20	10	30	195	88	283	313	167	480	960	530	1490
17	मेद्यालय	24	24	0	0	0	658	307	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	307	965
18	मिजोरम	21	21	0	0	0	540	300	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	300	840
19	नागालेण्ड	33	33	0	0	0	696	635	1331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	635	1331
20	उडीसा	111	106	550	254	804	345	111	456	208	88	296	325	112	437	1540	709	2249	2968	1274	4242
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	80	80	312	275	587	0	0	0	115	105	220	349	225	574	905	840	1745	1681	1445	3126
22	राजस्थान	141	133	945	135	1080	555	65	620	112	15	127	1382	185	1567	1751	394	2145	4745	794	5539
23	सिक्किम	12	12	74	44	118	95	18	113	5	2	7	55	65	120	66	56	122	295	185	480
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	156	153	1549	1100	2649	50	28	78	198	129	327	1300	1100	2400	880	825	1705	3977	3182	7159
25	तेलांगना	50	50	55	10	65	15	10	25	25	22	47	711	252	963	824	344	1168	1630	638	2268
26	त्रिपूरा	15	15	58	32	90	25	11	36	15	11	26	154	33	187	199	39	238	451	126	577
27	उत्तर प्रदेश	296	290	450	258	708	110	85	195	1258	512	1770	2784	1654	4438	3858	1270	5128	8460	3779	12239
28	उत्तराखण्ड	43	43	300	125	425	25	10	35	25	22	47	115	85	200	658	486	1144	1123	728	1851
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	118	118	185	167	352	330	310	640	412	389	801	968	1009	1977	1785	1725	3510	3680	3600	7280
	d|y	2515	2469	9365	5049	14414	9299	6094	15393	4939	2586	7525	18971	10115	29086	28255	15645	43900	70829	39489	110318

3 विषय आधारित जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	अ. जा.			अ ज जा.			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			कुल योग		
				पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	176	176	2200	1245	3445	857	456	1313	1102	564	1666	2854	954	3808	3249	1205	4454	10262	4424	14686
2	अरुणाचल प्रदेश	77	45	0	0	0	2000	1600	3600	0	0	0	0	0	0	0		0	2000	1600	3600
3	असम	303	303	125	55	180	214	54	268	152	88	240	788	612	1400	935	879	1814	2214	1688	3902
4	बिहार	434	434	2014	1120	3134	315	254	569	2451	857	3308	9549	1574	11123	13548	3038	16586	27877	6843	34720
5	छत्तीसगढ	128	128	325	112	437	222	155	377	0	0	0	1068	954	2022	1778	1536	3314	3393	2757	6150
6	दिल्ली	39	39	550	355	905	0	0	0	205	169	374	562	488	1050	528	714	1242	1845	1726	3571
7	गुजरात दमन एवं दियू	200	174	1540	654	2194	1354	985	2339	504	215	719	2384	2152	4536	2870	2300	5170	8652	6306	14958
8	हरियाणा	193	193	1457	1005	2462	0	0	0	1125	658	1783	3952	2450	6402	4526	2059	6585	11060	6172	17232
9	हिमाचल प्रदेश	146	146	350	286	636	554	500	1054	250	101	351	2004	1954	2314	2684	2585	5269	5842	5426	11268
10	जम्मू एवं कश्मीर	132	132	452	192	644	254	124	378	584	314	898	1102	858	1960	1750	1312	3062	4142	2800	6942
11	झारखण्ड	226	218	1245	784	2029	2451	1500	3951	1124	215	1339	3240	1758	4998	6167	2548	8715	14227	6805	21032
12	कर्नाटक	315	292	1650	1625	3275	2240	2542	4782	1856	2864	4720	1969	5864	7833	2441	9684	12125	10156	22579	32735
13	केरला लक्षद्वीप	182	182	1265	878	2143	654	215	869	1587	956	2543	3512	1352	4864	4380	1579	5959	11398	4980	16378
14	मध्यप्रदेश	526	492	3345	1312	4657	7752	3521	11273	4521	1121	5642	12541	5862	18403	15225	4661	19886	43384	16477	59861
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	394	394	3134	2101	5235	1852	1240	3092	1452	656	2108	5160	4555	9715	5924	5446	11370	17522	13998	31520
16	मणिपुर	106	106	182	77	259	986	885	1871	55	25	80	985	542	1527	2091	1700	3791	4299	3229	7528
17	मेघालय	61	61	0	0	0	2800	950	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	950	3750
18	मिजोरम	44	44	0	85	85	10	218	228	0	0	0	554	455	1009	1140	1058	2198	1704	1816	3520
19	नागालेण्ड	77	77	0	0	0	1467	1410	2877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	1410	2877
20	उडीसा	274	270	1580	582	2162	3050	1245	4295	2051	945	2996	2185	1242	3427	3419	1611	5030	12285	5625	17910
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	201	201	3050	1651	4701	0	0	0	1857	524	2381	5123	1959	7082	10483	2634	13117	20513	6768	27281
22	राजस्थान	372	337	5142	1245	6387	3654	985	4639	885	112	997	6251	1245	7496	8292	2149	10441	24224	5736	29960
23	सिक्किम	28	28	175	88	263	412	152	564	0	0	0	485	352	837	673	563	1236	1745	1155	2900
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	408	401	5820	3241	9061	985	858	1843	2010	1245	3255	6485	5393	11878	10356	8877	19233	25656	19614	45270
25	तेलांगना	130	130	521	345	866	452	321	773	245	158	403	3251	456	3707	2472	1010	3482	6941	2290	9231
26	त्रिपूरा	40	40	24	14	38	15	10	25	0	0	0	850	454	1304	1631	1238	2869	2520	1716	4236
27	उत्तर प्रदेश	747	730	8512	2450	10962	1583	225	1808	3657	1524	5181	14427	8882	23309	15782	7562	23344	43961	20643	64604
28	उत्तराखण्ड	107	106	1012	524	1536	245	165	410	125	80	205	556	402	958	3044	2457	5501	4982	3628	8610
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	303	299	2945	1546	4491	1243	648	1891	1457	867	2324	4535	1324	5859	8336	1690	10026	18516	6075	24591
	कुल	6369	6178	48615	23572	72187	37621	21218	58839	29255	14258	43513	96372	54093	148821	133724	72095	205819	345587	185236	530823

4 [kyk dk ikRlkgu ¼;ok eMyk dk [ky lkexh½ vuqyXud&4

Ø- l-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	1105	1105
2	अरूणाचल प्रदेश	488	465
3	असम	1885	1384
4	बिहार	2660	2660
5	छत्तीसगढ	840	840
6	दिल्ली	255	255
7	गुजरात दमन एवं दियू	1191	836
8	हरियाणा	1117	1117
9	हिमाचल प्रदेश	874	874
10	जम्मू एवं कश्मीर	746	746
11	झारखण्ड	1366	1297
12	कर्नाटक	1933	1933
13	केरला लक्षद्वीप	1100	1100
14	मध्यप्रदेश	3195	3135
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	2388	2388
16	मणिपुर	602	602
17	मेद्यालय	346	346
18	मिजोरम	274	274
19	नागालेण्ड	444	444
20	उडीसा	1646	1646
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	1208	1208
22	राजस्थान	2214	2214
23	सिक्किम	161	161
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	2536	2536
25	तेलांगना	820	820
26	त्रिपूरा	219	219
27	उत्तर प्रदेश	4613	4609
28	उत्तराखण्ड	611	611
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	1809	1794
	dqy	38646	37619

Ø-l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;	v- tk-			v t tk-			vYila[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			dqy ;ksx		
				iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy
1	आन्ध्र प्रदेश	55	55	1585	210	1795	585	128	713	52	25	77	1211	712	1923	2045	771	2816	5478	1846	7324
2	अरूणाचल प्रदेश	35	12	0	0	0	400	200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	600
3	असम	97	97	254	150	404	45	20	65	115	30	145	575	155	730	1886	307	2193	2875	662	3537
4	बिहार	134	134	1550	550	2100	300	30	330	180	20	200	4985	750	5735	6390	1065	7455	13405	2415	15820
5	छत्तीसगढ	48	46	125	25	150	65	20	85	25	5	30	585	250	835	1179	1011	2190	1979	1311	3290
6	दिल्ली	21	21	135	100	235	0	0	0	110	60	170	611	361	972	958	575	1533	1814	1096	2910
7	गुजरात दमन एवं दियू	75	65	2015	324	2339	450	350	800	115	70	185	2241	310	2551	3100	864	3964	7921	1918	9839
8	हरियाणा	58	58	1015	425	1440	0	0	0	232	100	332	2350	620	2970	5885	1079	6964	9482	2224	11706
9	हिमाचल प्रदेश	43	43	150	90	240	100	55	155	110	65	175	1258	388	1646	3547	998	4545	5165	1596	6761
10	जम्मू एवं कश्मीर	41	41	150	55	205	650	71	721	75	25	100	910	55	965	2075	155	2230	3860	361	4221
11	झारखण्ड	73	73	2050	300	2350	2058	550	2608	255	85	340	4550	1219	5769	8624	2258	10882	17537	4412	21949
12	कर्नाटक	100	92	230	75	305	160	65	225	180	55	235	700	285	985	1064	796	1860	2334	1276	3610
13	केरला लक्षद्वीप	56	56	355	150	505	85	20	105	400	125	525	1520	1229	2749	2688	1275	3963	5048	2799	7847
14	मध्यप्रदेश	168	164	2850	550	3400	2800	520	3320	550	260	810	4950	1454	6404	13274	2380	15654	24424	5164	29588
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	123	122	1350	525	1875	880	200	1080	230	100	330	2274	1110	3384	5850	1547	7397	10584	3482	14066
16	मणिपुर	32	32	110	88	198	358	310	668	22	11	33	430	390	820	607	596	1203	1527	1395	2922
17	मेद्यालय	19	19	0	0	0	1000	441	1441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	441	1441
18	मिजोरम	19	19	0	0	0	1200	60	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	60	1260
19	नागालेण्ड	30	30	0	0	0	10605	6490	17095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10605	6490	17095
20	उडीसा	95	90	1049	356	1405	385	245	630	190	50	240	2960	1385	4345	5131	1749	6880	9715	3785	13500
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	65	65	2580	865	3445	0	0	0	525	220	745	4588	1340	5928	15072	2396	17468	22765	4821	27586
22	राजस्थान	111	105	2342	100	2442	990	120	1110	155	25	180	3637	253	3890	6889	541	7430	14013	1039	15052
23	सिक्किम	11	11	55	0	55	15	0	15	0	0	0	290	0	290	600	0	600	960	0	960
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	124	121	2520	1500	4020	150	88	238	256	100	356	2895	420	3315	5161	599	5760	10982	2707	13689
25	तेलांगना	40	40	1200	180	1380	462	130	592	35	10	45	1575	145	1720	2421	447	2868	5693	912	6605
26	त्रिपूरा	12	12	40	8	48	12	8	20	15	10	25	550	175	725	949	305	1254	1566	506	2072
27	उत्तर प्रदेश	242	240	7550	1170	8720	2300	155	2455	510	185	695	8510	3096	11606	12490	3855	16345	31360	8461	39821
28	उत्तराखण्ड	35	35	435	35	470	185	10	195	36	0	36	1545	341	1886	1051	685	1736	3252	1071	4323
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	96	96	2895	425	3320	1583	285	1868	850	215	1065	2200	280	2480	4580	1186	5766	12108	2391	14499
	dqy	2058	1994	34590	8256	42846	27823	10571	38394	5223	1851	7074	57900	16723	74623	113516	27440	140956	239052	64841	303893

10 जिला स्तरीय अंतर युवा मंडल प्रतियोगिता

क्र.सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	अ. जा.			अ ज जा.			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			कुल योग		
				पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	14	14	235	55	290	120	15	135	10	5	15	312	65	377	1006	602	1608	1683	742	2425
2	अरूणाचल प्रदेश	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	27	27	152	20	172	10	8	18	22	12	34	225	112	337	537	345	25	946	497	1443
4	बिहार	38	38	230	55	285	280	14	294	5	3	8	1110	122	1232	1245	186	1431	2870	380	3250
5	छत्तीसगढ	16	15	10	5	15	0	0	0	0	0	0	25	10	35	56	40	96	91	55	146
6	दिल्ली	9	9	95	65	160	0	0	0	65	35	100	275	131	406	562	285	847	997	516	1513
7	गुजरात दमन एवं दियू	28	21	136	74	210	86	43	129	55	16	71	961	64	1025	1950	500	2450	3188	697	3885
8	हरियाणा	19	19	125	85	210	0	0	0	100	20	120	796	129	925	1985	312	2297	3006	546	3552
9	हिमाचल प्रदेश	12	12	90	29	119	65	35	100	65	15	80	350	85	435	397	114	511	967	278	1245
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	14	120	10	130	140	5	145	145	0	145	180	20	200	427	35	462	1012	70	1082
11	झारखण्ड	22	22	455	35	490	340	30	370	285	65	350	3104	885	3989	4320	1057	5377	8504	2072	10576
12	कर्नाटक	27	24	210	116	326	115	48	163	165	75	240	230	65	295	401	227	628	1121	531	1652
13	केरला लक्षद्वीप	16	16	15	8	23	12	5	17	45	18	63	429	24	453	1115	20	1135	1616	75	1691
14	मध्यप्रदेश	48	46	956	550	1506	640	320	960	550	256	806	2845	745	3590	3921	473	4394	8912	2344	11256
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	36	35	1245	855	2100	255	180	435	125	100	225	859	650	1509	1731	1227	2958	4215	3012	7227
16	मणिपुर	10	10	20	9	29	120	55	175	18	10	28	136	25	161	525	150	675	819	249	1068
17	मेद्यालय	7	7	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
18	मिजोरम	8	8	0	0	0	314	138	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	138	452
19	नागालेण्ड	11	11	0	0	0	1438	905	2343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1438	905	2343
20	उडीसा	30	27	855	165	1020	265	115	380	125	33	158	755	434	1189	835	468	1303	2835	1215	4050
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	21	21	1845	325	2170	895	156	1051	135	60	195	3142	855	3997	4875	1531	6406	10892	2927	13819
22	राजस्थान	32	30	620	25	645	428	15	443	126	30	156	1675	29	1704	1476	53	1529	4325	152	4477
23	सिक्किम	4	4	95	15	110	90	10	100	0	0	0	135	11	146	160	24	184	480	60	540
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	32	28	1100	125	1225	200	24	224	112	40	152	769	325	1094	850	300	1150	3031	814	3845
25	तेलांगना	10	10	430	105	535	150	25	175	20	10	30	655	60	715	1027	82	1109	2282	282	2564
26	त्रिपूरा	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	24	368	344	24	368
27	उत्तर प्रदेश	71	68	1325	120	1445	45	15	60	450	112	562	2110	1100	3210	6578	1477	8055	10508	2824	13332
28	उत्तराखण्ड	13	11	385	55	440	67	12	79	58	10	68	98	37	135	525	149	674	1133	263	1396
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	29	29	1354	240	1594	220	110	330	300	200	500	1442	163	1605	2858	1013	3871	6174	1726	7900
	कुल	623	580	12103	3146	15249	6295	2933	9228	2981	1125	4106	22618	6146	28764	39706	10694	49543	83703	24044	107747

Ø- l-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;	v- tk-			v t tk-			vYi l[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			dqy ;ksx		
				iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy
1	आन्ध्र प्रदेश	192	192	45	340	385	35	234	269	12	132	144	116	425	541	212	859	1071	420	1990	2410
2	अरूणाचल प्रदेश	136	94	0	0	0	0	1425	1425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1425	1425
3	असम	346	346	0	160	160	0	112	112	0	105	105	0	1245	1245	0	1631	1631	0	3253	3253
4	बिहार	488	488	0	1021	1021	0	202	202	0	800	800	0	3503	3503	0	1794	1794	0	7320	7320
5	छत्तीसगढ	176	172	0	321	321	0	573	573	0	154	154	0	1884	1884	0	2898	2898	0	5830	5830
6	दिल्ली	78	78	61	312	373	0	0	0	15	95	110	124	404	528	210	625	835	410	1436	1846
7	गुजरात दमन एवं दियू	284	249	0	1025	1025	0	853	853	0	524	524	20	1120	1140	78	925	1003	98	4447	4545
8	हरियाणा	224	224	110	1325	1435	0	0	0	65	436	501	212	1514	1726	564	1884	2448	951	5159	6110
9	हिमाचल प्रदेश	158	158	68	325	393	12	156	168	3	85	88	68	854	922	113	1427	1540	264	2847	3111
10	जम्मू एवं कश्मीर	158	158	10	152	162	8	225	233	0	52	52	62	724	786	70	1205	1275	150	2358	2508
11	झारखण्ड	266	266	110	824	934	88	445	533	49	345	394	124	1645	1769	224	2705	2929	595	5964	6559
12	कर्नाटक	352	321	224	1012	1236	215	845	1060	121	524	645	221	3548	3769	702	5062	5764	1483	10991	12474
13	केरला लक्षद्वीप	204	180	0	221	221	0	109	109	0	113	113	112	691	803	128	2254	2382	240	3388	3628
14	मध्यप्रदेश	602	587	112	1558	1670	85	1245	1330	52	110	162	245	3521	3766	498	4646	5144	992	11080	12072
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	450	450	10	552	562	0	445	445	0	225	225	212	1072	1284	318	4545	4863	540	6839	7379
16	मणिपुर	120	120	0	18	18	0	325	0	0	101	101	0	825	825	90	806	896	90	2075	2165
17	मेघालय	76	62	0	0	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	989
18	मिजोरम	74	74	0	0	0	0	1332	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1332	1332
19	नागालेण्ड	110	95	0	0	0	0	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260	1260
20	उडीसा	342	312	0	625	625	0	424	424	0	132	132	0	2534	2534	0	4085	4085	0	7800	7800
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	244	244	0	442	442	0	0	0	0	15	15	0	1825	1825	134	3213	3347	134	5495	5629
22	राजस्थान	410	383	0	1242	1242	0	200	200	0	125	125	163	1625	1788	524	3808	4332	687	7000	7687
23	सिक्किम	40	40	0	90	90	0	126	126	0	0	0	28	125	153	52	379	431	80	720	800
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	440	439	80	1100	1180	0	30	30	20	332	352	100	1425	1525	435	4335	4770	635	7222	7857
25	तेलांगना	140	140	12	340	352	5	236	241	2	134	136	45	426	471	206	862	1068	270	1998	2268
26	त्रिपूरा	46	46	10	75	85	8	88	96	0	45	45	15	112	127	67	538	605	100	858	958
27	उत्तर प्रदेश	876	876	64	4220	4284	0	51	51	24	1858	1882	124	3044	3168	1730	6034	7764	1942	15207	17149
28	उत्तराखण्ड	138	137	0	145	145	0	98	98	0	63	63	200	442	642	264	1527	1791	464	2275	2739
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	352	352	0	1124	1124	0	0	0	0	425	425	77	1234	1311	345	2281	2626	422	5064	5486
	dqy	7522	7283	916	18569	19485	456	12028	12159	363	6930	7293	2268	35767	38035	6964	60328	67292	10967	133622	144589

6 ykd dyk ,o lLd`fr dk ikRlkgu

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;	v- tk-			v t tk-			vYi la[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			dqy ;ksx		
				iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy
1	आन्ध्र प्रदेश	14	14	12	124	136	12	85	97	5	77	82	524	254	778	789	300	1089	1342	840	2182
2	अरूणाचल प्रदेश	15	8	0	0	0	460	500	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	500	960
3	असम	27	27	88	124	212	75	102	177	55	110	165	301	126	427	423	225	648	942	687	1629
4	बिहार	38	38	384	155	539	20	10	30	215	85	300	1854	1124	2978	4677	2826	7503	7150	4200	11350
5	छत्तीसगढ	16	16	166	35	201	212	113	325	22	5	27	224	110	334	582	445	1027	1206	708	1914
6	दिल्ली	9	9	98	154	252	0	0	0	15	65	80	55	115	170	243	404	647	411	738	1149
7	गुजरात दमन एवं दियू	28	23	223	156	379	247	186	433	15	44	59	356	565	921	549	658	1207	1390	1609	2999
8	हरियाणा	19	19	755	558	1313	0	0	0	22	15	37	658	493	1151	1043	988	2031	2478	2054	4532
9	हिमाचल प्रदेश	12	12	50	33	83	42	17	59	23	14	37	154	224	378	200	385	585	469	673	1142
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	14	12	8	20	44	12	56	55	14	69	65	22	87	578	371	949	754	427	1181
11	झारखण्ड	22	21	333	185	518	945	865	1810	55	44	99	999	752	1751	1284	648	1932	3616	2494	6110
12	कर्नाटक	27	22	252	204	456	222	175	397	215	112	327	665	598	1263	1285	1200	2485	2639	2289	4928
13	केरला लक्षद्वीप	16	16	125	55	180	102	85	187	124	112	236	185	85	270	869	385	1254	1405	722	2127
14	मध्यप्रदेश	48	46	552	325	877	555	214	769	125	85	210	1854	1041	2895	3551	1265 ?		6637	2930	9567
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	36	36	712	441	1153	865	461	1326	332	200	532	2015	1124	3139	2263	1744	4007	6187	3970	10157
16	मणिपुर	10	10	11	8	19	112	85	197	0	26	26	215	185	400	351	465	816	689	769	1458
17	मेद्यालय	7	7	0	0	0	836	397	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	397	1233
18	मिजोरम	8	8	0	0	0	650	800	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	800	1450
19	नागालेण्ड	11	11	0	0	0	769	557	1326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	557	1326
20	उडीसा	30	28	750	125	875	154	52	206	55	45	100	285	125	410	1108	661	1769	2352	1008	3360
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	21	21	2312	1520	3832	0	0	0	425	265	690	1564	865	2429	3693	2165	3255	7994	4815	12809
22	राजस्थान	32	31	300	250	550	255	185	440	225	185	410	1258	234	1492	2364	884	3248	4402	1738	6140
23	सिक्किम	4	4	15	85	100	22	15	37	0	0	0	60	100	160	83	320	403	180	520	700
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	32	32	555	1010	1565	88	112	200	114	250	364	454	1180	1634	1963	784	2747	3174	3336	6510
25	तेलांगना	10	10	10	110	120	5	55	60	5	66	71	350	150	500	779	310	1089	1149	691	1840
26	त्रिपूरा	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	365	505	140	365	505
27	उत्तर प्रदेश	71	70	524	344	868	550	345	895	857	589	1446	1875	1124	2999	3396	2757	6153	7202	5159	12361
28	उत्तराखण्ड	13	12	56	25	81	20	11	31	66	35	101	245	189	434	425	649	1074	812	909	1721
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	29	29	366	200	566	155	122	277	198	54	252	1548	457	2005	3907	893	4800	6174	1726	7900
	dqy	623	598	8661	6234	14895	7417	5561	12978	3223	2497	5720	17763	11242	29005	36545	22097	51223	73609	47631	121240

7 jk"Vªh; ,oa vUrjk"Vªh; egRo ds fnolksa dk vk;kstu

vuqyXud&8

Ø-l-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;	v- tk-			v tk-			vYila[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			dqy ;ksx		
				iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy	iq:"k	efgyk	dqy
1	आन्ध्र प्रदेश	252	252	1535	1055	2590	555	205	760	1011	641	1652	2280	2015	4295	5681	3568	9249	11062	7484	18546
2	अरूणाचल प्रदेश	270	69	0	0	0	900	825	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	825	1725
3	असम	486	470	115	88	203	152	55	207	325	225	550	1245	820	2065	1434	1242	2676	3271	2430	5701
4	बिहार	684	684	1500	1224	2724	525	366	891	1245	565	1810	7584	12150	19734	15346	12760	28106	26200	27065	53265
5	छत्तीसगढ	288	288	1112	955	2067	1200	888	2088	100	85	185	1857	2250	4107	2152	1820	3972	6421	5998	12419
6	दिल्ली	162	162	1985	2018	4003	0	0	0	1458	1598	3056	1858	2858	4716	3302	4143	7445	8603	10617	19220
7	गुजरात दमन एवं दियू	504	395	4125	3686	7811	3550	2858	6408	1682	1202	2884	3113	3545	6658	7200	8500	15700	19670	19791	39461
8	हरियाणा	342	342	7201	5551	12752	0	0	0	1210	854	2064	10522	18527	29049	15247	12649	27896	34180	37581	71761
9	हिमाचल प्रदेश	216	216	1102	825	1927	854	287	1141	88	45	133	3895	3645	7540	5328	5124	10452	11267	9926	21193
10	जम्मू एवं कश्मीर	252	232	995	555	1550	665	400	1065	425	298	723	2556	1825	4381	4793	3927	8720	9434	7005	16439
11	झारखण्ड	396	375	3958	2524	6482	4585	2354	6939	2010	1542	3552	7569	6254	13823	18894	16833	35727	37016	29507	66523
12	कर्नाटक	486	467	2418	2100	4518	1356	1024	1845	2854	2300	5154	10124	15540	25664	12688	10148	22836	29440	31112	60552
13	केरला लक्षद्वीप	288	288	2500	1855	4355	2020	1110	3130	2300	1856	4156	4550	3587	8137	5924	8595	14519	17294	17003	34297
14	मध्यप्रदेश	864	864	12455	8524	20979	11559	8850	20409	8650	3210	11860	25550	20580	46130	35780	25365	61145	93994	66529	160523
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	648	660	10150	8320	18470	9550	6558	16108	5200	1650	6850	22150	25560	47710	33081	28645	61726	80131	70733	150864
16	मणिपुर	180	180	335	185	520	3548	2857	6405	15	8	23	898	550	1448	4331	1963	6294	9127	5563	14690
17	मेद्यालय	126	126	0	0	0	2500	2444	4944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2444	4944
18	मिजोरम	144	154	0	0	0	11380	9900	21280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11380	9900	21280
19	नागालेण्ड	198	128	0	0	0	11322	10458	21780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11322	10458	21780
20	उडीसा	540	305	1245	545	1790	1240	234	1474	58	25	83	1897	754	2651	3032	2645	5677	7472	4203	11675
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	378	378	9546	8025	17571	0	0	0	1425	1100	2525	8159	10215	18374	17692	15355	33047	36822	34695	71517
22	राजस्थान	576	510	12000	6500	18500	9124	6652	15776	2000	1540	3540	22561	20155	42716	24918	28201	53119	70603	63048	133651
23	सिक्किम	72	72	125	85	210	524	420	944	0	0	0	424	400	824	1502	1231	2733	2575	2136	4711
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	576	522	1100	559	1659	650	400	1050	465	300	765	9550	10520	20070	17271	20540	37811	29036	32319	61355
25	तेलांगना	180	180	500	235	735	445	255	700	125	88	213	2550	8465	11015	3859	2311	6170	7479	11354	18833
26	त्रिपूरा	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2950	2578	5528	2950	2578	5528
27	उत्तर प्रदेश	1278	1278	19223	12880	32103	525	245	770	3545	2240	5785	22451	25025	47476	50425	39500	89925	96169	79890	176059
28	उत्तराखण्ड	234	228	1800	2500	4300	525	254	779	456	335	791	2451	1012	3463	8243	7809	16052	13475	11910	25385
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	522	522	3005	2200	5205	1575	1300	2875	1895	1245	3140	2458	3850	6308	11719	5684	17403	20652	14279	34931
	dqy	11214	10419	100030	72994	173024	80829	61199	141493	38542	22952	61494	178252	200102	378354	312792	271136	583928	710445	628383	1338828

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;	v- tk-			v t tk-			vYi l[;d			vU; fiNMh tkfr			vU;			d|y ;kx		
				i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y	i|:"k	efgyk	d|y
1	आन्ध्र प्रदेश	14	14	212	110	322	150	85	235	212	98	310	300	250	550	575	397	972	1449	940	2389
2	अरूणाचल प्रदेश	15	6	0	0	0	400	200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	600
3	असम	27	27	87	50	137	75	25	100	85	25	110	145	56	201	212	231	443	604	387	991
4	बिहार	38	37	552	124	676	45	12	57	210	88	298	923	424	1347	1125	452	1577	2855	1100	3955
5	छत्तीसगढ	16	16	206	66	272	355	54	409	25	12	37	258	55	313	436	133	569	1280	320	1600
6	दिल्ली	9	9	110	80	190	0	0	0	45	30	75	80	60	140	195	520	715	430	690	1120
7	गुजरात दमन एवं दियू	28	22	335	245	580	235	152	387	74	56	130	789	550	1339	532	500	1032	1965	1503	3468
8	हरियाणा	19	19	600	440	1040	0	0	0	150	50	200	1350	800	2150	3346	1078	4424	5446	2368	7814
9	हिमाचल प्रदेश	12	12	70	50	120	65	35	100	65	45	110	300	250	550	356	387	743	856	767	1623
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	14	855	35	890	980	55	1035	555	65	620	2580	80	2660	4689	418	5107	9659	653	10312
11	झारखण्ड	22	21	250	125	375	550	300	850	175	120	295	1200	580	1780	1737	857	2594	3912	1982	5894
12	कर्नाटक	27	27	420	330	750	250	124	374	450	325	775	550	125	675	795	394	1189	2465	1298	3763
13	केरला लक्षद्वीप	16	16	75	32	107	15	10	25	110	55	165	590	385	975	1409	733	2142	2199	1215	3414
14	मध्यप्रदेश	48	48	450	360	810	150	50	200	130	45	175	2784	645	3429	4762	3391	8153	8276	4491	12767
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	36	36	645	255	900	200	150	350	120	55	175	2040	1245	3285	3413	2062	5475	6418	3767	10185
16	मणिपुर	10	10	15	8	23	310	216	526	30	20	50	200	180	380	276	242	518	831	666	1497
17	मेघालय	7	7	0	0	0	290	180	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	180	470
18	मिजोरम	8	8	0	0	0	574	425	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	425	999
19	नागालेण्ड	11	11	0	0	0	989	495	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	495	1484
20	उडीसा	30	28	525	235	760	130	88	218	30	15	45	150	110	260	1181	896	2077	2016	1344	3360
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	21	21	180	110	290	0	0	0	100	25	125	660	550	1210	2350	1152	3502	3290	1837	5127
22	राजस्थान	32	31	520	125	645	450	110	560	140	35	175	1280	250	1530	956	253	1209	3346	773	4119
23	सिक्किम	4	4	30	29	59	80	76	156	0	0	0	47	45	92	66	65	131	223	215	438
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	32	31	2105	1200	3305	80	50	130	190	120	310	1500	850	2350	2075	1282	3357	5950	3502	9452
25	तेलांगना	10	10	225	118	343	170	100	270	229	110	339	525	250	775	1200	464	1664	2349	1042	3391
26	त्रिपूरा	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	225	614	389	225	614
27	उत्तर प्रदेश	71	69	1575	678	2253	35	22	57	1130	650	1780	3120	1200	4320	4483	2920	7403	10343	5470	15813
28	उत्तराखण्ड	13	12	250	130	380	70	35	105	65	32	97	110	45	155	500	426	926	995	668	1663
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	29	29	925	200	1125	200	100	300	450	220	670	1450	350	1800	2400	1066	3466	5425	1936	7361
	d|y	623	599	11217	5135	16352	6848	3149	9997	4770	2296	7066	22931	9335	32266	39458	20544	60002	85224	40459	125683

9 ftyk Lrj ij mRd"V ;qok eMy iqjLdkj vuqyXud&10

Øa- la-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	14	14
2	अरूणाचल प्रदेश	15	7
3	असम	27	27
4	बिहार	38	4
5	छत्तीसगढ	16	12
6	दिल्ली	9	6
7	गुजरात दमन एवं दियू	28	11
8	हरियाणा	19	17
9	हिमाचल प्रदेश	12	12
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	10
11	झारखण्ड	22	10
12	कर्नाटक	27	16
13	केरला लक्षद्वीप	16	16
14	मध्यप्रदेश	48	39
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	36	34
16	मणिपुर	10	10
17	मेद्यालय	7	6
18	मिजोरम	8	8
19	नागालेण्ड	11	9
20	उडीसा	30	20
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	21	21
22	राजस्थान	32	27
23	सिक्किम	4	4
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	32	31
25	तेलांगना	10	9
26	त्रिपूरा	4	4
27	उत्तर प्रदेश	71	39
28	उत्तराखण्ड	13	9
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	29	25
	dqy	623	457

4 mRd"B ;ok eMyk dk jkT; Lrjh; ijLdkj | vuqyXud&10

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	1	1
2	अरूणाचल प्रदेश	1	0
3	असम	1	1
4	बिहार	1	0
5	छत्तीसगढ	1	0
6	दिल्ली	1	1
7	गुजरात दमन एवं दीव	2	0
8	हरियाणा	1	1
9	हिमाचल प्रदेश	1	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	1	1
11	झारखण्ड	1	1
12	कर्नाटक	1	0
13	केरला लक्षद्वीप	1	1
14	मध्यप्रदेश	1	1
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	2	0
16	मणिपुर	1	1
17	मेद्यालय	1	1
18	मिजोरम	1	1
19	नागालेण्ड	1	1
20	उडीसा	1	0
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	1	0
22	राजस्थान	1	1
23	सिक्किम	1	1
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	2	1
25	तेलांगना	1	1
26	त्रिपूरा	1	0
27	उत्तर प्रदेश	1	1
28	उत्तराखण्ड	1	1
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	2	1
	dqy	33	21

10 ;ok dk;ldek ij ftyk lykgdkj lfefr dh cBdi — vuyXud&11

Ø- l-	jkT;	fu/kkfjr y{;	ikIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	28	23
2	अरूणाचल प्रदेश	30	13
3	असम	54	52
4	बिहार	76	30
5	छत्तीसगढ	32	17
6	दिल्ली	18	7
7	गुजरात दमन एवं दियू	56	30
8	हरियाणा	38	32
9	हिमाचल प्रदेश	24	22
10	जम्मू एवं कश्मीर	28	21
11	झारखण्ड	44	15
12	कर्नाटक	54	16
13	केरला लक्षद्वीप	32	28
14	मध्यप्रदेश	96	68
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	72	57
16	मणिपुर	20	20
17	मेद्यालय	14	12
18	मिजोरम	16	16
19	नागालेण्ड	22	21
20	उडीसा	60	25
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	42	39
22	राजस्थान	64	41
23	सिक्किम	8	4
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	64	34
25	तेलांगना	20	16
26	त्रिपूरा	8	4
27	उत्तर प्रदेश	142	90
28	उत्तराखण्ड	26	11
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	58	51
	dy	1246	815

2 ;qok dk;Zdeksa ij jkT; lykgdkj lfefr dh cSBd vuqyXud&12

Ø- l-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	izkIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	2	0
2	अरूणाचल प्रदेश	2	0
3	असम	2	2
4	बिहार	2	0
5	छत्तीसगढ	2	2
6	दिल्ली	2	0
7	गुजरात दमन एवं दियू	2	0
8	हरियाणा	2	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	2	1
11	झारखण्ड	2	1
12	कर्नाटक	2	1
13	केरला लक्षद्वीप	2	1
14	मध्यप्रदेश	2	0
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	2	2
16	मणिपुर	2	0
17	मेद्यालय	2	1
18	मिजोरम	2	2
19	नागालेण्ड	2	2
20	उडीसा	2	1
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	4	2
22	राजस्थान	2	1
23	सिक्किम	2	1
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	2	0
25	तेलांगना	2	0
26	त्रिपूरा	2	1
27	उत्तर प्रदेश	2	0
28	उत्तराखण्ड	2	0
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	2	0
	dqy	60	22

राज्य/जोनल स्तरीय कोर कार्यक्रम वर्ष 2014–15

1 राज्य युवा सम्मेलन (युवा कृति) | अनुलग्नक-13

क्र. सं.	राज्य	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	अ. जा.			अ. ज. जा.			अल्पसंख्यक			अन्य पिछड़ी जाति			अन्य			कुल योग		
				पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	1	1	55	25	80	5	2	7	5	3	8	20	10	30	45	30	75	130	70	200
2	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	1	20	6	26	20	11	31	35	18	53	20	0	20	85	52	137	180	87	267
4	बिहार	1	1	8	5	13	8	3	11	6	0	6	25	22	47	87	46	133	134	76	210
5	छत्तीसगढ	1	1	12	5	17	16	5	21	0	0	0	0	0	0	55	25	80	83	35	118
6	दिल्ली	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	275	505	230	275	505
7	गुजरात दमन एवं दियू	1	1	11	3	14	8	2	10	5	0	5	12	5	17	155	39	194	191	49	240
8	हरियाणा	1	1	30	18	48	10	7	17	0	0	0	30	20	50	146	118	264	216	163	379
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	15	8	23	10	5	15	0	0	0	18	10	28	82	69	151	125	92	217
10	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	15	5	20	0	0	0	0	0	0	18	13	31	138	99	237	171	117	288
11	झारखण्ड	1	1	24	15	39	11	8	19	10	6	16	35	25	60	88	78	166	168	132	300
12	कर्नाटक	1	1	23	13	36	15	10	25	12	10	22	58	14	72	55	44	99	163	91	254
13	केरला लक्षद्वीप	1	1	15	10	25	10	8	18	15	8	23	15	10	25	33	20	53	88	56	144
14	मध्यप्रदेश	1	1	15	8	23	12	4	16	0	0	0	25	10	35	28	15	43	80	37	117
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	1	1	20	10	30	10	5	15	5	0	5	31	25	56	67	47	114	133	87	220
16	मणिपुर	1	1	7	5	12	60	50	110	8	4	12	35	38	73	42	60	102	152	157	309
17	मेद्यालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	1	0	0	0	103	119	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	119	222
19	नागालेण्ड	1	1	0	0	0	72	89	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	89	161
20	उडीसा	1	1	5	3	8	5	13	18	0	0	0	30	30	60	32	43	75	72	89	161
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	1	1	25	22	47	12	13	25	10	5	15	85	40	125	157	112	269	289	192	481
22	राजस्थान	1	1	10	0	10	8	0	8	5	0	5	36	4	40	68	8	76	127	12	139
23	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	31	35	54	89	52	68	120
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तेलांगना	1	1	60	20	80	5	5	10	5	2	7	50	21	71	125	61	186	245	109	354
26	त्रिपूरा	1	1	15	20	35	8	4	12	5	0	5	0	0	0	78	73	151	106	97	203
27	उत्तर प्रदेश	1	1	37	2	39	2	0	2	2	2	4	31	5	36	186	30	216	258	39	297
28	उत्तराखण्ड	1	1	20	16	36	2	2	4	2	2	4	8	5	13	28	20	48	60	45	105
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	1	1	22	10	32	10	2	15	9	4	13	112	11	123	184	47	231	337	74	411
	कुल	29	26	464	229	693	422	367	792	139	64	203	711	332	1043	2229	1465	3694	3965	2457	6422

3 ;kstuk leh{kk ,o vuorh cBd	vuyXud&14

Ø- l-	jkT;	fu/kkZfjr y{;	ikIr y{;
1	आन्ध्र प्रदेश	4	4
2	अरूणाचल प्रदेश	4	0
3	असम	4	3
4	बिहार	4	4
5	छत्तीसगढ	4	6
6	दिल्ली	4	4
7	गुजरात दमन एवं दियू	4	2
8	हरियाणा	4	7
9	हिमाचल प्रदेश	4	4
10	जम्मू एवं कश्मीर	4	4
11	झारखण्ड	4	4
12	कर्नाटक	4	1
13	केरला लक्षद्वीप	4	5
14	मध्यप्रदेश	4	3
15	महाराष्ट्र एवं गोवा	4	4
16	मणिपुर	4	4
17	मेद्यालय	4	2
18	मिजोरम	4	4
19	नागालेण्ड	4	4
20	उडीसा	4	4
21	पंजाब एवं चण्डीगढ	4	4
22	राजस्थान	4	4
23	सिक्किम	4	4
24	तमिलनाडू एवं पांडीचेरी	4	3
25	तेलांगना	4	4
26	त्रिपूरा	4	1
27	उत्तर प्रदेश	4	4
28	उत्तराखण्ड	4	4
29	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार	4	4
	dqy	116	105

परीक्षित लेखा

ug# ;ok dUn lxBu
okf"kd y[k
fnukd 31-03-2015 dk rqyu i=

¼jkf'k #i;k e½

31-03-2014 dk	n; rk,	vuqlph	31-03-2015 dk
103,400,838	dkil@iathxr fuf/k	1	102,334,517
460,284,404	fu/kkfjr@foU;kl fuf/k ¼;ok dk;Øe ,o [ky e=ky;½	2	467,274,916
645,774,158	fu/kkfjr@foU;kl fuf/k ¼fo'k"k dk;Øe½	3	621,558,795
300,760,871	fu/kkfjr@foU;kl fuf/k ¼ik;kftr dk;Øe½	4	252,191,442
461,830,507	pkyw n; rk, ,o iko/kku	5	534,831,911
1,972,050,778	dqy		**1,978,191,580**
31.03.14 rd	ifjlEifÙk;k		**31.03.15** rd
103,400,838	LFkk;h ifjlEifÙk;k	6	102,334,517
1,868,649,940	pkyw ifjlEifÙk;k _.k ,o vfxze	7	1,875,857,063
1,972,050,778	dqy		**1,978,191,580**

अंतिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तथा अनुसूची के संलग्न अनुबंध इसका अभिन्न भाग है।
सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बीएनपीएसवाई एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ctt'k cly	,l-d- Bkdj	etj tujy fnykoj flg ¼lokfuoÙk½
(पार्टनर)	(निदेशक, वित्त)	(महानिदेशक)

दिनांक 09.06.2016
स्थान : दिल्ली

31-03-2015 dks lekIr o"kZ ds fy, izkfIr ,oa Hkqxrku y[kk

¼jkf'k #i;ksa esa½

31-03-2014	izkfIr;k	vuqlwph	31-03-2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31-03-2014 dks lekIr o"kZ ds fy,	Hkqxrku	vuqlwph	31-03-2015 dks lekIr o"kZ ds fy,
	izkjfEHkd tek				LFkkiuk ,oa vU; O;;		
77,507	नकद		171,225	936,978,003	स्थापना व्यय	13	1,099,622,393
1,096,009,334	बैंक		1,319,389,997	166,477,569	अन्य प्रशासनिक व्यय	14	169,392,863
2,265,966	फंड टांजिस्ट		739,290	91,527	बैंक शुल्क	16	186,903
	Hkkjr ljdkj ls izkIr fuf/k				dk;ZØe O;;		
	वर्ष की अनुदान राशि			319,561,338	नियमित कार्यक्रम	15	466,032,089
1,492,448,510	नियमित अनुदान/छूट	9	1,686,500,000	426,001,256	विशेष कार्यक्रम	3	484,314,835
444,137,350	विशेष कार्यक्रम	3	443,892,813	114,214,939	प्रायोजित कार्यक्रम	4	168,602,524
39,937,812	प्रायोजित कार्यक्रम	4	68,546,572				
	जोडे : वर्ष के आरंभ में प्राप्त						
	घटाये : वर्ष के अंत के दौरान	4		14,315,500			
126,952,908	अन्य एजेंसियॉ/मंडलों		91,240,347	13,858,345	वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों की कीमत		7,844,055
	अन्य एजेंसियों को अनुदान लौटाने के संबंध में		-				
	वेतन एवं लेखा कार्यालयों से अनुदान		-				
	oru ,oa y[kk dk;kZy;@eaMyksa dk;kZy;ksa dk			(9,825,297)			
	vfxze iqulek;ktu grq yafcr & lanHkZ ijk				एजेंसी को लौटायी गई	4	-
				17,136,716	विशेष कार्यक्रमों को लौटाई गई	3	742,856
662,774	विविध आय	12	957,243		प्रायोजित कार्यक्रमों को लौटाई गई	4	35,011,713
33,818,431	बचत बैंक पर ब्याज	11	37,833,965		मुख्यालय को लौटाई गई		-
13,224,765	बचत बैंक पर ब्याज (प्रायोजित + विशेष कार्यक्रम)	3+4	13,078,498				
17,272,388	दीर्घावधि जमा पर ब्याज		24,701,113				
30,456	दीर्घावधि अग्रिम पर ब्याज		9,800		var 'ks"k		
	युवा मैनुअल की बिक्री	8	57,743	171,225	नकद		239,238
63,981	संबद्धता शुल्क	10	8,950				
	अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री			1,319,389,997	बैंक		1,421,056,211
	जमा से कुल प्राप्तियां		74,254	739,290	फंड टांजिस्ट		-
	अग्रिम से कुल वसूली		92,398,044				
	महानिदेशक राहत कोष		440,639				
52,208,225	मौजूदा लेनदारों से कुल अतिरिक्त प्राप्तियां		73,005,187				
3,319,110,407			**3,853,045,679**	**3,319,110,407**	**-**		**3,853,045,679**

i}/ku fjiksVZ dk lkFk y[kk ij fVIi.kh 18

अंतिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तक अनुबंध इसका अभिन्न अंग है

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बीएनएसवाई एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

cztsk cly
¼ikVZuj½

fnukad : 09/06/2016

LFkku % ubZ fnYyh

, l- d- Bkdqj
¼funs'kd foRr½

eksj tujy fnykoj flag ¼lsokfuoRr½
¼egkfuns'kd½

ug# ;qok dsUnz lxBu

okf"kZd ys[kk

31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; ,oa 0;; ys[kk

¼jkf'k #i;ksa esa½

31-03-2014 dks lekIr gksus okys iwoZ o"kZ ds fy,	vk;	vuqlwph	31-03-2015 dks lekIr gksus okys o"kZ ds fy,
	vk;		
-	विक्रय से आय	8	57,743
1,492,448,510	अनुदान/छूट	9	1,686,500,000
63,981	शुल्क/अंषदान	10	8,950
51,121,275	अर्जित ब्याज	11	62,544,878
662,774	अन्य आय	12	957,243
1,544,296,539	dqy ¼,½		**1,750,068,814**
	0;;		
936,978,003	स्थापना व्यय	13	1,099,622,393
166,477,569	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	169,392,863
319,561,338	व्यय (कार्यक्रम)	15	466,032,089
91,527	बैंक प्रभार	16	186,903
1,423,108,437	dqy ¼c½		**1,735,234,248**
121,188,103	0;; ij vk; vf/kD; ds 'ks"k ¼, & c½ सामान्य रिजर्व को/से स्थानान्तरित		**14,834,566**
121,188,103	dkiZl fuf/k@iwathxr fuf/k esa LFkkukUrfjr		**14,834,566**

[kkrks ij egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;kWa ys[kk ij ukWV~l

अंतिम लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 1 से 18 तथा अनुसूची के संलग्न अनुबंध इसका अभिन्न भाग है

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बीएनएसवाई एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

cts’k cSly
¼ikVZuj½

,l-ds- Bkdqj
¼funs’kd] foÙk½

estj tujy fnykoj flag ¼lsokfuoÙk½
¼egkfuns’kd½

दिनांक : 09.06.2016
स्थान : दिल्ली

fnukd 31-03-2015 dk r|yu i= dh vu|l|ph

	d|y	d|y
vu|l|ph&1 dki l|@i|thxr fuf/k	31-03-15 dk	31-03-14 dk
o"k d vkjHk e 'k"k	103,400,838	98,718,206
जोडे : पूंजीगत व्यय की वृद्धि/समायोजन के लिए	7,844,055	13,946,099
जोडे : प्रधान कार्यालय से स्थानान्तरित अचल संपत्ति	-	-
घटायें : मूल्यह्रास	8,910,376	9,175,713
घटायें : वर्ष के दौरान कटौती	-	87,754
o"k d vr e 'k"k	**102,334,517**	**103,400,838**

	d|y	d|y
vu|l|ph&2 fu/kkfjr fuf/k ¼;|ok dk;Øe ,o [ky e=ky;½	31-03-15 dk	31-03-14 dk
,½ fuf/k dk vkfn 'k"k	460,284,404	352,954,647
ch½ tkM % 0;; ij vk; vf/kD; e vk; ,o 0;; y[kk lLFkkukUrj.k	-	
vk; ,o 0;; [kkr l	14,834,566	121,188,103
	-	
	-	
	-	
vu|l|ph 3	-	
vu|l|ph 3 ch	-	
	-	
d|y ¼,$ch½	**475,118,971**	**474,142,750**
lh & fuf/k d mnn';k d vu#i 0;;@mi;kfxrk	-	
1. पूंजीगत व्यय	-	
– स्थाई परिसंपत्ति	7,844,055	13,858,345
– अन्य		
d|y ¼lh½	**7,844,055**	**13,858,345**
d|y n; 'k"k@¼&½ o"k vr d nkjku ikIr ¼,chlh½	**467,274,916**	**460,284,404**

vuqlwph&3 fu/kkZfjr fuf/k ¼fo'ks"k dk;Øe½	jk"Vªh; ,drk f'kfoj	;qok usr`Ro 0;fDrRo fodkl dk;Øe	vrjkZT;h; ;qok feyu	jk"Vªh; ;qok mRlo	;qok dkjoka	tkxfr ;qok mRlo	jk"Vªh; ;qok dehZ ;kstuk	vkj,lokb@,uvkjlh	fd'kksjkoLFkk dk;Øe	;qok xfrfof/k;ka ,oa if'k{k.k
,½ fuf/k dk vkfn 'ks"k	9,513,933	1,346,098	9,620,354	698,093	(1,352,327)	1,739,977	137,029,082	112,291,603	(6,880,279)	(5,800,151)
ch½ o"kZ ds nkSjku lek;kstu										
lh½ vfrfjDr fuf/k										
i प्राप्त अनुदान (वेतन एवं लेखा में प्राप्ति सहित)	50,086,813	15,000,000	-	8,402,000	-	-	-	-	14,329,000	-
ii अन्य अतिरिक्त (अर्जित ब्याज)	57,890								10,065	
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 4 में स्थानान्तरित									**(622,917)**	
iv नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 और 7 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	**1,352,327**	-	-	-	-	**5,800,151**
v वेतन एवं लेखा स्तर पर अर्जित										
vi अन्य कॉलमो में स्थानान्तरित				-						
dqy ¼,chlh½	**59,658,635**	**16,346,098**	**9,620,354**	**9,100,093**	-	**1,739,977**	**137,029,082**	**112,291,603**	**6,835,869**	-
Mh½ fuf/k ds mn~ns';kas ds izfr mi;ksfxrk@0;;										
1. पूंजीगत व्यय										
– स्थायी परिसंपत्तियॉं										
– अन्य										
उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. राजस्व स्थापना व्यय										
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि										
– किराया										
– अन्य प्रशासनिक व्यय										
उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. राजस्व कार्यक्रम व्यय	43,223,449	3,436,155	9,826,286	5,553,989			696,770	-	7,614,106	-
उप कुल	43,223,449	3,436,155	9,826,286	5,553,989	-	-	696,770	-	7,614,106	-
b½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k			192,201	141,524					52,193	
कुल (डी + ई)	**43,223,449**	**3,436,155**	**10,018,487**	**5,695,513**	-	-	**696,770**	-	**7,666,299**	-
dqy ns; jkf'k@¼&½ o"kZ ds vUr esa iklr ¼,chlh&Mh&b½	**16,435,186**	**12,909,943**	**(398,133)**	**3,404,580**	-	**1,739,977**	**136,332,312**	**112,291,603**	**(830,430)**	-

vuqlwph&3 fu/kkZfjr fuf/k ¼fo'ks"k dk;Øe½	lqukeh dk;Z f'kfoj@ lgk;rk dUnz	lkgfld dk;Øe	jk"Vªh; ;qok dkj	iqjLdkj jkt ØhMk vfHk;ku	Hkkjr tkuks dk;Øe	phu ifrfuf/k eMy	iMksl ;qok lln	vU; dk;Øe 0;;	oru y[kk dk;ky;@ eMy dk;ky;ksa ds yfcr vfxzeksa dk lek;kstu	31-03-2015 dks 'ks"k
,½ fuf/k dk vkfn 'ks"k	(1,706,201)	5,005,829	383,844,615	(5,127,044)	500,000	78,237	-	(330,470)	5,302,809	645,774,158
ch½ o"kZ ds nkSjku lek;kstu										
lh½ vfrfjDr fuf/k										
i प्राप्त अनुदान (वेतन एवं लेखा में प्राप्ति सहित)	-	9,375,000	224,600,000	-	-	-	122,100,000	-	-	443,892,813
ii अन्य अतिरिक्त (अर्जित ब्याज)			10,961,657				886,971			11,916,582
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 4 में स्थानान्तरित			2,295,376		(195,395)					1,477,064
iv नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 और 7 में स्थानान्तरित	1,706,201	-	-	-	-	-	-	-	(5,302,809)	3,555,870
v वेतन एवं लेखा स्तर पर अर्जित										-
vi अन्य कॉलमो में स्थानान्तरित		-			78,237	(78,237)				-
dqy ¼,chlh½	-	14,380,829	621,701,648	(5,127,044)	382,842	-	122,986,971	(330,470)	-	1,106,616,486
Mh½ fuf/k ds mn~ns';ksa ds ifr mi;ksfxrk@0;;										
1. पूंजीगत व्यय										
– स्थायी परिसंपत्तियॉं										
– अन्य										
उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. राजस्व स्थापना व्यय										
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि										
– किराया										
– अन्य प्रशासनिक व्यय										
उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. राजस्व कार्यक्रम व्यय		13,989,676	343,715,223	-	190,041		56,069,140			484,314,835
उप कुल	-	13,989,676	343,715,223	-	190,041	-	56,069,140	-	-	484,314,835
b½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k		130,619			226,319					742,856
कुल (डी + ई)	-	14,120,295	343,715,223	-	416,360	-	56,069,140	-	-	485,057,691
dqy n; jkf'k@¼&½ o"kZ ds vUr esa ikIr ¼,chlh&Mh&b½	-	260,534	277,986,425	(5,127,044)	(33,518)	-	66,917,831	(330,470)	-	621,558,795

vuqlwph & 4 ¼ifj;kstuk dk;ZØe½	,M~l tkx#drk dk;ZØe	fd'kksjkoLFkk ;kSu,Qih	;wl	dkÅfUlfyax tk ,M~ dk ,uokbZlh	o{kkjksi.k ij tkx#drk	cPps ykbu lsok	ftyk Lrjh; ,tfUl;k
vkfn 'ks"k	3,597,394	66,758,867	(186,500)	3,217,645	353,499	(1,789,543)	45,827,203
,½ iwufofu;kstu ds iHkko ds Ik'pkr vkfn 'ks"k	3,597,394	66,758,867	(186,500)	3,217,645	353,499	(1,789,543)	45,827,203
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान		17,326,375	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	(2,295,376)	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	(7,376,112)	(2,702,120)	-		-	(898,960)	
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज		-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							90,297,000
dqy ¼,\$ ch½	**(3,778,719)**	**81,383,122**	**(186,500)**	**922,269**	**353,499**	**(2,688,503)**	**136,124,203**
lh½ fuf/k;ksa mn~ns';ksa ifr mi;ksxrk@O;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉ							
– अन्य							
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय	-	20,136,384					126,347,945
mi dqy	-	**20,136,384**	-	-	-	-	**126,347,945**
Mh½ lEifRr;ksa dk ykxr;h xbZ jkf'k							17,207,997
dqy ¼lh \$ Mh ½	-	**20,136,384**	-	-	-	-	**143,555,942**
dqy n~; jkf'k@¼&½ o"kZ ds var esa iklr ¼,\$ ch & lh & Mh½	**(3,778,719)**	**61,246,738**	**(186,500)**	**922,269**	**353,499**	**(2,688,503)**	**(7,431,739)**

vu|lph & 4 ¼ik;kftr dk;Øe½	u'k dk n"ifj.kke dk;Øe ¼lkekftd U;k; ,o vf/kdkfjrk e=ky;½	,Ldi	fon'kh ;kxnku	ththt	gLdk	vkbl lhMh, l	ekle eLdku	vkbl, l,p,e ¼vk;"k½
vkfn 'k"k	6,657,820	573,541	6,374,112	(82,860)	(69,550)	(1,332,601)	303,750	(1,139,405)
,½ iu|fofu;kstu dk iHkko dk lk'pkr vkfn 'k"k	6,657,820	573,541	6,374,112	(82,860)	(69,550)	(1,332,601)	303,750	(1,139,405)
ch½ vfrfjDr fuf/k								
i प्राप्त अनुदान	30,929,100	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में		(573,541)	9,026,052	249,528				
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	88,974	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन								
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त								
d|y ¼, $ ch½	**37,586,920**	**-**	**15,489,138**	**166,668**	**(69,550)**	**(1,332,601)**	**303,750**	**(1,139,405)**
lh½ fuf/k;k mnns';k ifr mi;kfxrk@0;;								
i पूंजीगत व्यय								
– स्थायी परिसंपत्तियॉं								
– अन्य								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय								
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि								
– किराया								
– अन्य प्रशासनिक व्यय								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय	120,353		21,961		-	-	-	
mi d|y	**120,353**	-	**21,961**	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvk dk ykVk;h xbl jkf'k								
d|y ¼lh $ Mh ½	**120,353**	-	**21,961**	-	-	-	-	-
d|y n; jkf'k@¼ & ½ o"k dk vr e ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	**37,466,567**	-	**15,467,177**	**166,668**	**(69,550)**	**(1,332,601)**	**303,750**	**(1,139,405)**

vu|lph & 4 ¼ik;kftr dk;Øe½	tu f'k{kk ¼t;,l,l d½	tx &,& vktknh	tEe ,o d'eh j mRlo	dvkjokbZ lhbZih	dohvkbZlh ¼dk;Z'kkyk½	,eth ujsxk	lpuk ,o ifjlaj.k e=ky; ¼vktknh ,Dlizsl½ dk;Øe
vkfn 'k"k	(182,152)	17,832,633	(908,793)	(2,925,331)	(111,682)	15,942,002	1,194,750
,½ iqufofu;kstu ds iHkko ds lk'pkr vkfn 'k"k	(182,152)	17,832,633	(908,793)	(2,925,331)	(111,682)	15,942,002	1,194,750
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	(1,845,022)	(1,418,797)	908,793	(709,127)			
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	304	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							
dqy ¼,$ ch½	(2,027,174)	16,413,836	-	(3,634,155)	(111,682)	15,942,002	1,194,750
lh½ fuf/k;ksa mn~ns';ksa ifr mi;ksfxrk@0;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉं							
– अन्य							
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय	-	78,800				10,112	
mi dqy	-	78,800	-	-	-	10,112	-
Mh½ lsLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k						15,930,626	
dqy ¼lh $ Mh ½	-	78,800	-	-	-	15,940,738	-
dqy n; jkf'k@¼ & ½ o"kZ ds vUr esa iklr ¼,$ ch & lh & Mh½	(2,027,174)	16,335,036	-	(3,634,155)	(111,682)	1,264	1,194,750

vu|l|ph & 4 ¼i|k;k|f|t r dk;Øe½	e|jh /kjrh e|jk dÙk0;	u|g| ?k|?k#	jk"Vh; ;|ok l|l n	i|okÙkj l|Ldf|r vk|nku&i|nku dk;|Øe	dk|fj;k|b@ p|hu Vh|e HkkV	fu|j|rj dk;|'kkyk	fue|y fog|kj LoPN|rk dk;|Øe	,u,y,e
vkfn 'k"k	(1,038,484)	553,060	4,000	10,267,365	(15,600)	(208,532)	204,883	4,288,760
,½ i|u|fofu;k|tu d| i|Hkko d| Ik'pkr vkfn 'k"k	(1,038,484)	553,060	4,000	10,267,365	(15,600)	(208,532)	204,883	4,288,760
ch½ vfrfjDr fuf/k								
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	(553,060)	(251,390)	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	186,262	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में				(6,333,715)				
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन								
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त								
d|y ¼, $ ch½	**(1,038,484)**	**-**	**(247,390)**	**3,933,650**	**170,662**	**(208,532)**	**204,883**	**4,288,760**
l h½ fuf/k;k| mnn|';k| ifr mi;k|fxrk@0;;								
i पूंजीगत व्यय								
– स्थायी परिसंपत्तियॉं								
– अन्य								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय								
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि								
– किराया								
– अन्य प्रशासनिक व्यय								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय	72,577		265,000		-		-	
mi d|y	**72,577**	**-**	**265,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mh½ l|LFkkvk| dk ykVk;h xb| jkf'k								
d|y ¼l h $ Mh ½	**72,577**	**-**	**265,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"k| d| vr e| ikIr ¼, $ ch & l h & Mh½	**(1,111,061)**	**-**	**(512,390)**	**3,933,650**	**170,662**	**(208,532)**	**204,883**	**4,288,760**

vu|lph & 4 ¼i|k;kftr dk;Øe½	,u vkj ,p ,e	,uvkjvkbl ¼Hkkjr tkuk dk;Øe½	mÙkj iohZ fofo/k dk;Øe	vU; dk;Øek ij 0;;	i|pk;rh jkt j|yh	jkM fjcu ,Dl i|l	vkjth jk"Vh; ;|ok fnol ¼vkj th ,u vkbl okbl Mh½	,l th ,lokbl
vkfn 'k"k	222,780	(313,108)	(16,156,554)	(144,187)	(23,433)	5,722,272	(601,405)	86,511,857
,½ i|ufofu;kstu d i|Hkko d Ik'pkr vkfn 'k"k	222,780	(313,108)	(16,156,554)	(144,187)	(23,433)	5,722,272	(601,405)	86,511,857
ch½ vfrfjDr fuf/k								
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	913,464	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	9,133	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में			(2,986,302)					
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	1,052,035
vii अन्य समायोजन								
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त								
d|y ¼, $ ch½	**222,780**	**(303,975)**	**(19,142,856)**	**(144,187)**	**890,031**	**5,722,272**	**(601,405)**	**87,563,892**
lh½ fuf/k;k mnn'';k ifr mi;kfxrk@0;;								
i पूंजीगत व्यय								
– स्थायी परिसंपत्तियॉं								
– अन्य								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय								
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि								
– किराया								
– अन्य प्रशासनिक व्यय								
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय	-	-	46,725			-	-	12,000
mi d|y	-	-	**46,725**	-	-	-	-	**12,000**
Mh½ l|LFkkvk dk ykSVk;h xbl jkf'k			1,873,090					
d|y ¼lh $ Mh ½	-	-	**1,919,815**	-	-	-	-	**12,000**
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"kl d vr e| ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	**222,780**	**(303,975)**	**(21,062,671)**	**(144,187)**	**890,031**	**5,722,272**	**(601,405)**	**87,551,892**

vuqlwph & 4 ¼iz;kftr dk;Øe½	,l,l,pbZ & ;wfuLQ	lqiHkk xxk ;k=k	vkfnoklh vknku &inku dk;Øe	;w,uMhih ¼Fkkgk &;kstuk½	;wfuLQ	;w,u,Qih,	oh-Vh-,-	ohVhlh ¼vksdj½	ty lalk/ku eU=ky;
vkfn 'ks"k	1,261,908	(159,663)	(9,184,374)	4,469,067	2,723,969	125,308	1,281,467	26,129	(114,385)
,½ iqufofu;kstu dk iHkko ds lek'kks/ku vkfn 'ks"k	1,261,908	(159,663)	(9,184,374)	4,469,067	2,723,969	125,308	1,281,467	26,129	(114,385)
ch½ vfrfjDr fuf/k									
i प्राप्त अनुदान	-	-	20,291,097	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	(1,261,908)	-	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में						(125,308)			
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	20,603	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन									
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त					943,347				
dqy ¼,\$ ch½	-	**(159,663)**	**11,106,723**	**4,489,671**	**3,667,316**	-	**1,281,467**	**26,129**	**(114,385)**
lh½ fuf/k;ksa mn~ns';ksa ij mi;ksxrk@0;;									
i पूंजीगत व्यय									
– स्थायी परिसंपत्तियॉं									
– अन्य									
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय									
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि									
– किराया									
– अन्य प्रशासनिक व्यय									
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii कार्यक्रम व्यय			20,905,944	9,000	425,723				
mi dqy	-	-	**20,905,944**	**9,000**	**425,723**	-	-	-	-
Mh½ lEifRr;ksa dk ykxr;h xbZ jkf'k			-						
dqy ¼lh \$ Mh½	-	-	**20,905,944**	**9,000**	**425,723**	-	-	-	-
dqy ns; jkf'k@¼ & ½ o"kZ ds vUr esa iklr ¼,\$ch & lh & Mh½	-	**(159,663)**	**(9,799,221)**	**4,480,671**	**3,241,593**	-	**1,281,467**	**26,129**	**(114,385)**

vuqlwph & 4 ¼ikf;kftr dk;Øe½	okd fnl o ¼lo fdMl½	MCY;q-,p-vks- ¼;qok nkM½	fo'o ,Ml fnol	fo'o LokLF; fnol	iYl iksfy;ks ;qok dk fy,	Hkkjr ifjØek	fo'o tula[;k fnol	;qok igy
vkfn 'ks"k	(183,064)	(987,439)	197,834	51,483	(351,400)	(5,463)	(181,280)	(7,393,275)
,½ iqufofu;kstu ds iHkko ds Ik'pkr vkfn 'ks"k	(183,064)	(987,439)	197,834	51,483	(351,400)	(5,463)	(181,280)	(7,393,275)
ch½ vfrfjDr fuf/k								
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	173,064		(592,447)		-	403,938	1,845,022	
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन								
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त								
dqy ¼, $ ch½	**(10,000)**	**(987,439)**	**(394,613)**	**51,483**	**(351,400)**	**398,475**	**1,663,742**	**(7,393,275)**
lh½ fuf/k;ksa mnns';ks ifr mi;ksxrk@0;;								
i पूंजीगत व्यय								
– स्थायी परिसंपत्तियॉं								
– अन्य								
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय								
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि								
– किराया								
– अन्य प्रशासनिक व्यय								
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	
iii कार्यक्रम व्यय	-	150,000			-	-		-
mi dqy	-	**150,000**	-	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k								
dqy ¼lh $ Mh ½	-	**150,000**	-	-	-	-	-	-
dqy n;s jkf'k@¼ & ½ o"kZ ds vUr esa iklr ¼, $ ch & lh & Mh½	**(10,000)**	**(1,137,439)**	**(394,613)**	**51,483**	**(351,400)**	**398,475**	**1,663,742**	**(7,393,275)**

vuqlwph & 4 ¼ikfj;kstr dk;Øe½	xg e=ky;	dohvkbZlh	LokLF; tkx#drk bdkbZ	cl ykbu lo	eujxk dk vrxr {kerk fuek.k	Vhlh,l if'k{k.k	;qok igy	vkjVhvkbZ dk;Z f'kfoj@vkjvkbVh&okbMhlh
vkfn 'ks"k	3,500	(7,000)	(45,000)	(220,600)	(654,933)	(99,560)	(894,860)	(90,000)
,½ iqufofu;kstu ds iHkko ds Ik'pkr vkfn 'ks"k	3,500	(7,000)	(45,000)	(220,600)	(654,933)	(99,560)	(894,860)	(90,000)
ch½ vfrfjDr fuf/k								
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	7,000	45,000	-	-	(3,310)	-	90,000
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	(3,500)							
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन								
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त								
dqy ¼, $ ch½	-	-	-	(220,600)	(654,933)	(102,870)	(894,860)	-
lh½ fuf/k;ksa mnns';ksa ifr mi;ksfxrk@0;;								
i पूंजीगत व्यय								
– स्थायी परिसंपत्तियॉ								
– अन्य								
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	-
ii स्थापना व्यय								
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि								
– किराया								
– अन्य प्रशासनिक व्यय								
mi dqy								
iii कार्यक्रम व्यय		-	-	-	-	-	-	-
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k					-			
dqy ¼lh $ Mh ½	-	-	-	-	-	-	-	-
dqy ns; jkf'k@¼ & ½ o"kZ ds vUr esa iklr ¼, $ ch & lh & Mh½	-	-	-	(220,600)	(654,933)	(102,870)	(894,860)	-

vuqlwph & 4 ¼ifj;kstuk dk;Øe½	fQfy;u pØokr egkfun'kd jkgr dk"k	okbZ,QMh & ,ulh	lhV ¶yse	foys t Vkd ,Ml	;w,u ,Mhl	rEck[kw u'kk mUewyu	vkikr iz c/ku
vkfn 'k"k	32,151	(464,141)					
,½ iqufofu;kstu dh iHkko dh Ik'pkr vkfn 'k"k	32,151	(464,141)	1,751,056	(7,968,559)	4,698,714	(1,828,502)	11,984
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में			(1,953,025)	7,968,559	(4,698,714)	1,828,502	
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	(32,151)	-	-	-	-	-	(11,984)
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							
dqy ¼, $ ch½	-	**(464,141)**	**(201,969)**	-	-	-	-
lh½ fuf/k;ksa mnns';kas ifr mi;ksxrk@0;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉ							
– अन्य							
mi dqy	-	-					
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi dqy		-					
iii कार्यक्रम व्यय	-	-					
mi dqy	-	-	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k							
dqy ¼lh $ Mh ½	-	-					
dqy nks; jkf'k@¼ & ½ o"kZ dk vUr esa iz'Ir ¼, $ ch & lh & Mh½	-	**(464,141)**	**(201,969)**	-	-	-	-

vu|lph & 4 ¼ik;kftr dk;Øe½	x|tjkr Hkdi	cky ?kj|y| etnjh l| fuiVuk	p|uko vk;kx ¼ernkrk tkx#drk½	vkbl ,l okbl bl ih	uk| rEckd| fnol	vk;,Mh lh lh	onekrje
vkfn 'k"k							
,½ i|ufofu;kstu d| iHkko d| Ik'pkr vkfn 'k"k	(484,774)	279,360	(898,960)	(333,534)	(124,523)	481,620	(407,189)
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	(481,620)	407,189
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में		(279,360)	898,960	333,534	124,523		
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	484,774	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							
d|y ¼, $ ch½	-	-	-	-	-	-	-
lh½ fuf/k;ka mnns';ka ifr mi;kfxrk@0;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉं							
– अन्य							
mi d|y							
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi d|y							
iii कार्यक्रम व्यय							
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvka dk ykVk;h xbl jkf'k							
d|y ¼lh $ Mh½							
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"kl d| vir e| ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	-	-	-	-	-	-	-

vu|lph & 4 ¼ik;kftr dk;Øe½	l|o pkbYM &;|d|	xk/kh feyifu;e ;|ok 'kkfr dæ	fgUnh l|lnh; lfefr	jk"Vh; ekuork vk;kx	thou dk'ky ij if'k{k.k &xg e=ky;	MhMh,ub|,Q	mRlo iokpy
vkfn 'k"k							
,½ i|ufofu;k tu d| iHkko d| Ik'pkr vkfn 'k"k	4,470,570	(23,471)	1,123,400	390,000	(5,302,809)	(127,606)	(2,462,384)
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	23,471	(1,123,400)	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	(4,470,570)				5,302,809	127,606	2,462,384
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							
d|y ¼, $ ch½	-	-	-	390,000	-	-	-
lh½ fuf/k;k mnn'';k ifr mi;kfxrk@0;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉ							
– अन्य							
mi d|y							
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi d|y							
iii कार्यक्रम व्यय							
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-
Mh½ lLFkkvk dk ykVk;h xb jkf'k							
d|y ¼lh $ Mh ½							
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"k d| vr e| ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	-	-	-	390,000	-	-	-

vu|lph & 4 ¼ik;kftr dk;Øe½	;|ok eMy l|id dk;Øe	iokÙkj e| fofo/k dk;Øe	;|ok igy	thou dk'ky ij {k=h; dk;|'kkyk	dyk tRFkk	,ub|lh|bi|h
vkfn 'k"k						
,½ i|ufofu;ktu d| iHkko d| Ik'pkr vkfn 'k"k	796,094	(227,500)	2,460,000	27,066	2,917,379	(76,140)
ch½ vfrfjDr fuf/k						
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	(796,094)	-	(2,460,000)	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में		227,500		(27,066)	(2,917,379)	76,140
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन						
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त						
d|y ¼, $ ch½	-	-	-	-	-	-
lh½ fuf/k;k| mnn|';k| ifr mi;kfxrk@0;;						
i पूंजीगत व्यय						
– स्थायी परिसंपत्तियॉ						
– अन्य						
mi d|y						
ii स्थापना व्यय						
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
mi d|y						
iii कार्यक्रम व्यय						
mi d|y	-	-	-	-	-	-
Mh½ l|LFkkvk| dk ykVk;h xb| jkf'k						
d|y ¼lh $ Mh ½						
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"k| d| vr e| ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	-	-	-	-	-	-

vu|l|ph & 4 ¼i|k;kf t r dk;Øe½	o{kkjki.k	ekuork ;k=k	fd'kkj e|yk ;|,u,Qih,	d yVDl ¼if'peh eMy½	t hou dk'ky dk;|'kkyk	1857 Lor|=rk ¼mÙkjh eMy nk dk|ye	vkjokbl hbih ¼nk dk|ye e| dvkjokbl hbih½
vkfn 'k"k							
,½ i|ufofu;k t u d| iHkko d| Ik'pkr vkfn 'k"k	163,250	(59,000)	(2,827,428)	(3,907,592)	(622,917)	(1,418,797)	891,811
ch½ vfrfjDr fuf/k							
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	(163,250)	59,000	-	-	-	-	-
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	622,917	-	-
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	-		2,827,428	3,907,592	-	1,418,797	(891,811)
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	-	-
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
vii अन्य समायोजन							
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त							
d|y ¼, $ ch½	-	-	-	-	-	-	-
l h½ fuf/k;k mnn|';k ifr mi;kfxrk@0;;							
i पूंजीगत व्यय							
– स्थायी परिसंपत्तियॉं							
– अन्य							
mi d|y							
ii स्थापना व्यय							
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक व्यय							
mi d|y							
iii कार्यक्रम व्यय							
mi d|y	-	-	-	-	-	-	-
Mh½ l|LFkkvk dk ykVk;h xbl jkf'k							
d|y ¼l h $ Mh ½							
d|y n|; jkf'k@¼ & ½ o"k d| vr e| ik|r ¼, $ ch & l h & Mh½	-	-	-	-	-	-	-

vuqlwph & 4 ¼iwoZ;kftr dk;ZØe½	dqjh tEew ,oa d'ehj ¼dqvkjokbZ lhbZih dk fgLlk½	flf/kq n'ku	;qok igy	vkjvkjbZ dh cqyfsl 'khV	oru ,oa ys[kk dk;kZy;ksa esa dk;ZØe QM	31-03-2015 dks
vkfn 'k"k					62,446,020	300,760,871
,½ iqufofu;kstu dks iHkko dks lk'pkr vkfn 'k"k	(692,145)	(13,945)	(667,360)	5,328,285	67,130,566	300,760,871
ch½ vfrfjDr fuf/k						
i प्राप्त अनुदान	-	-	-	-		68,546,572
ii नियमित कार्यक्रम होने से अनुसूची 2 को स्थानान्तरण	-	13,945	667,360	-	-	(4,867,602)
iii विशेष कार्यक्रम होने से अनुसूची 3 को स्थानान्तरण	-	-	-	-	-	(1,477,064)
iv स्थानान्तरित अन्य योजना अनुसूची में	692,145				-	-
v निधि खाता होने के कारण योजना 5 में स्थानान्तरित	-	-	-	-	-	440,639
vi निधियों के खातों पर किए गए निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	-	1,161,916
vii अन्य समायोजन						-
viii वेतन एवं लेखा कार्यालयों में अन्य अतिरिक्त						91,240,347
dqy ¼, $ ch½	-	-	-	**5,328,285**	**67,130,566**	**455,805,679**
lh½ fuf/k;ksa mnns';ksa ifr mi;ksfxrk@O;;						
i पूंजीगत व्यय						
– स्थायी परिसंपत्तियॉं						-
– अन्य						-
mi dqy						-
ii स्थापना व्यय						
वेतन, मजदूरी वेतन और भत्ते आदि						-
– किराया						-
– अन्य प्रशासनिक व्यय						-
mi dqy						-
iii कार्यक्रम व्यय						168,602,524
mi dqy	-	-	-	-	-	**168,602,524**
Mh½ lLFkkvksa dks ykSVk;h xbZ jkf'k						35,011,713
dqy ¼lh $ Mh ½						**203,614,237**
dqy n; jkf'k@¼ & ½ o"kZ ds vUr esa ikIr ¼, $ ch & lh & Mh½	-	-	-	**5,328,285**	**67,130,566**	**252,191,442**

fnukd 31-03-2015 dk r|yu i= dh vu|lph

vu|lph&5 pky| n;rk;| ,o| iko/kku	d|y 31-03-15 dk	d|y 31-03-14 dk
pky| n;rk;|		
1. सांविधिक देयतायें		
भविष्य निधि	143,997	132,910
सेवा निवृत्ति निधि	127,626,724	124,591,663
पेंशन	83,634,739	
जीपीएफ/सीपीएफ	69,984,887	31,533,058
टीडीएस	(265,037)	
एलटीए	1,109,842	907,287
वेजेस देयतायें	142,994	
वेतन और भत्ते, बोनस, अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	72,754,858	77,877,119
कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान	208,560	
परोपकारिता निधि	444,854	503,587
अवकाश नकदीकरण	131,981	48,944
वेतन बकाया देयतायें	198,280	
महानिदेशक राहत कोष	9,606,938	9,434,392
vU; n;rk;|	-	
जिला स्तरीय अग्रिम निधि	109,185	
कम्प्यूटर अग्रिम	-	57,180
भवन निर्माण अग्रिम	-	663,016
वाहन अग्रिम	-	188,504
एफ) केन्द्र के साथ अग्रिम	-	
कार्यक्रम	2,365,182	2,365,182
स्थापना	2,161,012	2,161,012
एनएलएम	156,088	156,088
भवन निर्माण अग्रिम	200,266	91,766
स्कूटर/मोटरसाईकिल	203,060	
कर्मचारियों के लिए अन्य ऋण	4,950	5,250
ग्रेच्युटी देयतायें	5,874,744	
अलीपुर से अग्रिम	191,400	191,400
पेंशन देयता	3,965,131	83,157,833
व्यवसाय कर	40,700	17,950
पूर्वोत्तर गोहाटी के अग्रिम	2,000	2,000
अन्य सुरक्षा जमा	-	71,339
समूह बीमा पालिसी	493,928	612,252
2. देय राशि (आरआरई)	371,200	371,200
	381,862,463	**335,140,931**
3- 0;; d| fy, ek|tnk n|unkfj;k	**-**	
ऑडिट शुल्क	3,319,118	2,592,444
सुरक्षा जमा	97,912	
बोनस	679,468	1,028,886
व्यय देयतायें	21,556,297	
अवकाश वेतन कटौती	99,242	249,497
स्टैल चैक	-	18,749
अनुपयोगी परिसम्पत्तियों की बिक्री (अंतिम समायोजन लंबित)	-	
	25,752,037	**3,889,576**
d|y ¼,½	**407,614,500**	**339,030,507**
ch- iko/kku	-	
1. संचित अवकाश नकदीकरण	4,417,411	-
2. अन्य – एमएसीपी बकाया के लिए प्रावधान	122,800,000	122,800,000
d|y ¼ch½	**127,217,411**	**122,800,000**
d|y ¼, $ ch½	**534,831,911**	**461,830,507**

	d|y	d|y
vu|l|ph&6 vpy ifjlEifÙk	31-03-15 dk	31-03-14 dk
vpy l|ifÙk		
पिछले वर्ष के समापन के अनुसार	103,400,838	98,718,206
जोडे : जोड/समायोजन वर्ष के दौरान	7,844,055	13,946,099
जोडे : मुख्यालय से स्थानान्तरण	-	-
घटाये : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	8,910,376	9,175,713
घटाये : वर्ष के दौरान कटौती	-	87,754
o"k d| vr e| 'k"k	**102,334,517**	**103,400,838**

fnukd 31-03-2015 dk r|yu i= dh vu|l|ph

	d|y	d|y
vu|l|ph & 7 ek|t|nk ifj|l|ifÙk;k¡] _.k ,o| vfx|e	31-03-15 dk	31-03-14 dk
,½ or|eku l|ifÙk		
1. अनुदान प्राप्त करने योग्य	-	
अन्य से	-	
2. हाथ में नकद शेष राशि (चैक/ड्रॉफ्ट और अग्रदाय सहित)	239,238	171,225
वर्तमान वर्ष	-	
	239,238	**171,225**
3- c|d 'k"k jkf'k		
ए) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	
& cpr [kkrk e| ¼vkjvkjbZ½	6,340,653	6,090,739
– चालू खातों में	-	
– बचत खातों में (एसबीआई/यूबीआई)	1,413,976,268	1,313,299,257
– निधि में परिवर्तन	739,290	739,290
	1,421,056,211	**1,320,129,287**
d|y ¼d½	**1,421,295,448**	**1,320,300,511**

ch- _.k] vfx|e vkj ifj|l|ifÙk;k		
1- vfx|e	-	
ए) स्टाफ और अन्य	3,104,772	1,275,059
बी) लघु नकद अग्रिम	2,764,267	2,468,110
सी) प्रदायक को अग्रिम	32,975,715	33,058,940
डी) अन्य अग्रिम	15,100,653	16,405,822
ई) गृह निर्माण अग्रिम/एलबेसी	2,398,680	4,230,803
एफ) यात्रा अग्रिम	-	111,570
जी) चिकित्सा अग्रिम	148,311	105,500
एच) एलटीसी अग्रिम	311,919	978,544
आई) कम्प्यूटर अग्रिम	(1,657)	52,481
जे) टीए/डीए अग्रिम	47,731	155,488
के) कर्मचारी भविष्य निधि	9,240	9,240
	56,859,631	**58,851,557**

2- vfxze ;k fdlh vU; #i esa eY; ds cjkcj ikIr		
olwy dh xbZ jkf'k	-	
ए) जमायें	-	
स्थायी जमाये/आवधिक जमा	130,091,689	241,000,000
फ्रेकिंग मशीन में जमा	7	7
टेलीफोन जमा	173,375	173,375
टीडीएस/एसटीडी, आई.टी. पर अतिरिक्त जमा	9,747,803	8,836,663
टीडीएस प्राप्ति (आरआरई)	46,865	46,865
अन्य जमा/सुरक्षा जमा प्राप्ति	864,600	1,001,450
चिकित्सा अग्रिम	262,583	43,064
एलटीसी अग्रिम	(89,958)	(99,158)
टीए/डीए अग्रिम	164,253	79,514
त्यौहार अग्रिम	103,800	94,350
स्कूटर अग्रिम	(659,145)	29,400
ऋण देय खाता	-	184,280
जमा (कार्यालय भवन)	632,800	632,800
पश्चिमी क्षेत्र हेतु अग्रिम	191,400	191,400
पूर्वी क्षेत्र हेतु अग्रिम	534,561	534,561
केन्द्रों को अन्य अग्रिम	395,054	66,606
	142,459,687	**252,815,177**
ए) केन्द्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	178,134,165	166,004,707
बी) वेतन एवं लेखा कार्यालयों के अग्रिम का लंबित समायोजन	(66,632,091)	(65,320,359)
सी) जिला स्तर के केन्द्र के साथ उत्पन्न निधि हेतु अग्रिम	16,432,824	18,270,261
डी) मंडल कार्यालय हेतु अग्रिम	59,600,296	59,600,296
ई) मंडल कार्यालय को अग्रिम आगे ले जाने के लिए	44,756,898	44,756,898
	232,292,092	**223,311,803**
3. आमदनी उपार्जित	-	
ए) निर्धारित निधि से निवेश पर	-	
बी) निवेश – निधि खाते पर	22,950,204	13,370,892
4. अर्जित आय	-	
	22,950,204	**13,370,892**
dqy ¼ch½	**454,561,615**	**548,349,429**
dqy ¼,$ch½	**1,875,857,063**	**1,868,649,940**

fnukd 31-03-2015 dk ryu i= dh vulph

	dy	dy
vulph & 8 foØ;@lokvk ls vk;	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
1. विक्रय द्वारा आय		
ए) स्क्रेप/युवा मंडल मैनुअल की बिक्री	57,743	-
ए) झण्डों की बिक्री–साम्प्रदायिक सद्भाव	-	
बी) अन्य (स्पष्ट कर)	-	
dy	**57,743**	**-**

	dy	dy
vulph & 9 vunku@NV	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
ए) केन्द्रीय सरकार (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित)		
योजना (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय)	1,340,000,000	1,207,000,000
योजना (मुख्यालय द्वारा प्राप्त)	346,500,000	285,400,000
योजनेत्तर		
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	-	48,510
dy	**1,686,500,000**	**1,492,448,510**

	dy	dy
vulph&10 'kYd@vunku	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
1) सम्बद्धता शुल्क	-	63,981
2) नेहरु युवा संदेश	8,950	
dy	**8,950**	**63,981**

	dy	dy
vulph&11 vftr C;kt	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
1) सावधि जमाओं/सावधि जमा		
ए) अधिसूचित बैंको में	24,701,113	17,272,388
2) बचत खाते पर	-	
ए) अधिसूचित बैंको में	37,833,965	33,818,431
3) दीर्घ अवधि के लिए अग्रिम (एच.बी.ए./एल.टी.ए.)	9,800	30,456
	-	
dy	**62,544,878**	**51,121,275**

	dy	dy
vulph&12 vU; vk;	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
1. लाभ – परिसम्पत्तियों का निपटान/बिक्री पर घाटा	54,000	52,750
2. गैर प्राधिकृत व्यय की वसूली	-	
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	108,182	
4. स्क्रेप बिक्री (समाचार पत्र एवं पत्रिकायें)	297,694	86,023
	-	
5. विविध आय	497,367	524,001
dy	**957,243**	**662,774**

fnukad 31-03-2015 dk rqyu i= dh vuqlwph

vuqlwph & 13 LFkkiuk O;;	dqy 31-03-2015 dks	dqy 31-03-2014 dks
ए) वेतन एवं वेजेस	896,067,082	780,485,163
बी) बोनस	1,070,096	4,081,348
सी) भविष्य निधि में अंशदान	16,832,841	12,146,218
डी) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	19,149,327	18,338,488
ई) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर व्यय और	-	
आवधिक लाभ	150,938,939	81,000,000
एफ) एल.टी.सी.	4,258,955	4,690,515
जी) वर्दी	191,398	270,194
एच) बाल शिक्षा भत्ता	8,655,342	13,645,661
आई) अवकाश भुनाने का भुगतान	1,178,675	22,320,416
dqy ¼,½	**1,098,342,655**	**936,978,003**
LFkkiuk dk;ZØe O;; % fofu;kstu iHkko ¼ioZ vof/k O;;½		
ए) वेतन एवं वेजेस	72,255	
बी) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	587,994	
सी) बाल शिक्षा भत्ता	619,489	-
dqy ¼ch½	**1,279,738**	**-**
dqy ¼, $ch½	**1,099,622,393**	**936,978,003**

vuqlwph & 14 vU; iz'kklfud O;;	dqy 31-03-2015 dks	dqy 31-03-2014 dks
ए) डाक एवं मुद्रण	15,871,978	18,503,188
बी) विविध व्यय	4,707,337	16,354,658
सी) यात्रा व्यय	29,412,640	36,139,982
डी) प्रशासनिक व्यय	117,940,028	95,479,741
dqy ¼,½	**167,931,983**	**166,477,569**
LFkkiuk dk;ZØe O;; % fofu;kstu iHkko ¼ioZ vof/k O;;½		
ए) डाक एवं मुद्रण	11,397	
बी) विविध व्यय	1,957	
सी) यात्रा व्यय	1,204,585	
डी) प्रशासनिक व्यय	242,941	
dqy ¼ch½	**1,460,880**	
dqy ¼, $ch½	**169,392,863**	**166,477,569**

fnukd 31-03-2015 dk rjyu i= dh vulph

	dqy	dqy
vulph & 15 dk;Øe 0;;	31-03-2015 dk	31-03-2014 dk
fu;fer dk;Øe		
युवा हथकघा के लिए प्रदर्शनी (युवा कृति)	12,613,772	
जिला/राज्य युवा सम्मेलन	20,434,569	28,126,143
शहरी जिलों के लिए युवा सुविधा केन्द्र (वाईएफसी)	-	8,472
राष्ट्रीय युवा नीति	-	4,185,516
कौशल उन्नयन	63,206,213	67,268,041
टीवाईएलसीडी	-	24,531,573
खेल सामग्री खरीद	75,541,037	27,335,544
ब्लॉक/जिला लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम	48,939,913	42,732,438
वाईसीडीपी	25,852,953	
सामूहिक स्तर पर अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता	33,757,659	
जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी)	833,183	871,356
राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी)	156,067	101,700
लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहन	-	17,035,538
दस्तावेजीकरण	-	120,450
हिन्दी राजभाषा	967,843	1,511,021
मेंटर युवा मंडल की योजना (एमवाईसी)	-	152,530
युवा हथकघा के लिए प्रदर्शनी (युवा कृति)	9,037,554	
जिला/राज्य युवा मंडल पुरस्कार	14,246,500	4,734,000
योजना, समीक्षा और फॉलोअप बैठक	346,121	2,625,476
नागरिकता जागरुकता कार्यक्रम	-	6,852,772
विषय आधारित कार्यक्रम	48,808,138	23,665,202
तनाव और संघर्ष प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ जीवन कौशल	-	23,199,135
नेयुकेसं का स्थापना दिवस/राष्ट्रीय युवा सप्ताह	29,304,927	25,466,313
एनवाईसी विज्ञापन	-	4,986
युवा मंडलों को वित्तीय सहायता	-	70,000
युवा नेतृत्व एवं सामूदायिक विकास पर प्रशिक्षण	55,952,899	
युवा मंडल अभियान	-	18,637,233
आवश्यकता आधारित कार्यक्रम	2,744,813	
पुनर्जागरण	11,641,245	
वन्दे मातरम	-	3,977
mi dqy ¼,½	**454,385,406**	**319,561,338**
fu;fer dk;Øe 0;; % fofu;kstu iHkko ¼io vof/k 0;;½		
युवा मंडल विकास कार्यक्रम (वाईसीडीपी)	190,647	-
जिला युवा सम्मेलन	12,000	-
मेंटर युवा मंडल की योजना (एमवाईसी)	10,847,881	-
महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	100,000	-
ब्लॉक/जिला लोक संस्कृति कार्यक्रम	20,000	-
राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह और राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन	3,000	-
अन्य नियमित कार्यक्रम	192,110	-
युवा मंडलों के लिए खेल सामग्री का प्रावधान	101,467	-
युवा कार्यक्रम के लिए जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)	2,000	-
समीक्षा एवं योजना बैठक	97,579	-
जिला, राज्य/संघ शासित तथा राष्ट्रीय स्तर पर युवा मंडलों को उत्कृष्ट पुरस्कार	80,000	-
mi dqy ¼ch½	**11,646,684**	**-**
dqy ¼fu;fer dk;Øe½ ¼,$ch½	**466,032,089**	**319,561,338**
fo'ks"k dk;Øe		

राष्ट्रीय युवा उत्सव (शिलांग)	-	4,652,857
किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण (एमवाईएएस)	7,614,106	-
साहसिक कार्यक्रम	-	25,114
साहसिक कार्यक्रम	13,442,791	-
वाईएलपीडीपी	-	1,884,609
राष्ट्रीय एकता शिविर	42,654,823	49,060,874
राष्ट्रीय युवा उत्सव	5,553,989	1,082,373
राष्ट्रीय युवा कोर एनवाईसी योजना (एनवाईसी)	343,345,046	326,852,887
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एटीडीसी)	-	278,652
एनवाईसी कौशल उन्नयन	-	(13,000)
एनवाईसी परिचय प्रशिक्षण	-	16,781,605
एनवाईसी मानदेय	-	39,000
प्रवासी भारतीय दिवस/भारत जानो	190,041	-
वाईएलपीडीपी	3,436,155	8,357,484
एनएसवी/आरएसवाई	-	5,474
युवा मंडल अंतर खेल प्रतियोगिता	9,826,286	2,016,239
युवा गतिविधि एवं प्रशिक्षण	-	-
पडोस संसद	56,069,140	-
एनपीवाईएडी खेल	-	22,500
एनवाईएस स्टाईपेंड	-	14,000
एनवाईसी विज्ञापन	-	14,940,588
mi dqy ¼,½	**482,132,377**	**426,001,256**
fo'k"k dk;Øe 0;; % fofu;kstu iHkko ¼iol vof/k 0;;½	-	-
	-	-
राष्ट्रीय युवा कोर एनवाईसी योजना (एनवाईसी)	370,177	-
साहसिक प्रोत्साहन कार्यक्रम	546,885	-
राष्ट्रीय एकता शिविर	568,626	-
राष्ट्रीय युवा कर्मी को मानदेय, टीए तथा प्रशिक्षण (एनएसवी)	696,770	-
mi dqy ¼ch½	**2,182,458**	**-**
dqy ¼fo'k"k dk;Øe½ ¼,$ch½	**484,314,835**	**426,001,256**
प्रायोजित कार्यक्रम		
आरटीआई कार्यशाला	-	90,000
मनेरगा	-	10,000
मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य/ जी टीवी	2,500	362,307
किशोरावस्था यूएनएफपीए	20,066,384	4,014,591
नशे के दुष्परिणाम (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)	120,353	420,000
आईसीडीएस	-	87,684
स्वास्थ्य जागरुकता इकाई	-	45,000
जंग –ए– आज़ादी 1857	78,800	
यूनिसेफ	425,723	699,680
आदिवासी आदान–प्रदान कार्यक्रम	20,905,944	10,102,607
आरजीएनआईडी	-	720,099
युवा पहल	-	7,393,275
जिला स्तरीय जागरुकता अभियान	109,251,190	76,078,654
अन्य एजेंसी कार्यक्रम	17,096,755	11,529,340
गृह मंत्रालय	-	(3,500)
केवीआईसी	-	7,000
भारत जानों कार्यक्रम	-	195,400
बेस लाईन सर्वे	-	220,600
मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों को क्षमता निर्माण एवं जागरुकता	10,112	654,933
महानिदेशक राहत कोष (फिलियन चक्रवात)	-	592,849

टीसीएस प्रशिक्षण	-	99,560
युवा पहल (357)	-	227,500
युवा पहल (335)	-	667,360
mi dy ¼,½	**167,957,761**	**114,214,939**
ik;kftr dk;Øe 0;; % fofu;ktu iHkko ¼io vof/k 0;;½		
यूएनडीपी – थाहा –याप्ता	9,000	-
हम भारत के लोग – पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम	46,725	-
यूएनएफए के सहयोग से किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना	70,000	-
मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य	70,077	-
बाल घरेलू कार्य से निबटने के लिए युवा (एफसीआरए)	21,961	-
युवा दौड विश्व स्वास्थ्य संस्था	150,000	-
एसजीएसवाई	12,000	-
राष्ट्रीय युवा संसद	265,000	-
mi dy ¼ch½	**644,763**	**-**
dy ik;kftr dk;Øe ¼, $ ch½	**168,602,524**	**114,214,939**
	-	

	dy	dy
vulph&16 cd iHkkj	**31-03-2015 dk**	**31-03-2014 dk**
ए) फिक्स ऋण पर	-	
बी) बैंक प्रभार	186,903	80,760
सी) अन्य	-	10,767
dy	**186,903**	**91,527**

fnukad 31-03-2015 dks rqyu i= dh vuqlwph

ikjfEHkd tek	vuqlwph & 17 ifjlEifÙk;ksa dh dher		o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	कुल मूल्यह्रास	31-03-2015 dks eqY; lekiu
	dksM	fooj.k			
12,365,644	2111	जमीन की कीमत – केन्द्र	-	-	12,365,644
16,132,898	2132	भवन की कीमत – केन्द्र	1,797,000	382,746	17,547,152
9,466,954	2131	कारें	-	1,601,728	7,865,226
31,825	2133	मोटरसाइकिल एवं स्कूटर	-	1,924	29,901
88,704	2134	साईकिल	48,985	19,649	118,040
251,558	2140	टाइपराईटर/कैलकुलेटर	43,559	45,280	249,837
1,004,062	2141	फ्रिज, कुलर, एसी	404,085	72,518	1,335,629
15,462,393	2142/2242	ईडीपी मशीन (कम्प्यूटर/प्रिंटर/यूपीएस)	2,301,703	2,422,741	15,341,355
4,352,115	2143/2243/2253	अन्य कार्यालय उपकरण/इंवर्टर	260,179	564,208	4,048,086
1,573,012	2144	कार्यालय उपकरण – विद्युत कॉर्प.	174,883	132,231	1,615,664
134,298	2150	खेल सामग्री	-	6,712	127,586
1,486,601	2152	व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसंपत्ति	-	240,689	1,245,912
9,355,643	2160	फर्नीचर	1,307,872	690,240	9,973,275
1,473,487	2161	फिक्सर और फिटिंग	1,472,199	189,766	2,755,921
50,016	6290	खेल सामग्री	-	2,004	48,012
25,218,168	6714	पूंजीगत खरीद केन्द्र (योजना)	-	1,932,418	23,285,750
4,434,958	6724	पूंजीगत खरीद केन्द्र (योजनेत्तर)	-	502,584	3,932,374
266,327	6616	पूंजीगत खरीद (योजनेत्तर) मुख्यालय	-	-	266,327
796	2162	पंखे	33,590	11,923	22,463
42,404	2164	फैक्स मशीन	-	-	42,404
63,466	2163	अन्य फिटिंग	-	2,686	60,780
15,431	2190	दान में परिसंपत्ति	-	-	15,431
44,426	2253	उपकरण ऑडियो/विडियो	-	2,673	41,753
103,400,838		dqy	**7,844,055**	**8,910,376**	**102,334,517**

Ukg# ;ok dUn lxBu
vuql ph 18
y[kk ij fVIi.kh ,o egÙoi.k y[kk uhfr;k

1- foÙkh; c;kuk vkj iok dh vof/k 0;; ij l’kk/ku – पूर्वगामी वित्तीय विवरण दिनांक 09.06.2016 पूर्व के वित्तीय विवरण दिनांक 31.03.2016 का संशोधित संस्करण है। इस संशोधित विवरण में वेतन एवं लेखा कार्यालय गांधीनगर से संबंधित रुपये 1.72 करोड के बकाया अग्रिम के विरुद्ध समायोजन को शामिल किया गया है जिसे पूर्व की वित्तीय विवरण तिथि से पहले समाशोधित कर लिया गया है। समाशोधन का परिणाम पूर्व अवधि व्यय के रुप में विवरण निम्नानुसार दिया गया है :

,½ स्थापना व्यय	अनुसूची 13	रुपये 0.13 करोड
ch½ प्रशासनिक व्यय	अनुसूची 14	रुपये 0.15 करोड
lh½ कोर कार्यक्रम	अनुसूची 15	रुपये 1.16 करोड
Mh½ विशेष कार्यक्रम	अनुसूची 15	रुपये 0.22 करोड
b½ प्रायोजित कार्यक्रम	अनुसूची 15	रुपये 0.06 करोड

2- foÙkh; fooj.k dh r;kjh dk vk/kkj % यह वित्तीय लेखा विवरण सामान्य तौर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार विगत औपचारिकताओं के तहत तैयार किया गया है। संगठन द्वारा अन्य के अलावा प्रोदभूत लेखा प्रणाली अपनायी गई है।

3- LFkk;h ifjlEifÙk;k ,o eY;àkl %

,- अनुदान से सृजित परिसम्पतियों पर व्यय सामान्य निधि से किया गया और उसे पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया।

Ckh- संगठन के गठन के पश्चात खरीदी गई परिसम्पतियों को औपचारिक लागत के आधार पर दिखाया गया है। गत वर्षों में संगठन द्वारा इन परिसम्पतियों का पुनः मूल्य निर्धारण करते हुए परिसम्पतियों का मूल्यह्रास/समायोजन को पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित किया गया है।

एस.एल.एम (स्ट्रेट लाईन मैथड) के अनुसार मूल्यह्रास लगाया गया जोकि निम्नानुसार हैः–

i	कम्प्यूटर एवं ई.डी.पी. मशीन	16.21%
ii	कार्यालय फर्नीचर	6.33 %
iii	अन्य विद्युत उपकरण	4.75 %
iv	वाहन	9.50 %
v	व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं खेल उपकरण	4.75 %
vi	भूमि एवं भवन (केवल भवन)	1.63 %

lh- संगठन के गठन से पहले के अवधि के परिसम्पतियों का पुर्नमूल्य निर्धारण रूपये 1/– की नोशनल राशि पर किया गया था। इसी प्रकार अनुदान में स्थानीय एजेंसियों से प्राप्त भूमि के अलावा परिसम्पतियों का पुनर्मूल्य निर्धारण रूपये 1/– की नोशनल राशि पर किया गया है।

Mh- संगठन बजट सहयोग के अंतर्गत पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। निर्धारित परिसम्पत्तियों की लागत के बराबर व्यक्तिगत निधि विगत लागत के अनुसार दिखायी गयी है।

b- समस्त क्षयकारी को बही खातों में दिखाया गया है और एसएलएम पर मूल्यह्रास दिखाया गया है। नेहरु युवा केन्द्र भवन निर्माण पर व्यय को पूंजीगत बताया गया है और इसे निर्माणाधीन/निर्मित परिसम्पत्तियों के मूल्य में जोडा गया है। जिला नेहरु युवा केन्द्रों को दान में मिली भूमि को ऐतिहासिक मूल्य में दिखाया गया है।

4- vk; ,o 0;; dh igpku

,- lgk;rk vunku – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान राशि को प्रोदभूत आधार पर वर्ष की आय माना गया है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि को आय मानते हुए आय एवं व्यय लेखों में रखा गया है। विशेष/प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त अनुदान राशि को निर्धारित निधि के रुप में माना गया है और इसके लिए विशेष खाता रखा गया है। वर्ष की अप्रयुक्त राशि को तुलनपत्र में देयताओं की तरफ दिखाया गया है।

Ckh- सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज की पहचान प्रोदभूत आधार पर की गई है।

Lkh- बचत खाते पर ब्याज, संबंद्धता शुल्क, युवा मण्डल निर्देशिका की बिक्री की राशि को नकद आधार पर रखा गया है।

Mh- बडे विशेष/प्रायोजित कार्यक्रम जैसे जीजीजी, एस.जी.एस.वाई, एन.आई.सी., एन.वाई.एफ. एन.वाई.सी. योजना, आरएसवाई योजना/एन.आर.सी, किशोर अवस्था और एन.वाई.सी. में अर्जित ब्याज को संबंधित कार्यक्रम के नामे (क्रेडिट) में रखा गया है।

bZ- कर्मचारियों के लाभ जैसे अवकाश भुनाना एवं बोनस आदि को प्रावधान के तौर पर रखा गया है।

,Q- मुख्यालय और मण्डल कार्यालयों द्वारा किये गये व्यय को मुख्यालय में उस अवधि के दौरान उनके वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा उस अवधि के लिए उनके वित्तीय विवरण के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर समेकित किया गया है। इन व्ययों की प्रविष्टि वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा केन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण के आधार पर की गई है।

5. c;; dk fy, izko/kku : वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश भुनाने हेतु रुपये 0.44 करोड़/– का प्रावधान किया गया।

6- QaM [kkrk esa 'ks"k : सेवानिवृत्ति निधि में रुपये 12.76 करोड़, जीपीएफ में रुपये 6.99 करोड़ तथा पेंशन निधि में रुपये 8.36 करोड़ रुपये की राशि शेष रखी गई है।

7- Ckhekafdd ewY; isa'ku nkf;Ro : दिनांक 31.03.2013 को रुपये 343.63 करोड की पेंशन देयताओं की बीमांकिक मूल्य की राशि को वर्तमान पेंशन/फैमिली पेंशन में दिखाया गया है और कर्मचारियों को सरकार के सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2013 को बीमांकिक द्वारा ग्रेच्यूटी के लिए रुपये 69.91 करोड़ और अवकाश भुनाने के लिए 52.87 करोड़ की राशि दिखाई गई है। इन देयताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से इसकी मॉग की गई है।

8- _.k ,oa vfxze : ऋण एवं अग्रिम जिसमें (ए) रुपये 19.54 करोड़ की राशि क्षेत्र कार्यालयों एवं रुपये 10.43 करोड़ की राशि मंडल कार्यालयों में अप्रयुक्त राशि के रुप में पड़ी हुई है तथा (बी) रुपये (6.66) करोड़ की राशि क्षेत्र कार्यालयों में समायोजन तथा (सी) रुपये 1.64 करोड़ केन्द्रों के पास जिला स्तर पर एकत्रित निधि के अग्रिम रुप में रखी है। इस राशि के पूर्व समाशोधन की उपलब्धता के अभाव में यह राशि पूर्व में किए गए व्यय हो सकती है जिसे खातों में दर्ज नहीं किया गया है।

9. संस्थाओं/आपूर्तिकर्ताओं, मण्डलों, केन्द्रों के कर्मचारियों पर शेष राशि उनकी पुष्टि पर निर्भर करती है।

10. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित किया गया है। वित्तीय विवरण के आंकडों को निकटतम रुपये में व्यक्त किया गया है।

11. प्रमोशन, स्थानान्तरण, एम.एस.सी.पी/उच्च वेतनमान और सीसीएस (पेंशन) नियमों के अंतर्गत पेंशन आदि देने के लिए विभिन्न न्यायालयों में संगठन के विरुद्ध 111 मामले लंबित हैं। सीसीएस (पेंशन) नियमों के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को विधिक मामलों के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं के लिए 31.03.2015 को 195.50 करोड़ की राशि का आंकलन बीमांकिक द्वारा किया गया है।

12. इसमें वर्ष 2013–14 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 29 बकाया विचाराधीन लेखा परीक्षा पैरा है।

31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,
Ukg# ;qok dUnz laxBu ds [kkrks ij Hkkjr ds fu;a=d ,o egkys[kk
Ikjh{kd dh iFkd ys[kk ijh{kk fjiksVZ

1. हमने, 31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं.) की संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा की है, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 खंड 20 (1) के अंतर्गत है। लेखा परीक्षा 2015–16 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। नेयुकेसं के देशभर में 623 जिला नेहरु युवा केन्द्र हैं जिनमें से 26 केन्द्रों की टिप्पणी इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। ये वित्तीय विवरण नेहरु युवा केन्द्र संगठन के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।

2. यह अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केवल वर्गीकरण के संबंध में, सबसे अच्छी लेखा प्रथाओं के अनुरुप लेखा मानकों और मानदंडों के प्रकटीकरण के साथ लेखा उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं, आदि के साथ अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन, यदि कोई हो, पर लेखा–परीक्षा अवलोकन निरीक्षण रिपोर्ट/कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा का संचालन आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम योजना और वित्तीय विवरण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार लेखा परीक्षा प्रदर्शन करें जो सामग्री के संबंध में गलत विवरणी से मुक्त रहें। किसी लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, मात्रा और वित्तीय विवरण में खुलासे का समर्थन करने वाले सबूतों की जांच शामिल है। एक लेखा परीक्षा में लेखांकन में इस्तेमाल किए गए सिद्धांतों और वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान का आंकलन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि :

   i. हमने टिप्पणी सं. ए.1.1.1 (बी) ए 1.1.2, ए 2.2.3, ए.2.2.4 और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 2 (वी) में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों को छोड़कर सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए, रिपोर्ट में उल्लिखित को छोड़कर आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय प्राप्तियां एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय से स्वीकृत निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया है।

   iii. हमारी राय में, और ऐसे खातों के बारे में हमारी अब तक की परीक्षा से प्रकट होता है कि नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के उचित पुस्तकों का रखरखाव किया गया है। जोकि टिप्पणी सं. ए.1.1.1 (बी) ए 1.1.2, ए 2.2.3, ए.2.2.4 और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 2 (वी) में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों को छोड़कर हमारे द्वारा की गई परीक्षा स`अब तक स्पष्ट होता है।

   iv. हम आगे सूचित करते हैं कि :

, rqyu i=

,-1 ns;rk,a %

,-1-1 fu/kkfjr fuf/k ¼vuqlwph &2] 3 vkSj 4½

,-1-1-1 ¼,½ अनुसूची –3 में : निर्धारित निधि (विशेष कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) और अनुसूची –4: निर्धारित निधि (प्रयोजित कार्यक्रम) जोकि दिनांक 31.3.2015 तक के तुलन पत्र का अभिन्न भाग है, में कार्यक्रम के तहत नकारात्मक आदि एवं अंतः शेष का जैसाकि अनुलग्नक–ए में वर्णित कार्यक्रमों में बताया गया है। नेयुकेसं के 18 कार्यक्रमों के तहत एकत्रित नकारात्मक शेष रुपये 195.05 लाख पाया गया।

विवरण तथ्य दर्शाते हैं कि नेयुकेसं ने प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय किया है और राशि प्राप्य हैं। हालांकि, इसे प्राप्य के रूप में नहीं दिखाया गया था लेकिन देयताओं के तहत नकारात्मक आंकड़ों के रूप में दिखाया गया है, जिसे सही करने की आवष्यकता है।

,-1-1-1 ¼ch½ अनुसूची–3 और 4 में दिखाया गया निर्धारित निधि का अंतः शेष (विषेश कार्यक्रम) और निर्धारित निधि (प्रयोजित कार्यक्रम)को सत्यापित नहीं किया जा सका है क्योंकि अंतः शेष के समर्थन में आधारभूत रिकॉर्ड को लेखा परीक्षा को दिखाया नहीं गया था।

,-1-1-2 कार्यक्रम के तहत व्यय किए गए/हस्तांतरित/ लौटाई गई राशि जो कि कार्यक्रम के तहत उपलब्ध राशि से अधिक है। इस प्रकार जिसके परिणाम स्वरुप यह नकारात्मक शेष है। नेयुकेसं के 13 कार्यक्रमों के अंतर्गत रुपये 527.93 लाख के नकारात्मक शेष पाया गया। विवरण अनुलग्नक–बी पर दिया गया है। इसका कारण लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।

,-1-1-3 नकारात्मक या शून्य शेष होने के बावजूद, पिछले वर्ष के व्यय को कुछ कार्यक्रमों के तहत वर्ष के दौरान समायोजित किया गया था और व्यय वर्ष के दौरान निधि की उपलब्धता से अधिक था विवरण निम्नानुसार है :

(jkf'k #i;s esa)

Ø-l-	dk;Zde dk uke	vkfn 'k"k	ikIr vuqnku	O;;	vr% 'k"k
1	विश्व स्वास्थ्य संगठन (युवा दौड)	(–)987439	–	150000	(–)1137439
2	मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य	(–)1038484	–	72577	(–)1111061

खातों में नकारात्मक शेष के संबंध में आवश्यक समायोजन/समाधान किया जाना है।

mijkä dk eíutj] ge okf"kd [kkrk e udkjkRed 'k"k dk :i e fn[kk, x, vkdMk dh 'k)rk ij ,d jk; cuku e l{ke ugh gA bu vrjkk dh fiNyh fjikV e Hkh fjikV dh xbZ Fkh yfdu u;dl }kjk dkbZ mipkjkRed dkjokbZ ugh dh xbZ FkhA

,-1-1-4 अनुलग्नक–सी में उल्लिखित कार्यक्रमों में सकारात्मक आदि शेष थे लेकिन कार्यक्रम के विरुद्ध कार्यक्रम में कोई ब्याज आय नहीं दर्शायी गयी थी। इन कार्यक्रमों के लिए ब्याज आय के न दर्शाये जाने से इन कार्यक्रमों के आदि शेष पर अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष 2014–15 के लिए नेयुकेसं की ब्याज आय की अतिस्तरीय राशि के द्वारा देयताओं को कम किया गया है। इन 28 कार्यक्रमों के मौलिक प्रभाव रुपए 41.27 करोड पाया गया है।

,-1-1-5 आय और व्यय खाते के अनुसार, व्यय पर आय का अधिक हिस्सा “कॉर्पस/कैपिटल फंड” में स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, व्यय से अधिक आय को ‘निर्धारित निधि– युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय (अनुसूची–2)’ में स्थानांतरित किया गया था। यह खातों के एक समान प्रारुप के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार, रुपये का पूर्ण शेष राशि 47.51 करोड़ गलत तरीके से ‘निर्धारित निधि’ के तहत दिखायी गयी है। इसकी वजह से निर्धारित निधि में राशि अधिक्य दिखाया गया है और कैपिटल फंड की कमी हुई।

,- 2 ifjlEifÙk;k

,-2-1 vpy ifjlEifRr;k

,-2-1-1 अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची खातों के सामान्य प्रारूप के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं थी क्योंकि यह संपत्ति के ब्लॉक–वार प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात् सकल ब्लॉक, मूल्यह्रास और नेट ब्लॉक और विगत वर्ष के अंत में स्थिति पिछले वर्ष की, आदि। यह विगत वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, हालांकि, नेयुकेसं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

,-2-1-2 जिला युवा समन्वयक, मालदा के मामले में, संपत्ति रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था।

,-2-1-3 लेखा परीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के वेतन एवं लेखा कार्यालय में परिसंपत्तियों का केंद्रवार विवरण नहीं था। चूंकि केंद्र और राज्य कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र तैयार नहीं करते थे,

इसलिए वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा तैयार वार्षिक खातों में संपत्ति और मूल्यह्रास के मूल्य की प्रामाणिकता की लेखा परीक्षा में जांच नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन जिला युवा समन्वयकों द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 के लिए स्टोर्स एंड स्टॉक और लाइब्रेरी पुस्तकों के भौतिक सत्यापन जिला युवा समन्वयक क्रमशः कोहिमा और तिरुवरूर द्वारा नहीं किया था।

,-2-2 वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम – (अनुसूची –7) : रुपये 187.59 करोड़

,-2-2-1 ¼,½ रुपये 5.3 लाख का अग्रिम नेयुकेसं के खातों में 'पूर्वी मंडल को अग्रिम' के रूप में दिखाया गया है, जबकि वेतन एवं लेखा कार्यालय पूर्वी मंडल, भुवनेश्वर के खातों में ऐसा कोई भी अग्रिम नहीं दिखाया गया है। इसके समाधान की आवश्यकता है।

¼ch½ ऋण और अग्रिम शीर्ष (अनुसूची –7) के तहत, राशि रुपये (–) 6.66 करोड़ विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों/मंडलों को अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, और रुपये 5.69 करोड़ की राशि को कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, जोकि समाशोधन के लिए लंबित थी।

,-2-2-2 नेयुकेसं के रिकॉर्ड के अनुसार रुपये 125.35 लाख की राशि वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में अप्रयुक्त राशि के रुप में पडी थी, जबकि वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में, मंडलों/केंद्रों के पास रुपये 147.99 लाख की राशि अप्रयुक्त राशि दिखाई गई है। इसके समाशोधन की आवश्यकता है।

,-2-2-3 वेतन एवं लेखा कार्यालय, बेंगलुरु में, 25 केन्द्रों के संबंध में रुपये 122.66 लाख के नकारात्मक शेष को 79 केन्द्रों के बकाया अग्रिम रुपये 576.67 लाख से समायोजित किया गया था। नेयुकेसं के खातों में रुपये 454.01 लाख के आंकडों को मंडल/केन्द्रों के पास निधि के रुप में सही से रुप नहीं दिखाया गया था। नकारात्मक और सकारात्मक शेष का नेटिंग सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के खिलाफ है। इन बकाया अग्रिमों और नकारात्मक शेष के कारणों से लेखा परीक्षा करने के लिए नहीं बताया गया था।

,-2-2-4 लेखा परीक्षा ने यह पाया कि वेतन एवं लेखा कार्यालय, भुवनेश्वर में, वर्ष 2013–14 के दौरान खातों में वास्तव में इतनी ही राशि रुपये 113.40 लाख केन्द्रों के पास राशि के रुप में दिखाई गई है और इसके साथ लेखा परीक्षा ने यह पाया कि नेहरु युवा केन्द्र, भुवनेश्वर ने वर्ष 2014–15 के लेखों में केन्द्रों के पास राशि रुपये 113.40 दर्शाई गई है जोकि वर्ष 2013–14 में उपरोक्त मद में दर्शाई गई राशि के समान है। जोकि असंभव है, जबकि निधि नियमित रूप से आवंटित की जा रही थी। इसके अलावा, नेयुकेसं के रिकॉर्ड के अनुसार, अग्रिमों का आंकड़ा रुपये 10.38 लाख था। इसके समाशोधन की आवश्यकता है। हालांकि, केंद्र–वार/मंडल–वार विवरण लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया था।

,-2-2-5 'ऋण और अग्रिम' शीर्ष के अंतर्गत (अनुसूची– 7) में रुपये 17.81 करोड़ केंद्रों को अग्रिम के रूप में दिखाए गए थे, जिनके उपयोग प्रमाणपत्र लंबित हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत 'अग्रिम' के रूप में दिखाए गए आंकड़ों की शुद्धता पर एक राय बनाने में समर्थ नहीं हैं।

,-2-2-6 रुपये 70,280, अग्रिम राज्य निदेशक, तिलजाला द्वारा 2009–10 के बाद से समायोजित नहीं किया गया था। लंबे समय से लंबित अग्रिम को जल्द से जल्द समायोजित करने की आवश्यकता है।

,-2-2-7 नीचे दिए गए विवरण के दो सेटों में अंतर था :

Ø-l-	fooj.k	jkf'k ¼#i;s eas½	fooj.k	jkf'k ¼#i;s eas½	vrj ¼#i;s eas½
1	अग्रिम अर्जित निधि – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	47008173	अग्रिम अर्जित निधि – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	2132475	44875698
2	केन्द्रों के पास अग्रिम जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित थे – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	10345027	केन्द्रों के पास अग्रिम जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित थे – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	12535116	2190089

3	अन्य अग्रिम – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	43094	अन्य अग्रिम – नेयुकेसं, अलीपुर का ट्रायल बैलेंस	(–) 107156	(–) 150250
4	नेयुकेसं, अलीपुर को लौटाई गई राशि – नेयुकेसं, भिवानी का ट्रायल बैलेंस	21220	नेयुकेसं, अलीपुर को लौटाई गई राशि – नेयुकेसं, भिवानी का ट्रायल बैलेंस	16220	5000

इन अंतरों के समाधान की आवश्यकता है।

ch प्राप्ति एवं भुगतान लेखेः

ch-1 राशि रुपये 7.30 करोड़ को वर्तमान लेनदारों से 'नेट अतिरिक्त रसीद' के रूप में प्राप्ति की ओर दिखाया गया था। हालांकि, उक्त राशि का इस प्रकार का कोई भी लेनदेन नेयुकेसं की कैश बुक और बैंक बुक में नहीं पाया गया। यह राशि विगते वर्ष के भुगतान और वर्तमान वर्ष के लिए देयता की संरचना है। जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते कैश बुक और बैंक बुक का सार होते हैं, वर्तमान लेनदारों से प्राप्ति की ओर 'नेट अतिरिक्त प्राप्ति' अधिक भुगतान की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त देय राशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में दिखाया नहीं जाना चाहिए।

lh lkekU;%

lh 1 नेयुके के पास 623 जिला स्तर नेहरू युवा केन्द्रों का देशव्यापी नेटवर्क था। जिसके प्रमुख जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) होते हैं। नेयुकेसं के 26 केंद्रों से संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

lh-1-1 वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा मंडल कार्यालयों और केंद्रों को स्थापना, विशेष कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम आदि पर व्यय के लिए धनराशि जारी की जाती है।

संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु) के मंडल कार्यालयों और केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों से लेखा परीक्षा ने नोट किया कि 23 मंडल कार्यालय और 623 केंद्र केवल प्राप्ति और भुगतान लेखे तैयार करते हैं और उनके पास लेखों का पूरा सेट नहीं है जैसे (i) तुलन पत्र, (ii) आय और व्यय लेखे, (iii) प्राप्ति और भुगतान लेखे आदि।

lh-1-2 नेयुकेसं ने खातों का पूरा सेट तैयार करने के संबंध में मंडल कार्यालयों और केंद्रों के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किया। जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) वार टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

lh-1-2-1 जलपाईगुड़ी, मालदा, बरूईपुर, चिंसुराह, मुर्शिदाबाद, गांधीनगर, कुल्लू, अमृतसर, गुरुदासपुर, अशोक नगर और भिवानी के जिला युवा समन्वयक द्वारा आय और व्यय लेखे और तुलन पत्र तैयार नहीं किए गए हैं।

lh-1-2-2 जिला युवा समन्वयक, अमृतसर, गुरुदासपुर, करीमनगर द्वारा बैंक/वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ समायोजन नहीं किया गया था।

lh- 2 पेंशन निधि का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के पैटर्न के अनुसार नहीं किया गया था। समस्त निवेश रुपये 13.01 करोड़ (100%) राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सावधि जमा के तहत किया गया था। इसे पिछले लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया था। हालांकि नेयुकेसं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

lh-3 नेयुकेसं द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। बीमांकित आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह लेखों के एक समान प्रपत्र और आई.सी.ए.आई. के एएस–15 द्वारा अपेक्षित हैं।

lh- 4 सामान्य भविष्य निधि को वर्तमान देनदारियों के तहत लंबित दिखाया गया था। इस पर मंत्रालय का अनुमोदन लंबित है। हालांकि, इस बारे में नेयुकेसं द्वारा लेखों पर टिप्पणी नहीं दी गई थी।

Mh vuqnku lgk;rk%

नेहरु युवा केन्द्र संगठन सामान्य प्रयोजन और विशेष कार्यक्रमों के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करता है। यह प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों से भी अनुदान प्राप्त करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त और उपयोग की स्थिति इस प्रकार है :

¼#i;s djkM+ esa½

mnns';	1-4-2014 dks izkjfEHkd 'ks"k jkf'k	2014&15 ds nkSjku izkIr	C;kt@vU; vk;			;ksx	mi;ksx dh xbZ jkf'k	Okkil dh xbZ jkf'k	31-3-2015 ds vuqlkj [kpZ ugha dh xbZ jkf'k
		;kstuk	,ubZvkj	xSj ;kstuk	C;kt@vU; vk;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्धारित कोष (एमवाईएएस)– (अनुसूची 2)	46.03	120.20	13.80	34.65	6.36	221.04	174.31	0	46.73
निर्धारित कोष (विशेष कार्यक्रम एमवाईएएस) – (अनुसूची 3)	64.58	44.39	0	0	1.69	110.66	48.43	0.07	62.16
निर्धारित कोष (प्रायोजित कार्यक्रम)– (अनुसूची 4)	30.07	15.98	0	0	(–) 0.47	45.58	16.86	3.50	25.22

रुपये 15.98 करोड़ (निर्धारित निधि –प्रायोजित कार्यक्रम), में से, रुपये 9.12 करोड की प्राप्ति के लिए स्वीकृति आदेश लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया इसलिए लेखा परीक्षा द्वारा रुपये 9.12 करोड़ का सत्यापन नहीं किया जा सका।

bZ- izca/ku i= – उन कमियों को जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से नेहरु युवा केन्द्र संगठन के ध्यान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते, खातों की पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सबसे सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण ऊपर उल्लिखित महतवपूर्ण मामलों और अन्य मामलों को इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में किए गए उल्लेख आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों के अनुरुप एक सही और निष्पक्ष विचार नहीं देते हैं।

ए. अब तक यह 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुरुप नेहरु युवा केन्द्र संगठन के मामलों के तुलन पत्र की स्थिति, से संबंधित है; तथा

बी. अब तक के रुप में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए यह अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd ds fy, vkSj mudh vksj ls

LFkku % ubZ fnYyh

ys[kk ijh{kk egkfuns'kd

Rkkjh[k %

dsUæh; 0;;

vuqyXud

vkrfjd ys[kk ijh{kk i.kkyh dh i;kIrrk %

- आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा 2012–13 तक आयोजित की गई थी और 18 पैरे जनवरी 2017 तक शेष थे।
- युवा मामलों और खेल मंत्रालय के उदाहरण में, नेयुकेसं द्वारा नेयुकेसं, 6 वेतन एवं लेखा कार्यालय, 23 गैर–वेतन एवं लेखा कार्यालय, मंडल कार्यालयों और 623 केंद्रों के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जनवरी 2014 में आतंरिक लेखा परिक्षकों के रुप में चार्टर्ड एकाउंटेट की तैनाती की गई। गैर–वेतन एवं लेखा कार्यालय और केन्द्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा 2013–14 तक की गई। हालांकि 2014–15 के लिए, नेयुकेसं और छह वेतन एवं लेखा कार्यालयों, की लेखा परीक्षा आयोजित की गई।

2- vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk%

नेयुकेसं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियों के कारण कमी पाई गई :

i. नेयुकेसं का वर्ष 2014–15 के लिए नियमित कार्यक्रमों हेतु बजट प्रस्ताव वित्त समिति की सिफारिशों के बिना और शासी बोर्ड की स्वीकृति के बिना मंत्रालय को भेजा गया था, जो नेयुकेसं के वित्तीय उप–नियमों के नियम 4 के उल्लंघन था।

ii. नियमित कार्यक्रमों के लिए बजट अनुमान केन्द्रों से अनुमानित व्यय लिए बिना तैयार किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों की संख्या का निर्णय एनवाईकेएस द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर केंन्द्रों/फील्ड कार्यालयों से इनपुट न लेने या जिलों में कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता का आंकलन किए बिना किया गया। चूंकि कार्यक्रमों की संख्या आवश्यकता के आंकलन के आधार पर नहीं था और क्षेत्र इकाइयों से इनपुट लिए बिना निर्णय लिया गया था, अतः नियमित कार्यक्रमों पर बजट यथार्थवादी नहीं था।

iii. नेयुकेसं के पास विन्यास निधि (अनुसूची–2) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि थी जोकि मंत्रालय द्वारा निधि जारी करते समय समायोजित नहीं किया गया। नेयुकेसं ने इस निधि को बिना उपयोग किए वेतन एवं लेखा कार्यालय में रखने की स्वीकृति प्रदान की। जिसके कारण रुपये 46.73 करोड की राशि इकठ्ठे हो गई और 31.03.2015 तक उपयोग नहीं हो पाई ।

iv नेयुकेसं को जारी निधि और इसके आगे की निगरानी की कमी थी क्योंकि आवश्यक व्यय नियंत्रण रजिस्टर विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा नहीं बनाए गए थे, उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रों द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे और यहां तक कि व्यय की गति भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं थी। वेतन एवं लेखा कार्यालय भुवनेश्वर, बेंगलुरु और मंडल कार्यालय, शिमला द्वारा व्यय नियंत्रण रजिस्टर नहीं बनाए गया था।

v. नेयुकेसं को मंत्रालय द्वारा जारी रुपये 9.12 करोड की राशि के स्वीकृति आदेश की प्रति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

vi नेयुकेसं द्वारा रुपये 38.34 लाख की लागत पर टैली सॉफ्टवेयर (अक्टूबर 2013) खरीदा गया और रुपये 2.58 लाख, यूसी प्रारूपों और तुलन पत्र, पे–रोल कार्यान्वयन, उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि के अनुकूलन पर व्यय किए गए। वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में लेखा परीक्षकों ने पाया कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल वेतन एवं लेखा कार्यालय में किया गया था, लेकिन इसका उपयोग केंद्र/मंडल कार्यालयों में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार करने के लिए नहीं किया जा रहा था और यह मैन्युअल रूप से ही तैयार किये जा रहे थे।

vii. नकदी के भौतिक सत्यापन के बारे में प्रमाणपत्र कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, कैश बुक में कटिंग/ओवरराइटिंग देखी गयी, इस पर हस्ताक्षर एवं प्रमाणीकरण नहीं किया गया था।

viii. रसीद बुक–जीएआर 6 (टीआर –5) को बनाया नहीं गया था।

ix. प्रत्येक माह के अंत में और वर्ष के अंत में कैश बुक के समापन के दौरान समापन शेष का ब्यौरा मुद्रा का विकरण क्यों नहीं दिया गया।

x. बिलों पर "भुगतान और रद्द" की मोहर मुद्रांकित नहीं की गई थी।

xi. वेतन एवं लेखा कार्यालय, अलीपुर द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को किये गये अग्रिम भुगतान को कार्य प्रगति की बजाए भवन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

xii. मूल्यवान वस्तुओं के रजिस्टर (जीएआर 5) को बनाया नहीं गया था।

xiii. नेयुकेसं द्वारा अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, हालांकि, अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन विश्वसनीय नहीं था क्योंकि रिपोर्ट में रुपये 72940/– शामिल था। (सोफा सेट– 20000 रुपये, टीवी– 51500 रुपये, यूपीएस– 1450 रुपये) जबकि मुख्यालय अकाउंट्स में 885662 रूपए की वृद्धि हुई है।

xiv. लेखापरीक्षा ने बताया कि दिल्ली और भुवनेश्वर में वेतन एवं लेखा कार्यालय में परिसंपत्तियों का केन्द्र वार विवरण नहीं था। चूंकि केंद्र और राज्य कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र तैयार नहीं करते थे, इसलिए वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा तैयार वार्षिक खातों में संपत्ति और मूल्यह्रास के मूल्य की प्रामाणिकता की लेखा परीक्षा में जांच नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन जिला युवा समन्वयक, कोहिमा ने नहीं किया था।

xv वर्ष 2014–15 के लिए स्टोर्स एंड स्टॉक और लाइब्रेरी पुस्तकों के भौतिक सत्यापन जिला युवा समन्वयक क्रमशः कोहिमा और तिरुवरूर द्वारा नहीं किया था।

3- vpy lEifÙk;ksa dh HkkSfrd lR;kiu dh ç.kkyh%

- नेयुकेसं, मुख्यालय से संबंधित अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, मार्च 2015 तक का किया गया था।
- 2014–15 के लिए अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन डीवाईसी, कोहिमा द्वारा नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने बताया कि दिल्ली और भुवनेश्वर में वेतन एवं लेखा कार्यालय में परिसंपत्तियों का केन्द्र वार विवरण नहीं था। चूंकि केंद्र और राज्य कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र तैयार नहीं करते थे, इसलिए वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा तैयार वार्षिक खातों में संपत्ति और मूल्यह्रास के मूल्य की प्रामाणिकता की लेखा परीक्षा में जांच नहीं हो पाई थी।

4- bUosUVªh dk HkkSfrd lR;kiu dh 0;oLFkk%

- इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन 2014–15 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था लेकिन रिपोर्ट ऑडिट में नहीं दी गई है।
- 2014–15 के लिए अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन डीवाईसी, कोहिमा द्वारा नहीं किया गया था।
- 2014–15 के लिए अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन डीवाईसी, तिरुवरुर द्वारा नहीं किया गया था।

5- oS/kkfud ns; jkf'k dk Hkqxrku esa fu;ferrk

वार्षिक खातों के अनुसार, 31.03.2015 को छह माह से अधिक कोई वैधानिक देय बकाया नहीं था।

vu|yXud&,

fVIi.kh l|[;k ,-1-1-1 ¼,½ & vu|lph 3 ,o 4 e mfYyf[kr udkjkRed ikjfHkd ,o lekiu 'k"k

Ø-l-	dk;Øe dk uke	ikjfHkd 'k"k	vunku ikIr	0;;	Tkek 'k"k
1	पंचायती युवा क्रीडा अभियान (पायका)	(–) 5127044	–		(–) 5127044
2	अन्य कार्यक्रम व्यय	(–) 330470	–	–	(–) 330470
3	येस	(–) 186500	–	–	(–) 186500
4	हेस्को	(–) 69550	–	–	(–) 69550
5	आईसीडीएस	(–) 1332601	–	–	(–) 1332601
6	आईएसएचएम (आयुष)	(–) 1139405	–	–	(–) 1139405
7	केवीआईसी कार्यशाला	(–) 111682	–	–	(–) 111682
8	निरंतर कार्यशाला	(–) 208532	–	–	(–) 208532
9	अन्य कार्यक्रम व्यय	(–) 144187		–	(–) 144187
10	आरजीएनआईवाईडी	(–) 601405		–	(–) 601405
11	सुप्रभा गंगा यात्रा	(–) 159663			(–) 159663
12	जल संसाधन प्रबंधन	(–) 114385	–	–	(–) 114385
13	युवा के लिए पल्स पोलियो	(–) 351400	–	–	(–) 351400
14	यूथ इनोशिएटिव	(–) 7393275		–	(–) 7393275
15	बेस लाईन सर्वे	(–) 220600			(–) 220600
16	मनेरगा के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(–) 654933			(–) 654933
17	यूथ इनोशिएटिव	(–) 894860			(–) 894860
18	वाईएफडी – एनसी	(–) 464141	–	–	(–) 464141
	dqy jkf'k 'kkfey				¼&½19504633

fVIi.kh l[;k ,-1-1-2 e fufn"V udkjkRed 'k"k

Ø- l-	dk;Øe dk uke	ikjfHkd “k’k	vunku ikIr	vftr C;kt	Okru ,o y[kk dk;ky; e LFkkukUrj.k@ vU; ifjo/ku	0;;	jkf’k ykVkbl	'k"k tek
1	अंतर्राज्यीय युवा मिलन	9620354		–		9826286	192201	(398133)
2	किशोर कार्यक्रम	(6880279)	14329000	10065	(622917)	7614106	52193	(830430)
3	भारत जानो कार्यक्रम	500000	–	–	(117158)	190041	226319	(33518)
4	एड्स जागरुकता कार्यक्रम	3597394	–	–	(7376112)	–	–	(3778719)
5	बेस लाईन सर्वे	(1789543)	–	–	(898960)	–	–	(2688503)
6	जिला स्तरीय कार्यक्रम	45827203			90297000	126347945	17207997	(7431739)
7	जेएसएसके जन शिक्षा	(182152)	–	–	(1845022)		–	(2027174)
8	केआरवाईसीईपी	(2925331)		304	(709127)	–	–	(3634155)
9	राष्ट्रीय युवा संसद	4000	–	–	(251390)	265000	–	(512390)
10	उत्तर पूर्वी विविध कार्यक्रम	(16156554)	–	–	(2986302)	46725	1873090	(21062671)
11	आदिवासी आदान–प्रदान कार्यक्रम	(9184374)	20291097		–	20905944	–	(9799221)
12	विश्व एड्स दिवस	197834		–	(592447)	–	–	(394613)
13	सीएट फ्लेन	1751056			(1953025)		–	(201969)
						dqy jkf’k 'kkfey		¼52793235½

fVIi.kh la[;k ,-1-1-4 esa lanfHkZr xSj of.kZr C;kt

Ø- l-	dk;Øe dk uke	ikjfEHkd “k’k	vuqnku ikIr	LFkkukUrj.k	0;;	ykVkbZ xbZ jkf’k	'k"k tek
1	युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	1346098	15000000	–	3436155	–	12909943
2	अंतर्राज्यीय युवा सम्मेलन	9620354	0	–	9826286	192201	(–)398133
3	राष्ट्रीय युवा उत्सव	698093	8402000	–	5553989	141524	3404580
4	जागृत भारत उत्सव	1739977	0	–	0	0	1739977
5	एनएसवी योजना	137029082	0	–	696770	0	136332312
6	आरएसवाई/एनआरसी	112291603	0	–	0	0	112291603
7	इनोसेंट स्माल	303750	0	–	0	0	303750
8	एमजी नरेगा	15942002			10112	15930626	1264
9	निर्मल बिहार स्वच्छता कार्यक्रम	204883	0		0	0	204883
10	एनएलएम	4288760	0	–	0	0	428860
11	एनआरएचएम	222780	0			0	222780
12	रेड रिबन एक्सप्रेस	5722272	0	–	0	0	5722272
13	वीटीए	1281467	0	–	0	0	1281467
14	वीटीसी	26129	0	–	0	0	26129
15	विश्व स्वास्थ्य दिवस	51483	0				51483
16	एनएचआरसी	390000	0		0	0	390000
17	एडवेंचर कार्यक्रम	50058829	9375000		13989676	130619	260534
18	भारत जानो कार्यक्रम	500000	–	(117158)	190041	226319	(33518)
19	किशोरावस्था यूएनएफपी	66758867	17326375	(2702120)	20136384		61246738
20	जम्मू एवं कश्मीर एनवाईसी परामर्श	3217645	–	(2295376)	–	–	922269
21	जागरुकता वृक्षारोपण	353499	–		–	–	353499
22	जिला स्तरीय कार्यक्रम	45827203	–	90297000	126347945	17207997	(7431739)
23	नशा मुक्ति कार्यक्रम	6657820	30929100	–	120353		37466567

Ø- l-	dk;Øe dk uke	ikjfHkd 'k"k	vuqnku ikIr	LFkkukUrj.k	O;;	ykVkbl xbl jkf'k	'k"k tek
20	जम्मू एवं कश्मीर एनवाईसी परामर्श	3217645	–	(2295376)	–	–	922269
21	जागरुकता वृक्षारोपण	353499	–		–	–	353499
22	जिला स्तरीय कार्यक्रम	45827203	–	90297000	126347945	17207997	(7431739)
23	नशा मुक्ति कार्यक्रम	6657820	30929100	–	120353		37466567
24	जंग–ए–आज़ादी	17862633	–	(1418797)	78800	–	16335036
25	उत्तर पूर्वी कलटेक्स	10267365	–	(6333715)		–	3933650
26	यूनिसेफ	2723969	–	943347	425723	–	3241593
27	विश्व एड्स दिवस	197834	–	(592447)		–	(394613)
28	आरआरई बैलेंस ऑफ बीएस	5328285			–	–	5328285
						dqy jkf'k 'kkfey	412657477

vuqyXud

¼v- “k- i= l[;k ,,eth&III@4&138@,l,vkj@,uok;d,l@2016&17@109 fnukd 26-04-2017½

1. नेयुकेसं की मौजूदा देनदारियों में परोपकारिता निधि और महानिदेशक राहत निधि भी दिखायी गयी थी जबकि नेयुकेसं के कर्मचारियों ने सरकार से कोई भी योगदान लिए बिना बनाया था। इसलिए यह नेयुकेसं के वार्षिक खातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था।

2. मालदा के जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) द्वारा (रुपये 4606 का चैक) और पश्चिम मिदनापुर (रुपये 7890 के चैक) द्वारा नहीं किया गया था। इसकी वजह से बैंक बुक में अधिक बकाया राशि और देयताओं में कम राशि दिखाई गई है।

3. जिला युवा समन्वयक, नादिया द्वारा रुपये 8000 के समयबाधित चैक को रद्द किए बिना खातों में दिखाया गया है जिसके कारण बैंक खातों में ओवरस्टेटमेंट हुई है।

4. अनुसूची 17 – परिसंपत्तियों की लागत में स्थायी परिसंपत्तियों को कोडवार दो श्रेणियों में दिखाया गया था। 21 से आरंभ होने वाले कोड नियमित निधि से अर्जित परिसंपत्तियों को दिखाते हैं। 22 से आरंभ होने वाले कोड निर्धारित निधि को दिखाते हैं। हालांकि, रुपये 1.53 करोड़ की ई.डी.पी. मशीन (कम्प्यूटर, प्रिंट/यू.पी.एस.) और रुपये 0.40 करोड के उपकरण/ईनवर्टर को नियमित या निर्धारित निधि से अर्जित परिसंपत्तियों में विभाजित नहीं किया गया है।

ug: ;ok dsUnz laxBu

Mhth,lhbZ ¼,l,vkj½ 2014&15 dh ys[kkijh{kk fVIif.k;ka ij mÙkj

iSjk ua-	mÙkj
A.1.1.1	लेखापरीक्षा के अनुसार ज्ञापनों के उत्तर और चर्चा में बताया गया है कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का अनुपालन, अनुसूची 3 और 4 के तहत शेष राशि का मिलान किया जा रहा है। पीएओ और फील्ड कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण, एक ही बार में पुनःमिलान अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। 2014–15 में, विभिन्न कॉलमों के तहत दिखाई गई स्कीम/कार्यक्रम की नकारात्मक/धनात्मक शेष राशि को मिलाने के लिए कुल राशि को प्राप्त करने हेतु एक साथ लाया गया है। लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत गणना शीट उपलब्ध करवाई गई थी। इन नकारात्मक शेष के मुख्य कारण हैं – 1. अनुदान रसीद से अधिक खर्च और राशि डोनर एजेंसी से प्राप्ति योग्य है। (एचईएससीओ और पीवाईकेए के मामलों में यह कारण है)। 2. पिछले वर्षों में अनुसूची 3 और 4 के तहत अनजाने में दिखाए गए कोर कार्यक्रमों का व्यय जो आय और व्यय के अनुसूची 15 के तहत सूचित किया जाना चाहिए था – हाँ (युवा रोजगार योग्यता योजना)। 3. जिन कार्यक्रमों के लिए निधियों की रसीद अनुसूची 2 ''निर्धारित/एंडॉमेंट निधि (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) के तहत दिखायी गयी है, लेकिन व्यय अनुसूची 3 और 4 निर्धारित/एंडॉमेंट फंड (विशेष/प्रायोजित कार्यक्रम) के तहत। 4. बचे हुए कार्यक्रम अनुसूची के दो अलग–अलग कॉलम के तहत दिखाए गए हैं। यथा मनरेगा एवं मनरेगा के अंतर्गत क्षमता संवर्धन जैसे एक कार्यक्रम के लिए दो कॉलम हैं। इसी प्रकार, ''युवा पहल'', ''उत्तर पूर्वी विभिन्न कार्यक्रम'' का उप–घटक है। उपर्युक्त के अनुसार, इन कॉलमों के तहत नकारात्मक प्रविष्टियां विभिन्न केंद्र कार्यालयों और संबंधित वर्षों के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालयों में समाधानकृत की जाएंगी और 2016–17 के वार्षिक खातों में उचित समायोजन प्रविष्टियां बनाई जाएंगी।
A.1.1.2	जैसा कि लेखापरीक्षा टीम को 28.12.2016 के हॉफ मार्जिन सं. 2 के उत्तर के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है कि अनुसूची 3 और 4 के तहत लंबित अग्रिम और स्कीम–वाइज शेष के समाशोधन की प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया पीएओ गांधीनगर से शुरू हुई थी और 2014–15 के वार्षिक खातों में 1.73 करोड़ रुपये का पूर्वकालीन व्यय का समायोजन किया गया है। इनमें विश्व स्वास्थ्य दिवस और 'मॉय अर्थ मॉय ड्यूटी' के अंतर्गत पूर्व अवधि प्रविष्टियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा ज्ञापन 12 दिनांक 19.12.2016 के जवाब के साथ लेखापरीक्षा के लिए जमा करवा दिया गया था। अन्य पीओएस में यह अभ्यास जारी रहा और कुछ और प्रविष्टियां 2015–16 के वार्षिक खातों में समायोजित की गईं। फिलहाल ने.यु.कें.सं. फील्ड के स्तर पर कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है। यही कारण है कि पुनःमिलान की प्रगति की गति धीमी है। 'यूथ रन' और 'मॉय अर्थ मॉय ड्यूटी' कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। प्रविष्टि नए व्यय नहीं दिखाती, लेकिन पिछले वर्षों में किए गए उन व्ययों को दिखाती है, जिनका समाशोधन नहीं हुआ था। आगे के पुनःमिलान के दौरान अन्य धनात्मक प्रविष्टियों से नकारात्मक शेष समायोजित होने की संभावना है।
A.1.1.3	नकारात्मक शेष राशि का समाधान शुरू किया गया है। इनमें से कुछ नकारात्मक शेष विशिष्ट संगठन/मंत्रालय/विभाग के एकल कार्यक्रम का हिस्सा हैं और ऐसे कार्यक्रमों के धनात्मक शेष के साथ उनको समायोजित किया जा रहा है। प्रक्रिया के दौरान दो कॉलम में नकारात्मक शेष राशि एक कॉलम के तहत लाई गई ताकि समाशोधन हेतु कुल मात्रा में राशि नियत की जा सके। प्रत्येक प्रविष्टि के कारण को हॉफ मार्जिन 1 और 3 के लिखित उत्तर के साथ विस्तृत चर्चा में लेखापरीक्षा टीम को समझाया गया था तथा वर्किंग शीट की प्रतिलिपि भी लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध कराई गई थी। उदाहरण के लिए, ''भारत को जाने'' कार्यक्रम अनुसूची 3 के तहत, विभिन्न देशों के एनआरआई और युवा शिष्टमंडलों के समक्ष युवा गतिविधियों और देश की विशाल सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का कार्यक्रम है। चीनी प्रतिनिधिमंडल, प्रवासी भारतीय दिवस और कोरियाई टीम के अंतर्गत आने वाले नकारात्मक शेष को अनुसूची 3 के तहत ''भारत को जाने'' कार्यक्रम के तहत धनात्मक शेष के साथ समायोजित किया गया है। पैरा ए.1.1.1 और ए.1.1.2 में दिए गए जवाब के अनुसार इन वार्षिक खातों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

A.1.1.4	पॉलिसी के अनुसार, ने.यु.कें.सं. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केवल एक बचत खाता है और सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए धन उसी खाते में रखा जाता है। प्रत्येक कार्यालय के बचत खातों पर अर्जित ब्याज को आय और व्यय खाते की अनुसूची 11 के तहत वर्णित किया जाता है और तुलन पत्र की अनुसूची 2 को हस्तांतरित किया जाता है। अतः यह अर्जित ब्याज की देनदारी को कम नहीं करता है।
A.1.1.5	स्थापना के बाद से, ने.यु.कें.सं. को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कोई भी कॉर्पस फण्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। ने.यु.कें.सं. स्कीम के अंतर्गत प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा ने.यु.कें.सं. को दिया गया अनुदान निर्धारित नियमों और शर्तों पर विशिष्ट और निर्धारित उद्देश्य के लिए है, इसलिए, इसे अधिशेष/कमी के लिए निर्धारित निधि (एमवाईईए एंड एस) में स्थानांतरित किया गया है।
A.1.1.6	निर्धारित निधि के तहत 46.73 करोड़ रुपए का शेष – एमवाईईए एंड एस (एनवायकेएस स्कीम) में 2007–08 से 2014–15 के दौरान अर्जित 24.90 करोड़ रु. शामिल हैं। 2016–17 के लिए दूसरे पूरक में इसके उपयोग के लिए मंत्रालय की मंजूरी मांगी गई है। जैसा कि पैरा ए.1.1.5 के उत्तर में कहा गया है, ने.यु.कें.सं. शुरू होने के बाद से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्पस फण्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है। मंत्रालय ने पहले अनुदानों के प्रोवीजनल यूसी के जमा होने के बाद ही एनवाईके को अनुदान जारी किया जाता है। आम तौर पर एनआईकेएस स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा अनुदान की पहली किस्त वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत में जारी की जाती है। 2014–15 के लिए, 25/26 जून 2014 को मंत्रालय द्वारा पहली किस्त मंजूर की गई थी, जो जुलाई 2014 में ने.यु.कें.सं. में प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में, वेतन और स्थापना पर व्यय को रोका नहीं जा सकता एवं इसे जमा ब्याज से किया जाता है। इस प्रकार, व्यवसाय चलाने के लिए कुछ शेष राशि आवश्यक होती है। यूसी में वर्णित शेष राशि को नए अनुदानों की स्वीकृति में मंत्रालय द्वारा समायोजित/संशोधित किया गया है। इसे लेखापरीक्षा टीम को 2014–15 के लिए पहले से ही उपलब्ध करवाए गए मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदानों की मंजूरी की प्रतियों के साथ सत्यापित किया जा सकता है। लंबित अग्रिम का कारण यह है कि ने.यु.कें.सं. मुख्यालय द्वारा अपने वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) और केंद्र कार्यालयों को पीएओ द्वारा जारी की गई निधियों को अग्रिम रूप से बुक किया जाता है जब तक कि संबंधित कार्यालयों से यूसी के रूप में व्यय प्राप्त नहीं होता है। अग्रिम आय और व्यय का हिस्सा नहीं बनते हैं और उन्हें व्यय के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तुलन पत्र में निर्धारित निधि के तहत दिखाई गई शेष राशि में समायोजन के लिए लंबित अग्रिम और साथ ही नकद भी शामिल हैं। वर्ष 2014–15 में पीएओ गांधीनगर से अग्रिम का समाशोधन किया गया। पिछले सालों में 1.74 करोड़ रुपये के फील्ड कार्यालय में किए गए व्यय के विरूद्ध यूसी की पहचान की गई और उन्हें 2014–15 की पुस्तकों में समायोजित किया गया। 2015–16 के दौरान पीएओ लखनऊ, बैंगलोर, अलीपुर और मुख्यालय में इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की गई और 6.03 करोड़ रुपये के लंबित यूसी प्राप्त किए गए और समायोजित किए गए।
A.1.1.7	ने.यु.कें.सं. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन फार्मेट का पालन करता है और शेष राशि/एन्डोमेंट फंड को अलग–अलग तुलन पत्र में दर्शाता है। ने.यु.कें.सं. को अनुदान तीन स्रोतों से प्राप्त होता है – 1. ने.यु.कें.सं. स्कीम के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय से, यह शेष राशि/एंडॉमेंट फंड (एमवाईईए एंड एस) के तहत दिखाया जा रहा है। 2. ने.यु.कें.सं. योजना के अलावा युवा मामलों और खेल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत राशि को निर्धारित/एंडॉमेंट निधि (विशेष कार्यक्रम) के तहत दिखाया जा रहा है। 3. भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त राशि को निर्धारित/एन्डॉमेंट निधि (प्रायोजित कार्यक्रम) के तहत दिखाया जा रहा है। 4. जहां तक सामान्य भविष्य निधि का उल्लेख है, 2015–16 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए नोट्स ऑफ अकाउंट में उचित टिप्पणी कर दी गई है।
A.1.2	यद्यपि, लाभकारी निधि और डीजी राहत निधि मुख्य रूप से ने.यु.कें.सं. के कर्मचारियों के योगदान से संचालित है तथापि उचित जांच और एकाउंटिंग के लिए अलग–अलग ट्रस्टों का गठन होने तक इन्हें खातों के विवरण में शामिल किया जाता है।

A.1.3	अनुसूची 3 और 4 का आरंभिक शेष पिछले वर्ष के अंतः शेष से लिया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त अनुदान, ब्याज और पीएओ–के संकलित व्यय के विवरणों को लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट टीम को प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षक को समायोजन का विवरण भी प्रदान किया गया था। उसी की प्रतियां फिर से संदर्भ के लिए संलग्न की गई हैं।
A.1.4	संबंधित कार्यालयों को गलती को सुधारने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में उसी गलती को न दोहराने के लिए कहा गया है। दिनांक 23.02.2017 के पत्र के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों की प्रति जारी की गई है।
A.1.5	संबंधित कार्यालयों को गलती को सुधारने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में उसी गलती को न दोहराने के लिए कहा गया है। दिनांक 23.02.2017 के पत्र के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों की प्रति जारी की गई है।
A.2.1	2014–15 के दौरान, विशेष/प्रायोजित कार्यक्रम के निर्धारित निधि से कोई कम्प्युटर मशीन/अन्य कार्यालय उपकरण नही खरीदा गया। टैली अकाउंटिंग सिस्टम की शुरुआत के कारण एकाउंट हेड की कोडिंग बंद है और पिछले सालों में खरीदी गयी संपत्ति एक ग्रुप के तहत लाई गई है।
A.2.1.2	लेखापरीक्षा के निरीक्षण के अनुसार, परिसंपत्तियों को ब्लॉक–वाइज को दिखाने के लिए सभी केंद्र कार्यालयों से संपत्ति के विवरण को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र कार्यालयों, पीएओ और मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका। संपत्ति के ब्लॉक–वाइज प्रतिनिधित्व को दिखाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
A.2.1.3	पूंजीगत और राजस्व व्यय का लेखांकन पीएओ में किया जाता है। इसलिए अंतिम खातों में अग्रिम समायोजन करते समय, खरीदे गए सामानों पर हुए व्यय को पीएओ भुवनेश्वर में पूंजीगत खर्च के रूप में बुक किया गया है। पीएओ पुस्तकों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के तहत 10,500/– रुपए के व्यय को समायोजित करने के वाउचर की प्रति संलग्न है।
A.2.1.4	संपत्ति पर मूल्यह्रास पीएओ/मुख्यालय पर किया जाता है और यह केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है। 2014–15 के लिए एनवाईके जलपाईगुड़ी, कुल्लू, अमृतसर और गुरुदासपुर के मूल्यह्रास का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
A.2.1.5	दिनांक 23.02.2017 के पत्र के द्वारा निर्धारित प्रारूप का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया। संदर्भ हेतु कॉपी संलग्न की जा रही है।
A.2.2.1	5,34,561/– रु. की राशि में असमायोजित अग्रिम रु. 961/– एवं 5,33,600/– सम्मिलित हैं जो पीएओ बैंगलोर एवं अलीपुर के विरूद्ध हैं, यह पीएओ भुवनेश्वर के तुलन पत्र की अनुसूची 7 में 1,03,02,358.50 रुपये के शेष राशि में शामिल है।
A.2.2.2	लंबित अग्रिम और समायोजन के समाशोधन की प्रक्रिया पहले ही लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार शुरू की गई है। पीएओ और फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के चलते यह प्रक्रिया एक बार में नहीं की जा सकी थी और यह पीएओ गांधीनगर से शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान 1.73 करोड़ रुपये का पूर्व अवधि व्यय 2014–15 के वार्षिक खातों में समायोजित किए गए थे। अगले साल के दौरान पीएओ बैंगलोर, लखनऊ और मुख्यालय में जारी रही और 6.03 करोड़ रुपये मूल्य की असमायोजित यूसीज 2015–16 के वार्षिक खाते में प्राप्त और समायोजित की गई हैं। शेष पीओज में भी यह प्रक्रिया जारी है। परिणाम 2016–17 के वार्षिक खाते में दिखाए जाएंगे।
A.2.2.3	ने.यु.कें.सं. निधि के लिए 125.35 लाख और जिला/राज्य स्तर की एजेंसियों से उत्पन्न निधि के लिए 21.32 लाख सहित कुल 146.67 लाख रूपये की कुल बकाया अग्रिम राशि पीएओ अलीपुर के तुलन पत्र में दिखाई गई है। यह ने.यु.के.सं. के तुलन पत्र में शामिल किया गया है। इसलिए, दोनों खातों के वक्तव्यों में कोई अंतर नहीं है।
A.2.2.4	केंद्र कार्यालयों में से कुछ यूसी समायोजन के लिए लंबित हैं जिसके कारण पीएओ बैंगलोर के वार्षिक खातों में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 454.01 लाख रुपये की अग्रिम राशि बकाया है। ये अग्रिम पिछले वर्षों के व्यय से सम्बंधित हैं लेकिन यूसीज की प्राप्ति न होने के कारण पीएओ के खाते में समायोजित नहीं हुए हैं। बैंगलोर में आयोजित अग्रिम समाशोधन अभ्यास के दौरान 127 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पहचान की गई और तब उनको 2015–2016 के वार्षिक खातों में समायोजित किया गया। पिछले वर्षों में गलत वर्गीकरण के कारण कुछ कार्यालयों के अग्रिमों में नकारात्मक शेष आया है। इसका समाशोधन किया जा रहा है और उचित समायोजन किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की भारी कमी के चलते समाशोधन का कार्य किश्तों में हो पा रहा है।
A.2.2.5	दिनांक 31 मार्च 2014 को 113.40 लाख रुपये अग्रिम रूप से वर्णित किये गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2014–15 के खातों में ओपनिंग के तौर पर दिया गया है और वहीं 103.02 रुपये का समायोजन अलग पंक्ति में वर्णित है। दोनों आंकड़ों की शुद्ध शेष 10.38 लाख रुपये है। इसलिए, कोई अंतर नहीं है।
A.2.2.6	ने.यु.कें.सं. में तिजला नाम का कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए इसे ढूंढा नहीं जा सकता है।

A.2.2.7

लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट दोनों आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। खातों के संकलन के समय कुछ आंकड़े पुनः समूहित किए गए हैं. विवरण नीचे दिए गए हैं

vfxze tujyVM QaM– का आरंभिक और अंतः शेष 2132475 रुपये का आरंभिक और अंतिम शेष यथारूप में खाते के स्टेटमेंट की अनुसूची 7 में भी दिखाया गया है। वर्ष के दौरान लेनदेन का प्रभाव ''जिला स्तर उत्पन्न निधि'' कॉलम के तहत अनुसूची 4 में अलग से दिखाया गया है। अलीपुर के खातों के स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस में आंकड़ों की संरचना निम्नानुसार है –

Ø- l-	fooj.k	jkf'k
1	केंद्र अग्रिम अर्जित फण्ड – (ट्रायल बैलेंस)	(+) 44932698
2	केंद्र अग्रिम अर्जित फण्ड – (ट्रायल बैलेंस)	(-) 57000
3	अर्जित फण्ड के विरूद्ध व्यय – (ट्रायल बैलेंस)	(+) 35983127
4	एड्स जागरूकता कार्यक्रम (संलग्न गणना शीट में)	(+) 72300
	कुल (अनुसूची 4 एवं 15 के खातानुसार)	(+) 80931125

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के कारण केन्द्रों पर अग्रिम – 12535116 रुपये की आरंभिक शेष राशि में आरंभिक शेष (10345027), तथा वर्ष के दौरान जोडा गया अग्रिम (2190089) शामिल हैं – विवरण निम्नवत हैं

Ø- l-	fooj.k	jkf'k
1	केंद्र अग्रिम – पूंजीगत	841415
2	केंद्र अग्रिम – कार्यक्रम	7991095
3	केंद्र अग्रिम – स्थापना	(-)6642421
4	कुल	2190089

vU; vfxze– ट्रायल बैलेंस में आरंभिक शेष 43094 के बजाय 68094 रुपए है, वर्ष समापन शेष के दौरान 175250/– की क्रेडिट प्रविष्टि को समायोजित करने पर (–) 107156 रुपये आता है जो सही तरीके से दिखाया गया है।

u-;q-d- fHkokuh }kjk fjQaM– 5000 रुपये का अंतर जो आया वह राष्ट्रीय युवा वालंटियर के पास अग्रिम था, इसलिए वर्ष के अंत में पीएओ को वापस नहीं किया जा सकता।

B.1

विभिन्न खर्चों तथा मरम्मत और रखरखाव मदों के तहत ट्रायल बैलेंस और वार्षिक खातों के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय उपकरण और अन्य) की संरचना निम्नानुसार है –

Ø- l-	fooj.k	jkf'k
1	मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय के उपकरण) (टीबी)	1213702
2	विद्युत मरम्मत एवं रखरखाव (टीबी)	20530
4	कुल	1334232

ट्रायल बैलेन्स की प्रतिलिपि संदर्भ के लिए संलग्न है।

C.1

शुद्ध अतिरिक्त प्राप्ति पिछले वर्ष के देय भुगतान के भुगतान और मौजूदा वर्ष के लिए देय की बुकिंग की राशि है। लेखापरीक्षा के दौरान 'शुद्ध अतिरिक्त प्राप्ति' का विस्तृत विवरण दिया गया था। प्रतिलिपि को फिर से संलग्न किया गया है।

यह चालू वर्ष की देनदारी के विरुद्ध अगले वर्ष के लिए खातों के एक्रूअल फार्म के तहत प्रावधान/देय बनाए गए हैं। एकांउटिंग स्टैण्डर्ड – एएस–3 (18) के तहत यह अनुमति है जिसमें प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों का उपयोग करके नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग प्रदान करता है।

D.1.1 **D.1.2** **D1.2.1**	क्षेत्रीय कार्यालयों में जनशक्ति की भारी कमी और तुलन पत्र तैयार करने में प्रवीणता के बावजूद, कई जिला कार्यालय तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते सहित खाते का पूरा सेट तैयार कर रहे है। ने.यु.कें. छिंदवाड़ा (म.प्र.), गुरदासपुर (पंजाब) और गोधरा (गुजरात) द्वारा तैयार की गईं तुलन पत्र की प्रतियां संदर्भ के लिए संलग्न हैं। टैली अकांटिंग सॉफ्टवेयर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है जो तुलन पत्र और आय और व्यय खातों की तैयारी के लिए इनबिल्ट सिस्टम प्रदान करता है. कई केंद्र टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से खातों को तैयार कर रहे हैं। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी और कंप्यूटर, विद्युत आपूर्ति, इंटरनेट सेवाओं सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता न होने के कारण प्रगति धीमी है। ने.यु.कें.सं. लेखापरीक्षा के अवलोकन के अनुपालन के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। ट्रायल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, करूर (केरल), कासरगोड (कर्नाटक) और कैंपबेल बे (अंडमान और निकोबार) केंद्र के द्वारा तैयार किए गए ट्रायल बैलेंस और लेजर की प्रतियां संदर्भ के लिए संलग्न की गईं हैं। डीजीए (सीई) के लेखापरीक्षा टीम ने हाल ही में 'ने.यु.कें.सं. ' में प्रचलित वित्तीय प्रबंधन' पर विषयगत लेखापरीक्षा की है, उन्होंने इस मुद्दे को अपने मसौदा रिपोर्ट में भी रखा है। हालांकि, ने.यु.कें.सं. द्वारा प्रस्तुत उत्तर से संतुष्ट हो कर अंतिम चरण में अवलोकन छोड़ा गया।
D.1.2.2	ने.यु.कें. कुल्लू, अमृतसर, गुरुदासपुर और अशोक नगर द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए प्राप्ति और भुगतान खाते संलग्न हैं।
D.2	वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के स्वरूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में धन का निवेश भी स्वीकार्य है। ने.यु.कें.सं. ने इस मुद्दे को लेकर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के आधार पर उचित कार्यवाही की है। सरकारी प्रतिभूतियों में फंड के निवेश के लिए बैंकरों के साथ विचार–विमर्श किया गया था, जिन्होंने सूचित किया है कि प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज्ड रूप में रखा जाना है और उन्ही डीमैट खातों को खोले जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा पैरा के मद्देनजर, 24 दिसंबर 2013 को आयोजित बैठक में धन के विनिवेश हेतु नियामक निकाय के निर्देशों की मांग की गई थी. बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक, ट्रस्ट के गठन और एलआईसी को फंड के निवेश का मामला युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को 10 जनवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय ने 30 जुलाई 2014 और 25 फरवरी 2015 के पत्रों के द्वारा किए गए पूछताछ पर स्पष्टीकरण 26 अगस्त 2014 और 05 मार्च 2015 के पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया है। (प्रतियां संलग्न हैं)। इस मामले में मंत्रालय के निर्णय का इंतजार है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.08.2008 को जारी की गई अधिसूचना के पैरा 6 में देखा जा सकता है कि ट्रस्ट की निधियों का निवेश न्यासियों की निष्ठापूर्ण जिम्मेदारी है और इस पर उचित परिश्रम के माध्यम से कार्य किये जाने की आवश्यकता है। निकट भविष्य में छोटे फंड की उपलब्धता और तरलता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे सरकारी प्रतिभूति और बांडों में निवेश करना उचित नहीं है जो दीर्घकालिक निवेश (8 वर्ष और उससे ऊपर) है।
D.3	मार्च 2015 के लिए वेतन और भत्तों के अंतर्गत 7.27 करोड़ रुपए की प्रावधान राशि और 2014–15 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क के लिए 33.19 लाख रुपए की राशि का प्रावधान अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्ति की देय राशि का बीमांकिक मूल्यांकन निर्मित कर दिया गया है, इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी की नकदी के प्रति देयता का मूल्यांकन शामिल है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के तहत देयता लेखों में प्रदर्शित करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति की मांग की गई है। इसके बारे में 2014–15 के खातों पर टिप्पणियों में उचित उल्लेख भी किया गया है।

ug: ;qok dæ lxBu

Mhth,lhbl ¼,l,vkj½ 2014-15 dk y[kkijh{kk fVIif.k;ks ij mŸkj ¼vuqyXud½

iSjk la[;k	fVIi.kh
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग के 11 बकाया पैरा थे। उत्तर 27.09.2016 को प्रस्तुत किए गए थे। 11 पैरा में से 9 पैरा का निपटान आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग के पत्र दिनांक 31.10.2016 और 03.01.2017 के द्वारा किया गया है। प्रतियां संलग्न प्रशासनिक कारणों के कारण 2014–15 के लिए केन्द्रो और गैर–वेतन एवं लेखा कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी थी। 2014–15 और 2015–16 के लिए अब लेखा परीक्षकों को आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है।
2 **(i)**	संबंधित वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रशासनिक मंत्रालय को हर साल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तुत किया जाना होता है। सितंबर तक वास्तविक आंकड़ें देना इन अनुमानों का आवश्यक भाग है इसलिए, वित्त समिति/बीओजी द्वारा परीक्षा/अनुमोदन के बाद निर्धारित समय के भीतर संशोधित अनुमान/बजट अनुमान प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। इस तरह के मामलों में आवश्यक जानकारी मंत्रालय को निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दी जाती है और आगे वित्त समिति/शासी बोर्ड के सम्मुख कार्योत्तर अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। नेयुकेस/मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न स्तरों पर अनुमानों पर चर्चा एवं जांच करते हैं जो कि वित्त समिति/शासी बोर्ड के पदेन सदस्य/अध्यक्ष होते हैं। वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार है: वित्त सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय – अध्यक्ष निदेशक(नेयुकेस) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय – सदस्य कार्यकारी निदेशक, नेयुकेस – सदस्य निदेशक(वित्त) नेयुकेस – सदस्य संशोधित अनुमान/बजट अनुमान का प्रस्ताव फाइल पर मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले या बाद में सभी उपरोक्त अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी तरह, महानिदेशक नेयुकेस, संयुक्त सचिव (वाईए) और सचिव (वाईए) शासी बोर्ड के सदस्य हैं। वे संशोधित अनुमान/बजट अनुमान के आंकड़ों की भी जांच करते हैं इसलिए संशोधित अनुमान/बजट अनुमान की उचित जांच प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती है। शासी बोर्ड द्वारा 24.12.2013 को आयोजित बैठक में बजट अनुमान 2014–15 की जांच की गई और पुष्टि की गई ।
(ii)	क्षेत्रीय कार्यकर्ता सहित राज्य निदेशकों और युवा कार्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मुख्य कार्यक्रम के लिए बजट तैयार किया गया है। युवा मंडलों का नेटवर्क नेयुकेस की रीढ़ है। अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विस्तृत चर्चा, विचार–विमर्श और प्रतिक्रिया के आधार पर ऊपर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के आवंटन के लिए मापदंड एक जिले में युवा क्लब और महिला मंडल की संख्या के आधार पर किया गया था।
(iii)	यह पैरा ए 1.1.6 की पुनरावृत्ति है, उत्तर पहले से ही दिया गया है।

(vi)	एमएएस के रूप में पीएओ भुवनेश्वर और बंगलौर द्वारा व्यय नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है। इन एमईएस को पीएओ और क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से नेयुकेस मुख्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान इन्हें ऑडिट टीम को भी सौंप दिया गया था। हालांकिए निर्धारित प्रारूप में मैन्युअल व्यय नियंत्रण रजिस्टर (ईसीआर) को बनाने के लिए पीएओ को निर्देश जारी किए गए हैं (प्रति संलग्न)। हर स्तर पर कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद, 70% से 98% उपयोगिता प्रमाण पत्र मई तक हो गए थे, यानी 15 दिन से 1 महीने तक देरी के साथ। प्रक्रिया को सरल बनाने और निर्धारित समय–सारिणी के अनुपालन के लिए सर्वोत्तम प्रयास हमेशा हर स्तर पर किए जाते रहें हैं। भुवनेश्वर का मामला विशेष रूप से अनिश्चित है। राज्य में दोनों लेखा कर्मचारियों (13 लेखा स्टाफ 30 कार्यालय का कार्य कर रहें हैं) और जिला युवा समन्वयकों (30 कार्यालयों के प्रबंध 8 अधिकारी करने वाले) की कमी है। ऑडिट ने किसी भी विशिष्ट उदाहरण को नहीं बताया है, जहां व्यय की निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया हो, हालांकि, यह रिपोर्ट करना है कि डीजीए (सीई) के लिए ऑडिट टीम ने हाल ही में "नेयुकेस" में प्रचलित वित्तीय प्रबंधन पर विषयगत लेखापरीक्षा की है। उनकी मसौदा रिपोर्ट हालांकि, नेयुकेस द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तर प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम चरण में टिप्पणियॉं को समाप्त किया गया था। नेयुकेस द्वारा ईमानदारी से हमेशा प्रयास किया गया हैं कि पूरे साल खर्च को समान रूप से किया जाए। अपवाद तब होते हैं जब समय पर जीआईए प्रदान नहीं किया जाता है
(v)	वर्ष 2014–15 के वार्षिक खातों के अनुसार मुख्यालय में प्राप्त अनुदान का विवरण आदेश के साथ ऑडिट टीम को दौरे दौरान प्रदान किया गया था। टीम ने सभी प्रविष्टियों को चिन्हित किया था। रुपये 9.12 करोड़ की राशि जिला/राज्य स्तर के कार्यालयों में सृजित है। ऐसे निधियों का स्वीकृति आदेश जिला स्तर के कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के पास हैं जहां राज्य लेखा परीक्षा द्वारा इसकी जांच की जाती है।
(vi)	मुख्यालय, पीएओ और क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय लेनदेन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 से टैली सॉफ्टवेयर लागू किया गया था। लेखापरीक्षा की टिप्पणी थी कि सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल पीएओ में किया गया था लेकिन केन्द्र/मण्डल कार्यालयों में उपयोग नहीं किया जा रहा थाए जो कि सही नहीं है। यह लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट किया गया था कि कई क्षेत्र के कार्यालय लेनदेन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। टैली लेखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से फील्ड ऑफिस में तैयार ट्राइल बैलेन्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र/रसीद और भुगतान खातों के नमूना दस्तावेज संलग्न हैं। शुरुआती चरण में होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों को टैली सॉफ्टवेयर में लेखांकन के अलावा खातों को पुस्तकों को बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। प्रत्येक कार्यालय में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की कमी, बिजली आपूर्ति और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रमुख बाधाएं हैं।
(vii)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(viii)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(ix)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(x)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(xi)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(xii)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
(xiii)	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
3	कोई टिप्पणी नहीं
	जिला युवा समन्वयक कोहिमा को निर्देश जारी कर दिये गए हैं।